उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1052/ग्यारह-9(295)/07-उ0प्र0अधि0-5-2008-यू0पी0वैट नियमावली-08-आदेश(15)-2008

लखनऊ -- 27 मार्च, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 5, सन् 2008) की धारा-74 के साथ पठित धारा-79 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके एवं सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2-02/ग्यारह-9(295)/07 उ0प्र0 अध्यादेश-37-2007 यू0पी0वैट नियमावली-08-आदेश-(01)-2008 दिनांक 01 जनवरी 2008 का अधिक्रमण करके राज्यपाल 01 जनवरी 2008 से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं;

चूंकि राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करनी आवश्यक हो गयी हैं अतएव, राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा-79 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बिना पूर्व प्रकाशन के निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008
अध्याय - एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 कही जाएगी।

(2) यह 01 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

परिभाषाएं 2 (1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में;

(क) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-5, सन् 2008) से है।

(ख) **"अपर कमिश्नर"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अपर कमिश्नर वाणिज्य कर के रूप मे उसे सौपे गये कृत्यों का सम्पादन करने एवं अपर कमिश्नर की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया हो।

(ग) **"कर निर्धारक प्राधिकारी"** के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :

(एक) राज्य सरकार द्वारा किसी कारपोरेट मण्डल में कर निर्धारक अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त एवं तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)

(दो) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा या कमिश्नर द्वारा तैनात उप कमिश्नर या सहायक कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा नियुक्त एवं तैनात वाणिज्य कर अधिकारी

(क) किसी मण्डल में कर निर्धारक प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन अथवा शक्तियों का प्रयोग उस मण्डल में करने हेतु ;

(ब) विभाग के किसी कार्यालय में, नियम 5 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत; धारा 45, 48 एवं 49 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु ;

(घ) **"सहायक कमिश्नर"** का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त एवं कमिश्नर द्वारा सहायक कमिश्नर की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु तैनात व्यक्ति से है।

(ड) **"लेखाकार"** का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम 1949 में यथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से इस निमित्त मान्यता प्राप्त लेखाकार सहयोजन का सदस्य

(च) **"अधिकृत प्रतिनिधि"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास व्यवहारी का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पंजीकृत सामान्य मुख्तारनामा अथवा विशिष्ट मुख्तारनामा है, एवं जो -

(एक) या तो व्यवहारी का सम्बन्धी या सेवा में रखा गया व्यक्ति हो;

या

(दो) कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा अथवा उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा का सदस्य रहा हो और सहायक कमिश्नर से अन्यून पंक्ति का अधिकारी रहा हो, परन्तु सिवाय ऐसे अधिकारी के जो व्यवस्थापन आयोग का सदस्य रहा हो।

(छ) **"वाणिज्य कर अधिकारी"** का तात्पर्य कमिश्नर द्वारा इस प्रकार नियुक्त एवं तैनात व्यक्ति से है।

(ज) **"मण्डल"** का तात्पर्य कमिश्नर द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत अधिसूचित वाणिज्य कर मण्डल से है, जिसमें निगमित मण्डल भी सम्मिलित है।

(झ) **"कॉरपोरेट मण्डल"** का तात्पर्य ऐसे वाणिज्य कर मण्डल से है जिसमें कम्पनी, निगम तथा कमिश्नर के द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार के अन्य व्यवहारी होंगे।

(ञ) **"विभाग"** का तात्पर्य राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग से है।

(ट) **"उप कमिश्नर"** का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा उप कमिश्नर वाणिज्य कर के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(एक) किसी मण्डल में कर निर्धारक प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने एवं उस शक्तियों का प्रयोग करने हेतु तैनात उप कमिश्नर (कर निर्धारण)

(दो) उप कमिश्नर (जांच चौकी), उप कमिश्नर (प्रवर्तन) या उप कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) जो इन नियमों के द्वारा धारा 45 एवं धारा 48 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त हैं।

(तीन) किसी मण्डल में पंजीयन को जारी करनें, निलम्बित करने, निरस्त करने तथा व्यवहारी के पंजीयन सम्बन्धी मामलों का निपटारा करने एवं पदाभिधान से कर निर्धारण प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने एवं उसकी शक्तियों का प्रयोग उक्त मण्डल में करने हेतु तैनात उप कमिश्नर (पंजीकरण)

(चार) किसी मण्डल में तैनात उप कमिश्नर (प्रशासन) जो सामान्य प्रशासन सम्बन्धी सौपे गए कार्य का निष्पादन और पदाभिधान से मण्डल के कर निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगें।

(पाँच) उप कमिश्नर (कर वसूली) जिसमें असिस्टेन्ट कलेक्टर की शक्तियॉ सन्निहित हैं एवं कर, शुल्क, अर्थदण्ड या इस अधिनियम के अधीन अन्य कोई देय वसूलने हेतु अधिकृत एवं मण्डल में पदाभिधान से कर निर्धारक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत हैं।

(ठ) **"इलेक्ट्रानिक भुगतान"** का तात्पर्य इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भुगतान

से है ।

(ड.) "**फार्म**" का तात्पर्य इस नियमावली मे संलग्न फार्म से है ।

(ढ) "**संयुक्त कमिश्नर**" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संयुक्त कमिश्नर वाणिज्य कर के रूप मे नियुक्त किसी व्यक्ति से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) किसी संभाग (रीजन) का संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक);

(दो) धारा 55 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत संयुक्त कमिश्नर (अपील);

(तीन) धारा 45 एवं 48 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत संयुक्त कमिश्नर (जाँच चौकी), संयुक्त कमिश्नर (प्रवर्तन) या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा);

(चार) कर निर्धारक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किसी कारपोरेट मण्डल में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण) ।

(ण) "**वकील**" का तात्पर्य किसी राज्य विधिज्ञ परिषद अथवा भारतीय विधिज्ञ परिषद मे पंजीकृत अधिवक्ता और बैरिस्टर एट लॉ से है ।

(त) "**आन लाइन भुगतान**" का तात्पर्य भुगतान कर्ता के बैंक खाते से प्राप्त कर्ता के बैंक खाते मे निधि का इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंतरण से है ।

(थ) "**क्षेत्र**" का तात्पर्य उप कमिश्नर की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र से है ।

(द) "**सम्भाग**" का तात्पर्य संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र से है जिसमे लगभग दस खण्ड हैं ।

(ध) "**विशेष कमिश्नर**" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विशेष कमिश्नर वाणिज्य कर के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है जो विशेष कमिश्नर के कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेगे ।

(न) "**धारा**" का तात्पर्य अधिनियम की धारा है ।

(प) "**खण्ड**" का तात्पर्य कमिश्नर द्वारा यथा अवधारित मण्डल के उस भाग से है जिसमें लगभग एक हजार व्यवहारी है ।

(फ) "**राज्य प्रतिनिघि**" का तात्पर्य यथास्थिति व्यवस्थापन आयोग (सेटलमेन्ट कमीशन), अधिकरण, अपर कमिश्नर (अपील) या संयुक्त कमिश्नर (अपील) के समक्ष राज्य सरकार अथवा कमिश्नर का प्रतिनिधित्व करने या उसकी ओर से किसी वाद के संबंध मे तर्क प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार अथवा कमिश्नर द्वारा नियुक्त सहायक कमिश्नर से अन्यून पंक्ति का अधिकारी है और इसमें निम्न सम्मिलित है -

(एक) वह कर निर्धारक प्राधिकारी जिसने विवादित आदेश पारित किया है ।

(दो) राज्य सरकार अथवा कमिश्नर द्वारा किसी विशिष्ट वाद अथवा वादों की श्रेणी मे यथास्थिति राज्य सरकार या कमिश्नर का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुबन्धित अधिवक्ता या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ।

(तीन) राज्य प्रतिनिधि के अवकाश अथवा अस्थायी अनुपस्थिति की दशा में अपर कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर द्वारा लिखित रुप से अधिकृत सहायक कमिश्नर से अन्यून पंक्ति का अधिकारी ।

(चार) वह व्यक्ति जिसने सहायक कमिश्नर से अन्यून पंक्ति का पदधारित किया हो और इस निमित्त कमिश्नर द्वारा अधिकृत हो; या वह व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा अथवा उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा का सदस्य रहा है सिवाय ऐसे व्यक्ति के जो व्यवस्थापन आयोग का सदस्य रहा हो ।

(ब) **"कोषागार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य कोषागार से है जिसमे उपकोषागार सम्मिलित होगें ।

(भ) **"परिसम्भाग (जोन)"** का तात्पर्य अपर कमिश्नर की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र से है जिसमें कम से कम दो सम्भाग (रीजन) सम्मिलित होंगें ।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगें जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है ।

परिसम्भाग, सम्भाग, क्षेत्र एवं मण्डल सृजित करने की शक्ति

3 (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा -

(क) सृजित अथवा समाप्त कर सकती है -

(एक) अपर कमिश्नर का परिसम्भाग

(दो) संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), संयुक्त कमिश्नर (अपील) का सम्भाग

(तीन) उप कमिश्नर (जांच चौकी) उप कमिश्नर (प्रवर्तन) या उप कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) का क्षेत्र; और मण्डल या मण्डल का भाग या खण्ड जो यथास्थिति ऐसे परिसम्भाग, सम्भाग, क्षेत्र या रेन्ज में सम्मिलित है, को अधिसूचित कर सकती है ।

(ख) सदस्य अधिकरण के अधिकारिता में आने वाले मण्डल या मण्डल का भाग या खण्ड को विर्निदिष्ट कर सकती है ।

(2) कमिश्नर सृजित अथवा समाप्त कर सकते हैं -

(क) मण्डल और उसकी सीमा का निर्धारण या पुनर्निर्धारण

(ख) मण्डल में निहित खण्ड और खण्ड की सीमा का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण ।

3- जहॉं एक से अधिक निम्नलिखित अधिकारी तैनात है, वहॉं कमिश्नर

द्वारा; सम्भाग मे अपर कमिश्नर, या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन), संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), किसी कारपोरेट मण्डल में संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण); क्षेत्र के उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर या वाणिज्य कर अधिकारी की अधिकारिता का निर्धारण किया जायेगा -

(क) किसी परि सम्भाग में अपर कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन), सम्भाग में संयुक्त कमिश्नर (अपील), संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), किसी कारपोरेट मण्डल में संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण);या;

(ख) किसी क्षेत्र में उप कमिश्नर (जाँच चौकी); उप कमिश्नर (प्रर्वतन) या उप कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) ; या

(ग) किसी क्षेत्र मे उप कमिश्नर (कर निर्धारण) सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण) या वाणिज्य कर अधिकारी

स्पष्टीकरण - उपनियम (3) के अर्न्तगत अधिकारियों की अधिकारिता अवधारित करने में कमिश्नर यह विर्निदिष्ट कर सकते है कि किसी अधिकारी की अधिकारिता ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग पर रहेगी, और जब तक इस विनिर्देश से अन्यथा कोई अन्य निर्देश नहीं किए जाए तब तक उस अधिकारी या उसके प्रतिस्थापनी अधिकारी की अधिकारिता उन व्यवहारी पर बनी रहेगी और प्रतिस्थापनी अधिकारी प्रकरण का निस्तारण उसी स्तर से प्रारम्भ कर सकता है जिस स्तर पर पूर्वाधिकारी द्वारा छोडा गया था।

अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

4 (1) अधोलिखित सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्राधिकारी स्तम्भ (3) में उल्लिखित प्राधिकारी के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे

क्रमांक	प्राधिकारी	अधीक्षण एवं नियन्त्रण
1-	व्यवस्थापन आयोग का अध्यक्ष, अधिकरण का सभापति और कमिश्नर	राज्य सरकार
2-	अधिकरण का सदस्य	अधिकरण का सभापति
3-	व्यवस्थापन आयोग का सदस्य	व्यवस्थापन आयोग का अध्यक्ष
4-	अधिकरण का निबन्धक	अधिकरण का सभापति
5-	व्यवस्थापन आयोग का निबन्धक	व्यवस्थापन आयोग का अध्यक्ष
6-	विशेष कमिश्नर, अपर कमिश्नर और संयुक्त कमिश्नर और अन्य सभी अधिकारी	कमिश्नर

(2) व्यवस्थापन आयोग, अधिकरण का सभापति और कमिश्नर की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य पर होगी।

(3) व्यवस्थापन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिनियम की धारा 65 एवं

तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सौंपे गये कृत्यो का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेगे ।

(4) अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिनियम की धारा 57 एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सौंपे गये कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(5) कमिश्नर इस अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सौंपे गये कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और धारा 55 में प्रदत्त अपीलीय शक्ति के अतिरिक्त अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त शक्तियों को प्रयोग करेंगें ।

(6) कमिश्नर इस अधिनियम के प्राविधानों एवं तद्धीन विर्निमित नियमों के सुसंगत दिशा निर्देश अपने अधीनस्थों को जारी करेगें जो इस अधिनियम के प्राविधानों एवं तद्धीन विर्निमित नियमों के कार्यान्वन की प्रक्रिया से सम्बन्धित होगें ।

(7) कमिश्नर के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए -

(क) कमिश्नर में विहित शक्तियों का प्रयोग विशेष कमिश्नर एवं अपर कमिश्नर भी करेगें ।

(ख) समस्त संयुक्त कमिश्नर और उप कमिश्नर अधिनियम एवं तद्धीन निर्मित नियमावली मे विहित अथवा उसके द्वारा सौपे गये दायित्वों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेगे ।

(ग) इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली में सौंपे गये दायित्वों एवं शक्तियों का प्रयोग अन्य समस्त अधिकारी करेंगें ।

(8) इस अधिनियम के प्राविधानों एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार, नाम से अथवा पदनाम से जैसा वह उचित समझे, अन्य अधिकारी नियुक्त अथवा तैनात कर सकती है ।

(9) इस अधिनियम मे विहित प्राधिकारी अपनी-अपनी अधिकारिता, जैसा कि इस अधिनियम एवं सुसंगत नियमावली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट या अधिसूचित होगा, में शक्ति का प्रयोग करेंगें ।

(10) व्यवस्थापन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अधिकरण के सभापति एवं सदस्य के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राधिकारी कमिश्नर के अधीक्षण एवं सामान्य नियंत्रण में रहते हुए इस अधिनियम या नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगें ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर इस सामान्य नियंत्रण एवं अधीक्षण कार्य में अपीलीय अधिकारी को कोई ऐसा आदेश, निर्देश, या निदेश नहीं देगे जिससे अपीलीय प्राधिकारी के अपीलीय कार्य के विवेकाधिकार मे हस्तक्षेप हो ।

कर निर्धारण का अधिकार और इसके आनुषंगिक प्रकरण **5**

(1) उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर और वाणिज्य कर अधिकारी को अपनी-अपनी अधिकारिता में कर निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी।

(2) उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, अथवा वाणिज्य कर अधिकारी जो धारा 45 एवं 48 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त है, और प्रत्येक अधिकारी सिवाय ऐसे अधिकारी के जो वाणिज्य कर अधिकारी से निम्न पंक्ति का हो, और जो धारा 49 के अन्तर्गत स्थापित जॉंच चौकी या नाका पर तैनात हो, उस मण्डल में कर निर्धारक प्राधिकारी माना जाएगा जिस मण्डल में ऐसे अधिकारी का कार्यालय स्थित है।

(3) नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कारपोरेट मण्डल में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण) किसी मण्डल में तैनात उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, या वाणिज्य कर अधिकारी अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्यरत व्यवहारियों के कर निर्धारक प्राधिकारी होगें, और जहॉं किसी कारपोरेट मण्डल में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण), उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, या वाणिज्य कर अधिकारी की समस्त व्यवहारियों पर समवर्ती अधिकारिता है, वहाँ कमिश्नर, व्यवहारियों, या व्यावहारियों के वर्ग या वाद या वादों के वर्ग के संबंध में यह विर्निदिष्ट करेगें कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी किसका कर निर्धारक अधिकारी होगा।

(4) किसी मण्डल में कमिश्नर द्वारा नामित अथवा तैनात पंजीकरण प्राधिकारी की उस मण्डल के समस्त कर निर्धारक प्राधिकारियों के साथ समवर्ती अधिकारिता होगी।

(5) धारा 45 और 48 की समस्त अथवा किसी शक्ति का प्रयोग, अधोलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित अधिकारी उनके प्रत्येक के सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित अधिकारिता क्षेत्र मे करेग:-

सारणी	
अधिकारी का पद नाम	**अधिकार क्षेत्र**
1	**2**
कमिश्नर एवं विशेष कमिश्नर	सम्पूर्ण प्रदेश
कमिश्नर के कार्यालय में तैनात अपर कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर, उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर और वाणिज्य कर अधिकारी	सम्पूर्ण प्रदेश
संयुक्त कमिश्नर (प्रर्वतन) उप कमिश्नर (प्रर्वतन) उप कमिश्नर (जांच चौकी), तथा विशेष अनुसंधान शाखा, सचल दल या जांच चौकी या नाका पर तैनात समस्त उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी	सम्पूर्ण प्रदेश

संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक)	सम्भाग (रीजन)
किसी कारपोरेट मण्डल में तैनात संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण)	कारपोरेट मण्डल
मण्डल मे तैनात उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी	मण्डल
व्यवस्थापन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकरण के सभापति एवं सदस्य, अपर कमिश्नर (अपील), संयुक्त कमिश्नर (अपील) और व्यवस्थापन आयोग तथा अधिकरण के अधिकारियों के अलावा अन्य समस्त अधिकारी	जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करें।

प्रतिबन्ध यह है कि अपने अधिकारिता की सीमा से बाहर के क्षेत्र में उक्त धाराओं की किसी शक्ति के प्रयोग के लिए अगले उच्चतर प्राधिकारीं की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर के कार्यालय में तैनात अधिकारी के द्वारा अधिकारों का प्रयोग कमिश्नर की पूर्वानुमति से ही किया जा सकेगा।

(6) धारा 45 एवं 48 में कार्य करने हेतु उपनियम (5) में सशक्त अधिकारी की, उसकी अधिकारिता के मण्डल या मण्डलों के कर निर्धारण प्राधिकारी के साथ समवर्ती अधिकारिता रहेगी।

(7) इन नियमों के प्रयोजनार्थ, धारा 33 की उपधारा 11 के अधीनं सशक्त या अधिकृत उप कमिश्नर या सहायक कमिश्नर उस मण्डल में कर निर्धारण अधिकारी माना जाएगा जिसमें उसका कार्यालय स्थित है।

कर निर्धारक प्राधिकारी की अधिकारिता 6

(1) यदि कोई व्यवहारी केवल एक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में कारबार कर रहा है तो वह अधिकारी ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा और वह स्थल जहाँ वह कारबार कर रहा है उसका मुख्य कारबार स्थल समझा जाएगा।

(2) यदि कोई व्यवहारी एक से अधिक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में कारबार करता है, ऐसी स्थिति में कारबार प्रारम्भ करने के तीस दिन के भीतर वह अपने किसी एक कारबार स्थल को उत्तर प्रदेश मे मुख्य कारबार स्थल घोषित करते हुए इसकी सूचना उन सभी सहायक कमिश्नर को देगा जिनके अधिकारिता सीमा मे उसके अन्य कारबार स्थल है। जिस सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में मुख्य कारबार स्थल घोषित किया गया है; वह इस कारबारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का विभाग या कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन जिसका कारबार स्थल एक से अधिक सहायक कमिश्नर की अधिकारिता सीमा में है ; कमिश्नर या उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे विभाग,

कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन के लिए प्रत्येक सहायक कमिश्नर जिनकी अधिकारिता सीमा में कारबार स्थल स्थित है, कर निर्धारक अधिकारी आदेशित कर सकता है, या ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन केकिसी एक कारबार स्थल को उत्तर प्रदेश में मुख्य कारबार स्थल घोषित करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है ; वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता सीमा में विभाग, कम्पनी, निगम, उपक्रम, बोर्ड और फैडेरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्य कारबार स्थल घोषित किया गया है, कर निर्धारक अधिकारी होगा।

(3) यदि किसी व्यवहारी का मुख्य कारबार स्थल उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है और वह व्यवहारी उत्तर प्रदेश में केवल एक ही स्थान पर कारबार करता है तब वह सहायक कमिश्नर जिसके अधिकारिता सीमा में व्यवहारी का कारबार स्थल उत्तर प्रदेश मे है, उस व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

(4) यदि किसी व्यवहारी का मुख्य कारबार स्थल उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है और वह व्यवहारी, उत्तर प्रदेश में एक से अधिक सहायक कमिश्नर के अधिकारिता सीमा में कारबार करता है, ऐसा व्यवहारी कारबार प्रारम्भ करने के 30 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश मे एक कारबार स्थल घोषित करेगा और इसकी सूचना उन सभी सहायक कमिश्नर को देगा जिनकी अधिकारिता सीमा मे उसके अन्य कारबार स्थल है। वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता में इस प्रकार धोषित मुख्य कारबार स्थल है, उस व्यवहारी का कर निर्धारण प्राधिकारी होगा।

(5) यदि किसी व्यवहारी द्वारा उपनियम (2) अथवा उपनियम (4) में विर्निदिष्ट समय सीमा के अर्न्तगत घोषण नहीं की गई है, कमिश्नर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत संयुक्त कमिश्नर की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी उनकी ओर से किसी सहायक कमिश्नर को ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी अवधारित कर सकता है ओर यह निर्णय अन्तिम होगा।

(6) यदि किसी व्यवहारी का स्थायी कारबार स्थल नहीं है ; वह सहायक कमिश्नर जिसकी अधिकारिता सीमा में ऐसा व्यवहारी सामान्यतया निवास करता है, ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

(7) ऐसे प्रकरण जिसमें धारा 52 के अर्न्तगत जांच चौकी से वस्तु के पारगमन का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया है, जांच चौकी का प्रभारी अधिकारी, या अन्य प्रकरण में जिस अधिकारी ने ऐसा प्राधिकार पत्र जारी किया है, वह इस अधिनियम के अर्न्तगत समस्त कार्यो के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

(8) यदि किसी व्यवहारी ने उपरोक्त उपनियमों के अर्न्तगत घोषणा की है या विर्निदिष्ट समय सीमा में घोषणा करने में असफल रहा है, उसे घोषणा में परिवर्तन करने या घोषणा करने जैसी भी स्थिति हो, का अनुज्ञात नहीं रहेगा जब तक कि वह ऐसा करने के लिए कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी से, और उन शर्तों के साथ जैसा वे उचित समझें, पूर्वानुमति न प्राप्त कर ले।

(9) जहॉं भी कोई सन्देंह है, या इस नियम का कोई उपनियम लागू नहीं होता है, कमिश्नर किसी सहायक कमिश्नर को ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारक प्राधिकारी अवधारित करेगा और कमिश्नर का यह निर्णय अन्तिम होगा।

(10) किसी उपनियम मे अन्य तथ्य के होते हुए भी, ऐसे प्रकरण जिसमें व्यवहारी ने किसी कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के प्रथम दिनांक के उपरान्त किसी अन्य दिनांक को अपने कारबार स्थल में परिवर्तन किया है और जिसके परिणाम स्वरुप एक कर निर्धारण वर्ष के लिए एक से अधिक कर निर्धारक प्राधिकारी हो जाए, उस कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार के अन्तिम भाग का कर निर्धारक प्राधिकारी सम्पूर्ण कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी होगा।

(11) उपनियम (7) एवं (10) के अतिरिक्त अन्य समस्त उपनियम ट्रांसपोर्टर (परिवहन कर्ता), संवाहक, अथवा अग्रेषण अभिकर्ता, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर और वेयर हाउस, शीतगृह या गोदाम का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति जो राज्य में परिवहन, संवाहक या अग्रेषण अभिकर्ता या भणडारण का कार्य करता है, पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा।

अध्याय - दो
कर का आपात एवं देयता

बिक्री आवर्त का अवधारण 7 बिक्री आवर्त के अवधारण हेतु, धारा 7 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक), (दो) या (तीन) के अन्तर्गत हुई बिक्री का आवर्त, सकल बिक्री आवर्त से कम कर दिया जाएगा।

कर योग्य बिक्री आवर्त का अवधारण 8 कर योग्य बिक्री आवर्त के अवधारण हेतु, नियम-7 के अनुरुप अवधारित बिक्री आवर्त मे से निम्नलिखित धनराशि कम कर दी जाएगी यदि यह बिक्री आवर्त मे सम्मिलित हैं -

(एक) वह समस्त धनराशियॉ जो छूट के रुप मे प्रदान की गई है, प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी द्वारा यह छूटे, कारबार की सामन्य प्रक्रिया के अनुरूप प्रदान की गई हो।

(दो) इस अधिनियम के प्रविधानों के अध्यधीन, बिक्री के 6 माह के भीतर की गई माल वापिसी के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को अनुमन्य धनराशियॉ ; प्रतिबन्ध यह है कि -

(क) विक्रेता व्यवहारी , क्रेता व्यवहारी को क्रेडिट नोट जारी करे, तथा क्रेता व्यवहारी से डेविट नोट प्राप्त करे।

(ख) लेखो मे माल बिक्री एवं माल वापिसी का दिनांक और वह दिनांक जिसमे उक्त वापिसी की धनराशि या क्रेडिट नोट अनुमन्य किया गया हो, दर्शित हों

(तीन) व्यवहारी द्वारा अपना कारबार समग्र रुप से विक्रय करने के फलस्वरुप

प्राप्त धनराशि ।

(चार) नान वैट वस्तुओ को प्रान्त भीतर से खरीद कर पुर्नविक्रय करने से प्राप्त धनराशि ।

(पाँच) अधिनियम मे करमुक्त वस्तुओ की बिक्री आवर्त की सम्पूर्ण धनराशि ।

(छः) वस्तुओं की वह समस्त बिक्री आवर्त की धनराशि जो धारा (7) के बन्ध (ग) के प्राविधानों के अनुसार कर मुक्त है ।

(सात) उन वस्तुओ की बिक्री आवर्त की समस्त धनराशि जिनके सम्बन्ध मे व्यवहारी द्वारा वास्तविक देयकर के स्थान पर अधिनियम की धारा 6 मे एक मुश्त भुगतान योजना का विकल्प चुना है ।

(आठ) वस्तु की बिक्री पर देय कर की वह समस्त धनराशि जो विक्रेता द्वारा क्रेता से कर के रूप मे टैक्स इन्वाइस मे अलग से वसूल की गई है ।

(नौ) ऐसे व्यवहारी, जिसके सम्बन्ध में धारा 6 लागू होती है, से भिन्न व्यवहारी की दशा में जहाँ किसी विक्रय के सम्बन्ध में कर देय है और व्यवहारी ने देय कर अलग से वसूल नही किया है, कर की धनराशि का आगणन निम्न सूत्र से किया जाएगा :-

$$\text{कर की धनराशि} = \frac{\text{बिक्री आवर्त x कर की दर}}{100 + \text{कर की दर}}$$

प्रतिबन्ध यह है कि सकर्म कार्य संविदा एवं वस्तु के प्रयोग का अधिकार हस्तान्तरण के मामले मे हस्तान्तरित वस्तु का बिक्री आवर्त एवं कर देय बिक्री आवर्त का अवधारण नियम 9 एवं नियम 10 के प्राविधानो के अनुसार किया जाएगा ।

किसी संकर्म संविदा के निष्पादन मे अन्तर्ग्रस्त माल की बिक्री के आवर्त का अवधारण

9 (1) इस नियमावली के अन्य प्राविधानो के अधीन रहते हुए, सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे प्रयुक्त वस्तु, जिसका बिक्री के उपरान्त सम्पत्ति के रुप मे (चाहे वस्तु के रूप मे अथवा अन्य किसी रूप मे) अंतरण हुआ है, की बिक्री आवर्त पर कर की गणना कर योग्य वस्तु की कर योग्य बिक्री आवर्त पर की जाएगी एवं अधोलिखित विनिर्दिष्ट राशिया यदि सकर्म कार्य संविदा मे प्राप्त हुई है, या प्राप्त होने वाली धनराशियों में सम्मिलित हैं, तो इन्हे घटा दिया जाएगा ।

(क) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे खपत हो गई वस्तुओं, जिनका अंतरण सम्पत्ति के रूप में नही हुआ है, के मूल्य की समस्त धनराशियाँ ;

(ख) करमुक्त वस्तुओं के लाभ सहित मूल्य, की समस्त धनराशियाँ ;

(ग) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भाड़े पर ली गई मशीन एवं उपकरण पर भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य भाड़ा की समस्त धनराशियाँ ;

(घ) सेवा और मजदूरी एवं इस पर लाभ, की समस्त धनराशियाँ;

(ङ) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे अन्तर्ग्रस्त विक्रीत वस्तु का

मूल्य जिसका सम्पत्ति के रुप मे अंतरण अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य मे हुआ है।

(च) सकर्म कार्य संविदा के निष्पादन मे अन्तर्ग्रस्त बिक्रीत वस्तु का मूल्य जिसका सम्पत्ति के रुप मे अंतरण भारत की सीमा के बाहर निर्यात मे या भारत की सीमा के भीतर आयात मे हुआ है।

(छ) उन समस्त वस्तुओ का मूल्य जिसका बिक्री के उपरान्त अंतरण सम्पत्ति के रुप मे प्रान्त से बाहर हुआ है।

(ज) सकर्म संविदा कार्य का निष्पादन करने वाला व्यवहारी, जो ऐसी वस्तुओं की खरीद पर कर देने के लिए स्वयं दायी है, के द्वारा प्रान्त के भीतर से खरीदे गए नान वैट गुडस की समस्त धनराशियाँ ;

(झ) व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यवहारी से खरीदी गई नान-वैट वस्तुओ के मूल्य की समस्त धनराशियाँ ;

(ञ) संविदी के द्वारा मजदूर उपलब्ध कराने एवं सेवा प्रदान करने से सम्बन्धित स्थापना का खर्च और इस प्रकार के अन्य खर्चे, एवं इन पर लाभ की धनराशि।

स्पष्टीकरण - खण्ड (क), एवं (ङ) से (ज) तक निर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य मे उस पर लाभ भी सम्मिलित रहेगा।

(2) संविदा की किसी शर्त का उल्लघन होने के कारण संविदी द्वारा संविदा मूल्य से काटी गई धनराशि उस संविदा के लिए संविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि मानी जाएगी।

(3) यदि संविदाकार द्वारा रखे गए लेखो मे मजदूरी एवं सेवाओ का मूल्य, तथा इस पर अर्जित लाभ अलग से दर्ज न हो या व्यवहारी द्वारा रखे गए लेखे विश्वास योग्य न हो, या व्यवहारी ने कोई लेखे रखे ही न हो, ऐसी दशा मे सम्पत्ति के रुप मे अंतरित वस्तु के मूल्य आवर्त को अवधारित करने के लिए नीचे की सारणी मे वर्णित कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यों मे व्यवहारी को प्राप्त हो चुकी या प्राप्त होने वाली सकल धनराशि का बीस प्रतिशत मजदूरी, सेवा तथा उस पर अर्जित लाभ की मद मे सकल आवर्त से घटा दिया जाएगा और उक्त की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित या वर्णित प्रकरणों मे उनके सम्मुख स्तम्भ 3 मे अंकित प्रतिशत दर से मजदूरी एवं सेवा मूल्य तथा उस पर अर्जित लाभ की गणना करके सकल आवर्त से घटा दिया जाएगा।

सारणी

क्र0 सं0	संकर्म संविदा का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)
1	संयत्र एवं मशीनरी का निर्माण एवं संस्थापन	10%
2	सरचनाओ का निर्माण एवं उन्हे खड़ा करना जिसमे लोहे के ट्रसेस, परलाइन का निर्माण,पूर्ति एवं ख़ड़ा करना सम्मिलित है	10%

3	क्रेन तथा उत्तोलक का निर्माण एवं संस्थापन	10%
4	लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स का निर्माण एवं संस्थापन	10%
5	वातानुकूलन संयत्र, जिसमे डीप फ्रीजर, शीतग्रह संयत्र, आद्रीकरण संयत्र (हयूमिडीफिकेशन प्लांन्ट) एवं अनाद्रिकरण (डिन्हयूमिडी फायर) सम्मिलित हैं, की आपूर्ति एवं संस्थापन	10%
6	वातानुकूलन एवं वायु प्रशीतक की आपूर्ति एवं सस्थापन	10%
7	बिजली सामान की आपूर्ति एवं फिटिंग, बिजली उपकरण जिसमें ट्रॉसफारमर सम्मिलित है की पूर्ति एवं सस्थापन	10%
8	फर्नीचर एव फिक्सचर, विभाजक की आपूर्ति एव फिक्सिंग तथा आंतरिक सज्जा का कार्य	10%
9	रेलवे द्वारा आपूर्ति किये गये अन्डर कैरिज पर रेलवे कोच और वैगन का निर्माण	10%
10	मोटर वाहन की बाडी और ट्रेलर का निर्माण	10%
11	रोलिंग शटर एव कोलेप्सबिल गेट का निर्माण एव सस्थापंन	30%
12	सिविल कार्य जैसे भवन, पुल, सडक, बॉध, बैराज, स्पिल वे एव डाईवर्जन, सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण।	30%
13	दरवाजे,दरवाजे का ढॉंचा, खिड़की, खिड़की का ढ़ाचा एवं ग्रिल का संस्थापन	30%
14	टाइल्स, स्लैव, पत्थर एवं शीटस की आपूर्ति एवं फिक्सिगं	30%
15	प्लम्बिग, ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम की सैनेटरी फिटिंग	30%
16	पुताई, पेन्टिग, एवं पौलिशिंग।	40%

स्पष्टीकरण :- यदि किसी संकर्म संविदा का निष्पादन कई टैक्स पीरियड या कई कर निर्धारण वर्ष मे किया जाता है तब इस नियम के लिए मजदूरी एवं सेवा और उस पर अर्जित लाभ के मद मे की गई कटौती का योग इस प्रकार की सकर्म संविदा के लिए प्राप्त होने वाली सकल धनराशि पर इस मद मे देय कुल कटौती के प्रतिशत से अधिक नही होगा।

(4) सन्देह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अन्तर्गत सकर्म संविदा के निष्पादन मे बिक्रीत माल की धनराशि का आगणन करने हेतु निम्नलिखित प्रकृ ति की धनराशियॉ सकल प्राप्तियो से कटौती नही की जाएगी --

(क) वह धनराशि जो किसी कर, शुल्क या लेवी के रुप मे कटौती की जानी प्रस्तावित हो।

(ख) संविदाकार से संविदा की किसी शर्त का उल्लघन होने से हुए नुकसान या दंड या जुर्माना या अन्य किसी नाम से संविदी द्वारा की गई कटौती की धनराशि।

(ग) संविदाकार से क्षतिपूर्ति के रुप मे संविदी द्वारा कटौती की धनराशि।

किसी माल के प्रयोग का 10 वस्तु की बिक्री आवर्त पर कर जिसमे कर योग्य वस्तु की ऐसी बिक्री, किसी भी

अधिकार के हस्तान्तरण मे बिक्री आवर्त का अवधारण

उद्देश्य के लिए प्रयोग का अधिकार हस्तान्तरण द्वारा (चाहे निश्चित समय या इसके बिना) नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई हो, का आगणन ऐसे कर योग्य वस्तु की बिक्री के आवर्त पर होगा। कर योग्य बिक्री आवर्त को अवधारित करने के लिए इस वस्तु की सकल बिक्री की धनराशि मे यदि अधोलिखित धनराशि सम्मिलित है, तो घटा दिया जाएगा-

(क) किसी कर मुक्त वस्तु के प्रयोग के अधिकार का हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाली धनराशि।

(ख) ऐसे हस्तान्तरण के उपरान्त उपयोगकर्ता व्यक्ति द्वारा वस्तु मे किसी नुकसान होने या भुगतान मे व्यक्तिक्रम किए जाने पर अर्थदण्ड, क्षति की एवज मे प्राप्त होने वाली धनराशि।

(ग) किसी उद्देश्य के लिए वस्तु के प्रयोग का अधिकार हस्तान्तरण के अनुबन्ध या सहमति के फलस्वरुप वस्तु के हस्तान्तरण, परिदान या आपूर्ति की एवज मे पट्टेदार से पट्टा कर्ता को निम्न प्रकार की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि है -

(एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान

(दो) प्रान्त से बाहर बिक्री या

(तीन) भारत की सीमा के बाहर निर्यात या भारत की सीमा के बाहर से आयात।

स्पष्टीकरण- वस्तु के प्रयोग के हस्तान्तरण का अधिकार के समझौते के अनुसार इस अधिकार का प्रयोग एक से अधिक कर निर्धारण वर्ष मे हो तो जिस कर निर्धारण वर्ष मे वस्तु का हस्तान्तरण हुआ है उसके अगले वर्ष की कर योग्य बिक्री आवर्त गणना हेतु जिस कर निर्धारण वर्ष मे वस्तु का हस्तान्तरण हुआ है उसके अगले वर्षो के लिए वह प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन से हस्तान्तरित समझी जाएगी।

क्रय के आवर्त का अवधारण

11 इस अधिनियम के अन्तगर्त क्रय आवर्त पर संदेय कर की गणना करदेय वस्तु के क्रययोग्य आवर्त पर होगी और इस उद्देश्य के लिए क्रय आवर्त का अवधारण करने में अधोलिखित धनराशियॉ यदि क्रय के सकल आवर्त का भाग है, तो घटा दी जाएगी -

(क) व्यवहारी को प्राप्त छूट की समस्त धनराशियाँ, प्रतिबन्ध यह है कि विक्रेता द्वारा इस प्रकार की छूट सामान्य कारबार की प्रक्रिया के रूप मे दी गई हो या अनुबन्ध की शर्त या सहमति के आधार पर किसी विशिष्ट मामले मे प्रदान की गई हो, अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि लेखों में दर्शित हो कि क्रेता द्वारा वास्तविक भुगतान, छूट की राशि को घटा कर ही किया गया हो।

(ख) अधिनियम के प्रविधानो के अध्यधीन, व्यवहारी को माल वापसी के मूल्य की धनराशि, यदि व्यवहारी ने क्रय किए गए माल को प्राप्ति के 6 माह के भीतर विक्रेता को वापस किया है।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि -

(1) क्रेता व्यवहारी वापिस किए गए वस्तु के क्रयमूल्य का डेबिट नोट विक्रेता व्यवहारी को जारी करेगा तथा विक्रेता से उस धनराशि का क्रेडिट नोट प्राप्त करेगा।

(2) वस्तु की खरीद, प्राप्ति एवं वापिस किए जाने और साथ ही धनराशि वापिस या क्रेडिट प्राप्त होने का दिनांक लेखो मे दर्ज हो।

(ग) पंजीकृत व्यवहारी से खरीदे गए समस्त नान वैट वस्तुओ की धनराशि जिनके लिए विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिक्री इन्वाइस क्रेता के पास है ;

(घ) नान वैट वस्तुओ के अलावा समस्त कर योग्य वस्तुओ की पंजीकृत व्यवहारी से की गई खरीद, जिसके विक्रेता द्वारा जारी टैक्स इन्वाइस क्रेता के पास है ;

(ङ) करमुक्त वस्तुओ की खरीद की समस्त धनराशि ;

(च) कारबार की सम्पूर्ण खरीद करने पर खरीद की धनराशि।

(छ) धारा 7 के खण्ड (ग) के प्राविधान के अन्तर्गत जिन वस्तुओ की खरीद पर कर दायित्व नही है, ऐसी वस्तुओ की खरीद की धनराशि।

(ज) धारा 7 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक), (दो) या (तीन) मे से किसी से आच्छादित खरीद वाली वस्तुओ का क्रयधन।

कर, अर्थदण्ड, शुल्क या अधिनियम मे अन्य किसी संदेय धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया

12 (1) अधिनियम अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत देय शुल्क या इन नियमो मे विहित कोई फार्म, घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का शुल्क या मूल्य की धनराशि यदि 100/- से अधिक नही है, का भुगतान प्रार्थना पत्र सममूल्य के कोर्ट फीस स्टैम्प (न्यायायिक शुल्क टिकट) चिपका कर किया जाएगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्यायालय शुल्क टिकट उपलब्ध न हो तब उपनियम (1) मे सन्दर्भित शुल्क का भुगतान कोषागार मे उपनियम (2) मे विहित रीति से किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के प्रविधानों के अध्यधीन जब तक स्पष्ट रुप से विहित न हो, इस अधिनियम या नियमावली के अधीन देय कर, शुल्क, अर्थदण्ड, ब्याज, समाधान राशि, बिक्री आगम, घोषणा पत्र, या प्रमाण पत्र का मूल्य या अन्य कोई धनराशि अधोलिखित रीति मे से किसी एक के द्वारा चार प्रतियो मे ट्रेजरी चालान से जमा की जाएगी -

(क) कोषागार या उपकोषागार या भारतीय स्टेट बैंक या इसके समनुषंगी बैक या किसी पब्लिक सेक्टर बैक जो जमा को स्वीकार करने के लिए अधिनियम मे अधिकृत है, मे नगद ; या

(ख) ऐसे बैक मे जमाकर्ता के पक्ष में जारी ड्राफ्ट द्वारा ; या

(ग) ऐसे बैंक मे जमाकर्ता के द्वारा स्वयं के पक्ष मे या ऐसे बैंक मे स्वयं निकासी के लिये जारी चेक द्वारा ; या

(घ) राजकीय विभाग के मामले मे बही अंतरण द्वारा, यदि ऐसा चाहे ; या

(ङ) इलेक्ट्रानिक भुगतान द्वारा

(3) पंजीकृत व्यवहारी ट्रेजरी चालान की प्रत्येक प्रति पर अपनी करदाता पहचान संख्या अंकित करेगा । यदि जमाकर्ता व्यवहारी या व्यक्ति पंजीकृत व्यवहारी नहीं है तो वह "पंजीकृत व्यवहारी के अतिरिक्त व्यक्ति" लिखेगा।

(4) ट्रेजरी चालान फार्म-एक है।

(5) यदि किसी अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत माल को अवमुक्त करने के लिए नगद जमानत ली जाती है, तब जमानत लेने वाला वह अधिकारी ऐसी धनराशि की रसीद राज्य सरकार द्वारा विहित फार्म 385 मे जारी करेगा

(6) वह अधिकारी जिसने उपनियम (5) के अनुसार नगद धनराशि स्वीकार की है, उस धनराशि को बैंक, कोषागार या उपकोषागार मे इस नियम मे विहित रीति से व्यवहारी या उस व्यक्ति की ओर से जमा करेगा जिससे यह धनराशि ली गई है।

स्पष्टीकरण- जब तक कि कोई बात इन नियमों या किसी अन्य नियम के विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, बैंक का तात्पर्य उसकी शाखाओं से भी है।

बैक और कोषागार के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 13

(1) यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया, चेक या ड्राफ्ट या नगद जमा नियामानुकूल है, बैक इसे स्वीकार करके इस कार्य हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं बैक की मोहर लगाते हुए पावती देगा। पावती मे, जमा धनराशि शब्दो व अंक दोनो मे लिखी जाएगी। बैंक, चालान की प्रत्येक प्रति पर क्रम संख्या लिखेंगा।

(2) बैक का नाम एवं शाखा की पहचान हेतु वर्णाक्षर क्रमसंख्या से पहले लिखा जाएगा।

(3) चालान की "सी" एवं "डी" अंकित दो प्रतियॉ जमाकर्ता को वापस की जाएगी जमाकर्त्ता "सी" प्रति सहायक कमिश्नर को प्रस्तुत करेगा तथा "डी" प्रति अपने पास रखेगा।

(4) प्रत्येक दिवस के अन्त मे बैंक की प्रत्येक शाखा रोकी गई चालान की "ए" एवं "बी" प्रति को चालान नम्बर के क्रमानुसार अलग-अलग सिल कर चालान की सूची सहित जिला या मण्डल जैसी भी स्थिति हो, के लिए इस कार्य हेतु नामित लिंक शाखा को भेजेगा।

(5) बैंक की लिंक शाखा चालान की "बी" प्रतियों को उनकी सूची की एक प्रति सहित, अगले कार्य दिवस से वाद मे पड़ने वाले दिन मे जिला या मण्डल जैसी भी स्थिति हो के सहायक कमिश्नर को भेजेगा।

(6) प्रत्येक बैंक की लिंक शाखा चालान की "ए" प्रतियॉ तथा इसकी सूची की दो प्रतियों सहित भारतीय स्टेट बैंक की इस कार्य हेतु नामित फोकल प्वाइन्ट शाखा को आने वाले कार्य दिवस मे भेजेगा। बैक की फोकल प्वाइन्ट शाखा द्वारा अगले कार्य दिवय मे चालान की "ए" प्रतियॉ, इनकी सूची की एक प्रति सहित कोषाधिकारी को भेज देगी।

कोषागार द्वारा सत्यापन एवं विसंगति का मिलान	14	(1) करनिर्धारक प्राधिकारी लिंक बैंक से प्राप्त चालान की "B" प्रतियो का लेखा फार्म दो मे रखेगा तथा जमाकर्ता द्वारा कार्यालय मे प्रस्तुत की गई चालान की "C" प्रति से मिलान करेगा। (2) यदि करनिर्धारक प्राधिकारी लिंक बैंक से प्राप्त चालान की प्रति तथा जमाकर्ता द्वारा दाखिल चालान की प्रति के मध्य कोई अन्तर पाता है, तब राजस्व की सुरक्षा हेतु एवं इस सम्बन्ध मे तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत की जाने वाली अन्य कार्यवाही करेगा। (3) राजस्व प्राप्तियो के सत्यापन हेतु करनिर्धारक प्राधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह मे कोषागार या उपकोषागार के प्रभारी अधिकारी को फार्म-तीन मे विवरण भेजेगा। (4) यदि सत्यापन के समय कोई त्रुटि पाई जाती है, करनिर्धारक प्राधिकारी त्रुटि के समाधान हेतु कोषागार या उपकोषागार को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराएगे।
सम्बन्धित प्राधिकारी को जमा की सूचना	15	करनिर्धारक प्राधिकारी किसी जमा धनराशि की सूचना ट्रेजरी चालान की प्रतिसहित उस अधिकारी या प्राधिकारी को भेजेगे जिसके कार्यालय से सम्बन्धित जमा होगी।
कारबार की निरन्तरता समाप्त होने पर व्यवहारी द्वारा सूचना दिया जाना	16	(1) धारा-3 की उपधारा (5) मे सन्दर्भित व्यवहारी, कारबार की निरन्तरता समाप्त होने के 30 दिन के भीतर फार्म-चार मे अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को सूचित करेगा। (2) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि व्यवहारी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र सही है, वह धारा 17 की उपधारा-11 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करके व्यवहारी को सूचित करेगा।
अभिकर्ता द्वारा मूल व्यवहारी को जारी किये जाने वाले प्रमाणपत्रो का प्रारूप	17	(1) प्रत्येक व्यवहारी, जो मूल व्यवहारी की किसी कर योग्य वस्तु की उसकी ओर से बिक्री करता है, वह मूल व्यवहारी को इस बिक्री एवं इस पर जमा किये गये कर का प्रमाण पत्र फार्म-पाँच मे देगा। (2) प्रत्येक व्यवहारी जो, मूल व्यवहारी के लिए और उसकी ओर से किसी कर योग्य वस्तु की खरीद करता है, वह मूल व्यवहारी को ऐसी वस्तु की खरीद एवं जमा किये गये कर का प्रमाण पत्र, फार्म-छः मे देगा।
सूचियाँ जो रखी जानी हैं	18	(1) प्रत्येक व्यवहारी अपने पास धारित निम्न सामानो की सूची रखेगा :- (क) अधिनियम के अन्तर्गत कर दायित्व प्रारम्भ होने का दिनांक मे धारित आरम्भिक रहतिया। (ख) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिवस में अवशेष अन्तिम रहतिया। (ग) धारा 6 मे समाधान की अवधि प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस का आरम्भिक रहतिया। (घ) धारा 6 मे समाधान अवधि का समापन होने के अन्तिम दिवस का अन्तिम रहतिया।

(ङ) कारबार बन्द करने पर बन्दी के दिनांक का रहतिया ।

(2) प्रत्येक निर्माता निर्मित एव अर्धनिर्मित सामानो मे उपयोग होने वाली वस्तुओ की सूची उपनियम (1) मे वर्णित दिनांक में रखेगा ।

(3) ऐसी वस्तुएं, जो उसी दशा मे है जिसमे खरीदी गयी हैं, के संबध मे उपनियम (1) के अनुसार बनाई गयी, और तैयार माल एवं अर्धनिर्मित माल में प्रयोग अथवा खपत होने वाले सामान की उपनियम (2) के अन्तर्गत बनाई गयी, सूचियो मं वस्तु की मात्रा या माप, उनका क्रय मूल्य एवं इन्पुट टैक्स की धनराशि लिखी जायेगी।

(4) प्रान्त के भीतर व प्रान्त कि बाहर से खरीदे सामान की सूची अलग-अलग बनाई जाएगी ।

(5) जिस व्यवहारी पर कर दायित्व अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से आ रहा है, उसके द्वारा धारित वस्तुओ पर इन्पुट टैक्स की गणना नियम-19 के अनुसार की जायेगी ।

(6) कमिश्नर, कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली सूचियो के प्रारूप को विहित कर सकता है ।

करदेयता आरम्भ होने के दिनांक में धारित वस्तुओं के आरम्भिक रहतिया पर इन्पुट टैक्स की गणना

19 (1) धारा 13 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में सन्दर्भित वस्तुओ के इन्पुट टैक्स की गणना निम्न सूत्र से की जायेगी :-

$$\text{इन्पुट टैक्स की धनराशि} = \frac{\text{खरीदी गयी वस्तुओ का डीम्ड क्रय मूल्य x कर की डीम्ड दर}}{100}$$

जहाँ :-

(क) वस्तु का डीम्ड क्रय मूल्य है :-

(एक) विक्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रय बिल अथवा कैश मेमो मे जिस विक्रय मूल्य पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत देय कर अलग से वसूल किया है ।

(दो) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत क्रेता व्यवहारी ने ऐसी वस्तु के जिस क्रय मूल्य पर स्वयं कर जमा किया है ।

(तीन) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 मे उपभोक्ता के बिन्दु पर कर देय वस्तु का वह विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर क्रेता ने बिना कर चुकाए उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली में विहित रूपपत्र III-क से खरीदा है ।

(चार) उन वस्तुओं का क्रय मूल्य जिनकी खरीद एवं बिक्री उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 मे कर मुक्त थी ।

(पांच) उन वस्तुओं का क्रय मूल्य जिनकी खरीद उन इकाइयो से की गयी थी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के किसी प्राविधान मे कर देयता से मुक्त थी ।

(छ:) वस्तु के क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत जबकि :-

(क) व्यवहारी ने वस्तुओ की खरीद प्रान्त भीतर के पंजीकृत व्यवहारी से की है; और

(ख) विक्रेता व्यवहारी ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत अलग से कर के रूप मे कोई धनराशि वसूल नही की है ।

(सात) जहां व्यवहारी, कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में स्टाक की मदवार सूची प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या हार्डवेयर, मिलस्टोर्स, दवाओं, जनरल मर्चेन्डाइस, स्टेश्नरी, बिजली की वस्तुओं, सिलेसिलाये परिधान, मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स के व्यापारों से सम्बन्धित वस्तुओं के प्रकार में अत्यधिक विविधता होने के कारण (पंजीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व छः माह के भीतर की गई खरीद) मदों का बिल / इनवाइस / कैशमेमो से मिलान में कठिनाई उत्पन्न हो वहाँ 31, दिसम्बर, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तैयार किये गये व्यापार लेखा के अनुसार अन्तिम स्टाक का 55 प्रतिशत ।

(ख) कर की डीम्ड दर होगी :-

(एक) कर की वह दर जिस दर से :-

(क) विक्रेता व्यवहारी ने बिक्री बीजक पर अलग से दिखाते हुए जिस दर से कर वसूल किया है, या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 की धारा 4 मे विहित कर की दर, दोनो मे से जो भी कम हो ; या

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत क्रेता व्यवहारी ने अपनी खरीद पर जिस दर से कर दिया हों या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 में विहित कर की दर, दोनो मे जो भी कम हो।

(दो) यदि विक्रेता व्यवहारी ने बिक्री बीजक या कैश मेमो पर कर या कर की दर अलग से नही घोषित की है तब पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 3(क) अथवा धारा 3(घ) मे विहित कर की दर अथवा अधिनियम की धारा 4 मे विहित कर की दर, दोनो मे जो भी कम है, जहां माल पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किया गया हो और बिल या कैशमेमो मे व्यापार कर की धनराशि अलग से नहीं प्रदर्शित की गई हो, या जहां व्यवहारी कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में स्टाक की मदवार सूची प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, या हार्डवेयर, मिलस्टोर्स, दवाओं, जनरल मर्चेन्डाइस, स्टेश्नरी, बिजली की वस्तुओं, सिलेसिलाये परिधान, मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स के व्यापारों से सम्बन्धित वस्तुओं के प्रकार में अत्याधिक विविधता होने के

कारण (पंजीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व छः माह के भीतर की गई खरीद) मदों का बिल / इनवाइस / कैशमेमो से मिलान में कठिनाई उत्पन्न हो वहाँ पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 3क या धारा 3घ के अधीन विहित कर की दर या अधिनियम की धारा 4 के अधीन उपबंधित कर की दर।

(तीन) अन्य सभी मामलो मे शून्य।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के अनुसार कर के डीम्ड दर की गणना करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3(ज) के अन्तर्गत देय एक प्रतिशत विकास कर को सम्मिलित नही किया जाऐगा।

(2) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) मे निर्दिष्ट वस्तुओ पर इन्पुट टैक्स की धनराशि की गणना, ऐसे मामलो मे जहां पंजीकृत व्यवहारी ने बिक्री बीजक पर अलग से कर वसूल नही किया है, निम्न सूत्र से की जाऐगी :-

$$\text{इन्पुट टैक्स की धनराशि} = \frac{\text{वस्तु का बिक्री मूल्य की धनराशि } \mathbf{x} \text{ लागू कर की दर}}{100 + \text{लागू कर की दर}}$$

जहाँ :-

(क) बिक्री बीजक पर घोषित बिक्री मूल्य वस्तु का बिक्री मूल्य है :-

(एक) क्रेता व्यवहारी का पूरानाम व पता अंकित हो और

(दो) पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी किया गया हो।

(ख) "लागू कर की दर" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 में विहित कर की दर है।

सूचियो का दाखिल किया जाना **20**

(1) प्रत्येक व्यवहारी अपने कर निर्धारक अधिकारी को नियम 18 के उप नियम (1) एवं (2) के अनुसार तैयार निम्न वस्तुओ के लिये सूचियो को प्रस्तुत करेगा, जो :-

(क) अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से कर योग्य होने वाले व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक में धारित वस्तुओं के आरम्भिक रहतिया की सूची अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर।

(ख) अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के बाद किसी दिनांक से कर योग्य होने वाले व्यवहारी कर योग्य होने के दिनांक में आरम्भिक रहतिये की सूची पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ।

(ग) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम दिनांक में अवशेष अन्तिम रहतिया, व्यापार के आवर्त एवं कर के वार्षिक रिटर्न के साथ

(2) प्रत्येक व्यवहारी जिसने :-

(क) व्यापार बन्द कर दिया है, वह व्यापार बन्द किये जाने के दिनांक

में धारित अन्तिम रहतिया की नियम 18 के उपनियम (1) एवं (2) के अनुसार तैयार सूची, व्यापार बन्द होने के टैक्स पीरियड का टैक्स रिटर्न के साथ कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 6 मे समाधान का विकल्प चुनने वाला व्यवहारी समाधान की अवधि प्रारम्भ होने के प्रथम दिन धारित आरम्भिक रहतिया की सूची नियम-18 के उपनियम (1) व (2) के अनुसार तैयार कर के, समाधान अवधि प्रारम्भ होने के प्रथम दिन से पूर्व का दिन जिस टैक्स पीरियड में पड़ता है उस टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत करेगा।

(ग) धारा 6 मे समाधान विकल्प किसी अवधि के लिए चुना है वह समाधान की अवधि की समाप्ति पर समाधान अवधि के अन्तिम दिन अवशेष अन्तिम रहतिया मे धारित वस्तुओं की सूची नियम 18 के उपनियम (1) एवं (2) के अनुसार तैयार करके समाधान अवधि के तुरन्त बाद में आने वाले दिनांक के टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक व्यवहारी ऊपर विहित सूचियो को कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप मे प्रस्तुत करेगा।

(4) उपनियम (1) के खण्ड (क) एवं (ख) के सम्बन्ध में :-

(क) यदि कर निर्धारक अधिकारी सन्तुष्ट है कि दी गई सूचनाए सही एवं पूर्ण है, तब वह उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन यथा उपबंधित सूची को दाखिल करने के लिए विहित अन्तिम दिनांक से चार माह की समाप्ति के पूर्व अधिनियम एवं नियमो के प्राविधानो के अनुरुप इन्पुट टैक्स की गणना करते हुए आदेश पारित करेगा और इस आदेश की प्रति व्यवहारी पर तामील कराएगा।

(ख) यदि अभिलेखो मे उपलब्ध तथ्यो के आधार पर कर निर्धारक अधिकारी संतुष्ट है कि, व्यवहारी द्वारा दी गई सूचनाए अपूर्ण और सही नही है या विश्वास किये जाने योग्य नही है, तब वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके यथावश्यक जाचोपरान्त, आध्यादेश और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार देय इन्पुट टैक्स की गणना करते हुए आदेश पारित करेगा तथा इस आदेश की एक प्रति व्यवहारी पर तामील कराएगा।

(ग) यदि कर निर्धारक अधिकारी खण्ड (क) एवं (ख) मे विहित समय सीमा के भीतर आदेश पारित नही करता है, संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) समुचित कारणो के विद्यमान होने से सन्तुष्ट होकर सामान्य या विशिष्ट प्रकरण मे कर निर्धारक अधिकारी को चार माह की समय सीमा के बाद भी परन्तु अगले टैक्स पीरियड जिसमे इन्पुट टैक्स क्रेडिट की प्रथम किश्त का दावा प्रस्तुत होना है, के रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक के पूर्व, आदेश

पारित करने की अनुमति दे सकता है।

ऐसे प्रकरण जिसमे इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही है 21 (1) उन वस्तुओ के सम्बन्ध में इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही है जो :-

(क) राज्य के बाहर के किसी स्थान के व्यवहारी से प्राप्त अथवी खरीदी गयी है, चाहे वह स्थान भारत की सीमा के भीतर या बाहर हो ;

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 अथवा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत कर का भुगतान किए बिना खरीदी गई है ;

(ग) जिन व्यवहारियो पर कर दायित्व अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से है उनके द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने का दिनांक के छह माह से पूर्व की किसी दिनांक में क्रय की गई हो।

(घ) जिन व्यवहारियो पर कर का दायित्व, अधिनियम प्रारम्भ होने के बाद की किसी दिनांक सें है, उनके द्वारा कर दायी होने के दिनांक के 6 माह पूर्व की किसी दिनांक में क्रय की गई है।

(ङ) जिन व्यवहारियो पर कर दायित्व अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से है और उनके द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का दिन मे समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि मे वस्तु प्रान्त भीतर से खरीदी गयी है परन्तु इस खरीद के लिए पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी क्रय बीजक नही है।

(च) जो व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के बाद की किसी दिनांक में करयोग्य हुए है और उनके द्वारा कर योग्य होने के दिनांक से पहले का दिन मे समाप्त होने वाली 6 माह, की अवधि की किसी दिनांक में प्रान्त अन्दर से खरीद की है, परन्तु इस खरीद के लिए पजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिक्री बीजक, जिसमें क्रेता व्यवहारी का नाम एवमं पूरा पता लिखा हो, क्रेता व्यवहारी के पास नही है ;

(छ) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का दिन मे समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि में व्यवहारी द्वारा प्रान्त भीतर से की गयी ऐसी खरीद जिस पर इन व्यवहारी का कर दायित्व उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में हो, परन्तु व्यवहारी यह प्रमाणित ना कर सकते हो कि इस वस्तु की खरीद पर क्रय कर जमा किया है ;

(ज) ऐसे व्यवहारी जिन पर अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से कर दायित्व है, के द्वारा प्रान्त के भीतर से अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का दिन मे समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि में की गयी ऐसी खरीदे जिन पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में कर का आपात नही हुआ है ; या

(झ) टैक्स पेयर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर प्राप्त होने के उपरान्त क्रय

की गई ऐसी वस्तुए जिनके टैक्स इनवाइस प्राप्त नही किया है ;

(ञ) व्यवहारी द्वारा क्रय की गयी ऐसी वस्तुए जिन के टैक्स इनवाइस की मूल प्रति नही है और यह खरीदे विक्रेता व्यवहारी के टैक्स रिर्टन के साथ दाखिल सूची से सत्यापित नही होती है ; या

(ट) व्यवहारी द्वारा कर दायित्व प्रारम्भ होने के दिनांक से आरम्भ तथा टैक्स पेयर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर प्राप्त होने के दिनांक को समाप्त होने वाली आवधि के मध्य में की गई ऐसी खरीदे, जिसके लिए विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिक्री इनवाइस पर क्रेता व्यवहारी का नाम वा पूरा पता लिखा हो, नही है ; या

(ठ) नान वैट वस्तुओ के अतिरिक्त ऐसी अन्य कर योग्य वस्तुए जिनकी बिक्री पर क्रेता व्यवहारी का कर दायित्व नही हो ; या

(ड) व्यवहारी का पंजीयन निरस्त होने के उपरान्त की गयी खरीदे ; या

(ढ) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) के प्राविधानो के अनुसार जो वस्तुएं पूँजी माल है, और ऐसे पूँजी माल -

(एक) व्यवहारी ने कर दायित्व से पूर्व की किसी दिनांक मे खरीदा है ;

(दो) व्यवहारी ने खरीद के उपरान्त कर मुक्त वस्तुओ के निर्माण में प्रयोग की है और इस प्रकार निर्मित कर मुक्त वस्तु का निर्यात भारत की सीमा के बाहर नही किया है ; या

(ण) ऐसे पूँजी माल जो धारा-2 के खण्ड (2) के प्रविधान के अनुसार धारा 13 में पूँजी माल नही माने गये है ।

(त) कैपटिव पावर प्लान्ट या कैपटिव पावर प्लान्ट के भाग, पुर्जे या उपस्कर ; या

(थ) अनुसूची चार के स्तंभ (2) मे वर्णित कर योग्य वस्तुए ;

(द) सकर्म सविंदा के निष्पादन में व्यवहारी द्वारा प्रयोग किए गए भारी अर्थमूवर्स या पूँजी माल ; या

(ध) यात्रियो या सामान या दोनो को ढोने वाले मोटर वाहन या अन्य वाहन ; या

(न) फैक्टरी या वर्कशाप के एअर कूलर, एअर कन्डीशनर्स, बिजली के पंखे, हीटर, एअर सर्कुलेटर, वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर जो बिक्री हेतु वस्तुओ के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकिग कार्य से सम्बन्धित न हो ; या

(प) सिविल कन्स्ट्रक्शन वर्क को निष्पादित करने के लिए व्यवहारी द्वारा कार्यालय निर्माण मे प्रयोग की गई सामग्री, या फर्नीचर, फिटिग्स, कार्यालय उपकरण, एअर कूलर, एअर कन्डीशनर, बिजली के पंखे, हीटर, एअर सर्कुलेटर, वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित न हो ; या

(फ) ऐसी वस्तुऐ, जिस पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही है, के अनुरक्षण, मरम्मत या चालू रखने के लिए, उपयोग किये गये पुर्जे,घटक,उपसाधन या कन्ज्यूमेंबिल ; या

(ब) धारा 6 के अन्तर्गत समाधान अवधि प्रारम्भ होने के दिन व्यवहारी के द्वारा धारित आरम्भिक रहतिए की वे वस्तुएं, जो जिस दशा और स्थिति मे खरीदी गई थी उसी दशा और स्थिति मे है ; या

(भ) धारा 6 के अन्तर्गत समाधान अवधि प्रारम्भ होने के दिन आरम्भिक रहतिए मे व्यवहारी द्वारा धारित तैयार माल या अर्धर्निमित माल के निर्माण अथवा प्रसस्करण, या पैकिंग के लिए प्रयोग या खपत गई वस्तुए ; या

(म) कारबार बन्द होने के दिनांक मे व्यवहारी के द्वारा अन्तिम रहतिए मे धारित वह वस्तुए जो जिस दशा एवं स्थिति मे खरीदी गई थी उसी दशा एवं स्थिति मे है ; या

(य) कारबार बन्द होने पर व्यवहारी के पास अन्तिम स्टाक मे धारित निर्मित या अर्धनिर्मित, सामान के निर्माण या प्रसस्करण मे उपयोग या खपत हुआ अथवा इस प्रकार निर्मित, प्रसंस्कृत माल की पैकिग मे उपयोग या खपत हुई वस्तुए ; या

(कक) किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाली वस्तु की पैकिंग हेतु प्रयोग या खपत हुई वस्तुए ; या

(कख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए वस्तु के निर्माण अथवा प्रसंस्करण मे प्रयोग या खपत हुआ या ऐसे निर्मित, प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिग मे प्रयोग अथवा खपत की गई वस्तु ; या

(कग) नान वैट गुडस के अतिरिक्त किसी अन्य कर योग्य वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिग में अथवा ऐसे अन्य निर्मित वस्तु की बिक्री, जिसकी खरीद पर क्रेता का कर दायित्व नही है, मे खपत या प्रयोग हुई वस्तु ; या

(कघ) धारा 6 की समाधान अवधि में वस्तु की पुन: बिक्री करने पर ; या

(कङ) वस्तु के निर्माण या प्रसस्करण मे प्रयोग हुआ है और इस प्रकार से निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु धारा 6 मे समाधान की अवधि मे बेची गई है ; या

(कच) उपहार मे दी गई या अन्य प्रकार से बिना मूल्य लिए बॉटी गई या खो गई या नष्ट अथवा चोरी हो गई है ; या

(कछ) किसी निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु या इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिग मे प्रयोग या खपत हुआ सामान, जिसको निर्माण या प्रसंस्करण के उपरान्त उपहार मे दिया गया, या बिना मूल्य लिए बॉट दिया गया या खो गया या विनष्ट हो

गया अथवा चोरी हो गया हो ; या

(कज) खरीद का दिनांक के 6 माह के भीतर विक्रेता व्यवहारी को वापस कर दिया हो ; या

(कझ) किसी करमुक्त वस्तु की पैकिग मे प्रयोग किया गया हो और वह करमुक्त वस्तु भारत की सीमा के बाहर निर्यात न की गई हो ; या

(कञ) किसी करमुक्त वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण मे या इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिग मे प्रयोग किया गया है, जिसे निर्माण प्रसंस्करण या पैकिग के बाद भारत के बाहर निर्यात न करके अन्य प्रकार से निस्तारित किया गया है ; या

(कट) नान वैट वस्तु के निर्माण, या प्रसंस्करण या पैकिग मे प्रयोग या खपत किया गया हो ; या

(कठ) वह अन्य वस्तुए जिनके सम्बन्ध मे या अन्य परिस्थितियो मे, अधिनियम के प्राविधानो के अनुरूप इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य नही है ।

(2) उन वस्तुओ के सम्बन्ध मे जिन्हे :-

(क) प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर उसी रुप एवं दशा मे पारेषित किया गया है, जिस रुप व दशा मे खरीदा गया था;

(ख) किसी ऐसे कर योग्य माल के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा ऐसी वस्तु की पैकिंग मे प्रयोग या खपत हुआ हो, जिसे प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया गया हो, सूत्र {पी x आर / 100} का प्रयोग करके इन्पुट टैक्स क्रेडिट के अंशिक भाग का लाभ दिया जाना अनुमन्य नही है :-

जहॉ :-

(एक) "पी" का तात्पर्य पारेषित की गई, या प्रयुक्त या खपत की गई वस्तु का क्रय मूल्य है ।

(दो) "आर" का तात्पर्य केंन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित कर की दर है ।

(3) वस्तु की वास्तविक खरीद किए बगैर प्राप्त की गई टैक्स इन्वाइस या बिक्री इन्वाइस के आधार पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही है ।

(4) जिस धनराशि के लिए विक्रेता व्यवहारी से क्रेता व्यवहारी को क्रेडिट नोट मिला है, उस धनराशि पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही है ।

(5) यदि व्यवहारी विहित समय एवं विहित प्रारूप मे स्टाक की सूची दाखिल करने मे असफल रहता है तब स्टाक पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही किया जाएगा ।

(6) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा-तीन (ज) के अन्तर्गत देय या दिया गया विकास कर पर किसी भी प्रकरण या परिस्थितियो मे इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही है ।

(7) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक मे खरीदी गई ऐसी वस्तुए, जो अधिनियम मे करमुक्त है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।

(8) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक में आरम्भिक रहतिये में धारित वस्तुओं, जिन पर व्यवहारी ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 7 (घ) के अन्तर्गत समाधान विकल्प का लाभ लिया है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।

(9) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक में आरम्भिक रहतिए मे धारित वस्तुएं, जिनकी खरीद अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व में की गई है, और जिनकी खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के खण्ड(ग) मे कर मुक्ति का लाभ लिया गया है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।

व्यापारी द्वारा उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना

22 (1) जहॉ कोई व्यवहारी, जो वस्तु की केवल खरीद एवं बिक्री का कारबार करता है (इस नियम मे इन्हे व्यवहारी संदर्भित किया गया है) और जिसने किसी वस्तु के सम्पूर्ण इन्पुट टैक्स धनराशि की क्रेडिट का दावा प्रस्तुत किया है और ऐसे माल का प्रयोग, खपत, निस्तारण या बेकब्जा इस प्रकार हुआ है जिसमे या तो उसे इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही है या प्रस्तुत दावे से कम धनराशि का अनुमन्य है, ऐसी स्थिति मे वह व्यापारी ऐसे माल पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेंडिट की गणना करेगा।

(2) किसी वस्तु की ऐसी मात्रा या माप पर गणना किया गया उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि उस वस्तु की उसी मात्रा या माप के इन्पुट टैक्स के बराबर होगी जिस पर व्यापारी इन्पुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

(3) किसी वस्तु की ऐसी मात्रा या माप, जिसे व्यापारी ने प्रान्त के बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया है, पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स की गणना निम्न सूत्र से की जाएगी :-

$$\frac{\text{पी x आर}}{100}$$

जिसमे प्रान्त के बाहर पारेषित किये गए माल की मात्रा एवं माप के संदर्भ मे :-

(एक) "पी" का तात्पर्य बिक्री बीजक के अनुसार उस क्रय मूल्य से है जिस पर क्रेता से कर वसूल किया गया है और इस सम्पूर्ण इन्पुट टैक्स की पूरी-पूरी धनराशि का इन्पुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है।

(दो) "आर" का तात्पर्य केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा 8 की उपधारा (1) मे विहित कर की दर है।

(4) किसी व्यापारी के द्वारा धारित वस्तु की किसी मात्रा व माप के सम्बन्ध मे, जिस व्यापारी ने -

(एक) धारा 6 के अन्तर्गत समाधान का विकल्प लिया है, समाधान अवधि के प्रथम दिन मे जो आरम्भिक रहतिया है ; और

(दो) अपना कारबार बन्द कर दिया है, कारबार बन्द करने के दिनांक मे जो अन्तिम रहतिया है; पर उ- मित इन्पुट टैक्स की धनराशि का आगणन उपनियम (2) के अनुसार करेगा ।

व्यापारी के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवहारी के द्वारा उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट धनराशि की गणना

23 (1) इस नियमावली के नियम 22 के उपनियम (1) मे सन्दर्भित व्यापारी, के अतिरिक्त अन्य व्यवहारी, वस्तु की किसी मात्रा या माप के सम्वन्ध मे:-

(क) नियम 22 के उपनियम (4) मे सन्दर्भित स्टाक में धारित वस्तुएं जो उसी रूप या दशा में है जिसमें खरीदा गया था ; या

(ख) जिस रूप वा दशा में खरीदा गया था उसी रूप या दशा में प्रयोग, खपत, निस्तारण या बेकब्जा इस प्रकार हुआ है कि या तो इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नही है या इन्पुट टैक्स क्रेडिट के प्रस्तुत दावे की धनराशि से कम धनराशि के लिए अनुमन्य है ; या

(ग) व्यवहारी द्वारा पारेषण प्रान्त से बाहर बिक्री के अलावा अन्य प्रकार से किया गया है, ऐसी स्थिति में नियम 22 के विभिन्न प्राविधानो के अनुसार जो लागू हो ; के अनुसार उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना करेगा

(2) यदि किसी व्यवहारी ने किसी वस्तु की जिस मात्रा या माप का प्रयोग या निस्तारण या बेकब्जा या खपत किसी अन्य वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण या ऐसे माल की पैकिग में इस रीति से हुआ है कि उसे ऐसे माल पर लिए गए इन्पुट टैक्स क्रेडिट अथवा इन्पुट टैक्स क्रेडिट हेतु प्रस्तुत दावे की धनराशि से कम धनराशि का इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य है, वह व्यवहारी उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट का आगणन करने हेतु, निर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में प्रयोग किये गए समस्त वस्तु की मात्रा या माप का आगणन करने के उपरान्त इस खपत या प्रयोग मात्रा या माप पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स की गणना नियम 22 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अनुसार करेंगे ।

(3) जहाँ व्यवहारी ने किसी वस्तु की जिस मात्रा या माप का प्रयोग या खपत किसी अर्ध निर्मित वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण मे किया है या किसी वस्तु के निर्माण, प्रसंस्करण, या निर्मित, प्रसंस्कृत या अर्ध निर्मित वस्तु की पैकिग में किया है और इस प्रकार तैयार या अर्धनिर्मित माल किसी दिनांक में स्टाक में बचा रहता है तो वह व्यवहारी ऐसे प्रयोग, खपत या पैकिग में प्रयोग किये माल की इस मात्रा या माप पर नियम 22 के उपनियम (1) अथवा (2) जो भी लागू हो, के अनुसार उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट को आगणित करेगा ।

(4) किसी निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु के लिए उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना में यह माना जायेगा, कि वह वस्तु जो इस वस्तु के निर्माण अथवा

प्रसंस्करण में प्रयोग या खपत हुई है उनका निस्तारण या बेकब्जा उसी प्रकार हुआ है जैसा कि निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु का किया गया है; इसी प्रकार यदि निर्मित या अर्धनिर्मित वस्तु स्टाक मे है तो यह माना जाएगा कि इस वस्तु के निर्माण, प्रसंस्करण या अर्धनिर्माण या पैकिग में प्रयेाग या खपत की गई वस्तु स्टाक में उसी दशा में है जिस रूप व दशा में खरीदी गयी थीं।

(5) किसी निर्मित अथवा अर्धनिर्मित वस्तु पर आगणित उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि, उन सभी उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशियो का योग होगा जो उस वस्तु के निर्माण, अर्द्धनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिग जैसी भी स्थिति हो में प्रयोग या खपत हुई हो।

इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा

24 उन वस्तुओं के सबन्ध में जिनका इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने हेतु व्यवहारी अधिकृत है, का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा :-

(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तो में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन मे प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा अगली किश्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षो के प्रथम टैक्स अवधि मे किया जाएगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निर्मित वस्तुए अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त है और इस प्रकार निर्मित वस्तुओं को अलग-अलग प्रकार से निस्तारित किया गया है, इन्पुट टैक्स क्रेडिट की वार्षिक किस्त का दावा आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यवहारी को उसी सीमा तक अनुमन्य किया जाएगा जिस अनुपात में भारत की सीमा से बाहर वस्तु का निर्यात हुआ है।

(ख) उन वस्तुओ के सबन्ध में जिनकी खरीद अधिनियम प्रारम्भ होने के पूर्व छह माह के भीतर की गयी है तथा अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक में स्टाक में है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा, 6 बराबर धनराशि की मासिक अथवा त्रैमासिक किस्तो में किया जाएगा, और ऐसी प्रथम किस्त उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत की जाएगी जो टैक्स पीरियड अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के पांच माह बाद प्रारम्भ हो रहा है, और अगली मसिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) उन मामलो मे जिनमें व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के उपरान्त के किसी दिनांक से कर योग्य होता है, उसके कर योग्य होने के दिनांक में धारित आरम्भिक रहतिया की वस्तु के सम्बन्ध में इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा 6 बराबर धनराशि की मासिक या त्रैमासिक किस्तो में, जैसी भी

स्थिति हो, प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार की पहली किस्त का दावा, व्यवहारी को पंजीयन प्रार्थना पत्र जारी होने के दिनांक से चार माह बाद प्रारम्भ होने वाले टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन के साथ प्रस्तुत होगा और अगली मासिक या त्रैमासिक किश्ते जैसी भी स्थिति हो, अगले टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न मे प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) धारा 6 मे समाधान अवधि की समाप्ति के दिन अन्तिम रहतिये मे बची वस्तुओ के सम्बन्ध मे, इन्पुट टैक्स का दावा समाधान अवधि के समापन के बाद मे आने वाला दिन, जिस टैक्स अवधि मे है उस अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा

(ङ) अन्य सभी मामलो में, उस टैक्स अवधि के टैक्स रिर्टन के साथ जिसमे वह वस्तु खरीदी गई है।

स्पष्टीकरण :-

(1) इस नियम के बन्ध (ब), (स) एवं (द) के सदर्भ मे स्टाक मे बचे सामान में वह वस्तुए भी सम्मिलित है जो स्टाक में उपलब्ध निर्मित माल में प्रयोग हुई हो या अर्धनिर्मित माल के निर्माण की प्रकिया में प्रयोग हुई हो।

(2) इस नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए यदि नियम 45 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कर अवधि में पंचम माह समाप्त हो जाता है तो प्रथम किश्त का दावा उस टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें पंचम माह समाप्त हो रहा है।

इन्पुट टैक्स क्रेडिट के उत्क्रमित होने से कमी

25 जहां व्यवहारी ने किसी वस्तु के सम्बन्ध में इन्पुट टैक्स की पूर्ण धनराशि की क्रेडिट का दावा किया है और उस वस्तु का उपयोग या खपत कर लिया है, या व्यनित (डिस्पोज आफ) या बेकब्जा (डिस्पजेस) होता है तो,

(क) ऐसे वस्तु ; या

(ख) किसी वस्तु के निर्माण, प्रसंस्करण या पैंकिग में इस प्रकार प्रयोग किया है कि इन्पुट टैक्स क्रेडिट के लिए अनुमन्य नही है या दावा किये गए इन्पुट टैक्स की धनराशि से कम धनराशि के लिए हकदार है, व्यवहारी ऐसी वस्तु, या इस प्रकार निर्मित, प्रसंस्कृत या पैक वस्तु मे जिस दिनांक में, या इस प्रकार निर्मित, प्रसंस्कृत या पैक्ड वस्तु से व्यनित या बेकब्जा जिस दिनांक में हुआ है,

पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स की गणना करके, इन्पुट टैक्स क्रेडिट के खाते से उसी दिनांक में डेविट करेगा।

किसी टैक्स पीरियड के लिए अनुमन्य इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना

26 (1) किसी टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन के लिए, उस टैक्स पीरियड में उपार्जित इन्पुट टैक्स क्रेडिट धनराशि का आगणन, उस टैक्स पीरियड में इन्पुट टैक्स की सभी धनराशियों के योग से उस टैक्स पीरियड के लिए उत्क्रमित इन्पुट टैक्स को घटा कर की जाएगी।

(2) किसी टैक्स रिर्टन में दावा किये जा रहे इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि

की गणना निम्न अभिव्यक्ति से की जाएगी -
उपार्जित इन्पुट टैक्स क्रेडिट + अग्रेनीत इन्पुट टैक्स क्रेडिट + इन्पुट टैक्स क्रेडिट की देय किश्त ;
यहॉ अभिव्यक्त
(क) उपार्जित इन्पुट टैक्स क्रेडिट का तात्पर्य उत्क्रमित इन्पुट टैक्स को घटाने के उपरान्त प्राप्त समस्त इन्पुट टैक्स का योग है ;
(ख) अग्रेनीत इन्पुट टैक्स क्रेडिट- का तात्पर्य पिछले टैक्स पीरियड से अग्रेनीत हुए इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि है ; और
(ग) "इन्पुट टैक्स क्रेडिट की देय किश्त" का तात्पर्य पूँजी माल और जिस दिनांक मे व्यवहारी करयोग्य हुए हैं उस दिनांक के आरम्भिक रहतिए मे धारित वस्तुओं के इन्पुट टैक्स क्रेडिट की किश्त, यदि कोई हो, की धनराशियों का योग है ।

कर निर्धारण वर्ष के लिए देय इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की गणना

27 (1) किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए देय इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना निम्न अभिव्यक्ति से की जाएगी :-

क + ख + ग

जहॉ :-
(क) "क" का तात्पर्य सम्पूर्ण कर निर्धारण वर्ष के इन्पुट टैक्स क्रेडिट के योग से सम्पूर्ण कर निर्धारण वर्ष का उत्क्रमित इन्पुट टैक्स को घटाने के उपरान्त प्राप्त इन्पुट टैक्स की धनराशि ;
(ख) "ख" का तात्पर्य विगत कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम टैक्स पीरियड के टैक्स रिर्टन में अग्रेनीत इन्पुट टैक्स क्रेडिट ; और
(ग) "ग" का तात्पर्य व्यवहारी की कर देयता बनने के प्रथम दिनांक में या उसके पश्चात की गई पूँजी माल की खरीद की इन्पुट टैक्स की किश्त, एवमं करदेयता बनने के दिनांक में धारित आरम्भिक रहतिया पर देय इन्पुट टैक्स, की किश्त का योग है ।

(2) जब किसी कर निर्धारण वर्ष में उपनियम (1) की अभिव्यक्ति ऋणात्मक होती है तब व्यवहारी ऋणात्मक धनराशि को ब्याज की देयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न से पहले जमा करेगा ।

इन्पुट टैक्स क्रेडिट तथा उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना हेतु व्यापारियो द्वारा रजिस्टर का रखा जाना

28 (1) इन्पुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि एवं उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की गणना के उद्देश्य से प्रत्येक व्यापारी प्रान्त के भीतर से की गई प्रत्येक खरीद को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

(2) यदि व्यवहारी माल की प्रान्त भीतर से खरीद करने के साथ-साथ प्रान्त बाहर से भी माल की खरीद करता है या प्राप्त करता है तब प्रान्त भीतर से खरीदे गये एवं प्रान्त बाहर से खरीदे या प्राप्त किये गए माल को रजिस्टर में अलग-अलग, खातो में दर्ज करेगा और ऐसे माल के निस्तांरण सम्बन्धी विवरण भी रखेगा ।

(3) यदि व्यवहारी किसी माल की खरीद प्रान्त भीतर से करने के साथ-साथ

प्रान्त बाहर से भी उस माल की खरीद करता है या प्राप्त करता है परन्तु दोनो प्रकार की खरीदो के लिए उपनियम (2) के अनुसार अलग-अलग खाता नही रखता है तब इन्पुट टैक्स क्रेडिट के आकलंन के लिए प्रान्त भीतर से खरीदे गए माल को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसी अनुपात मे प्रयुक्त, खपत या अन्य प्रकार से इस्तेमाल हुआ माना जाएगा जो अनुपात उस माल की प्रान्त भीतर से खरीद मूल्य के योग और प्रान्त बाहर से की गई खरीद मूल्य के योग में होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ किन्ही कारणवश प्रान्त बाहर से खरीदे गये या प्राप्त किये गये माल का मूल्य सुनिश्चित ना हो सकता हो, उस वस्तु का स्थानीय थोक बाजार मूल्य को उपरोक्त अनुपात निकालने के लिए आधार बनाया जाएगा।

(4) व्यवहारी खरीदे या प्राप्त किये गए समस्त माल का वस्तुवार विवरण रखेगा।

इन्पुट टैक्स क्रेडिट धनराशि की गणना के लिए निर्माताओ द्वारा रजिस्टर का रखा जाना

29 (1) इन्पुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि की गणना के लिए केवल खरीद बिक्री करने वाले व्यापारी के अलावा अन्य समस्त व्यवहारी प्रान्त भीतर से वस्तु की प्रत्येक की गई खरीद का इन्द्राज रजिस्टर में करेगें।

(2) यदि कोई व्यवहारी प्रान्त के भीतर से खरीद के साथ प्रान्त के बाहर से भी उसी माल की कोई खरीद या प्राप्ति करता है तब वह ऐसे माल की प्रान्त के भीतर से खरीद एवं प्रान्त के बाहर से खरीद या प्राप्ति को अलग-अलग खातो मे दर्ज करेगा और ऐसे माल का प्रयोग, खपत या निस्तांरण के सम्बन्ध में विवरण रखेगा।

(3) यदि कोई व्यवहारी प्रान्त के भीतर से खरीद के साथ प्रान्त के बाहर से भी उसी माल की कोई खरीद या प्राप्ति करता है परन्तु ऐसी खरीद के लिए उपनियम (2) के अनुसार अलग खातो में दर्ज नही करता है, इन्पुट टैक्स क्रेडिट या उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना के लिए प्रान्त भीतर से खरीदे गये माल को उसी अनुपात में प्रयुक्त, खपत या विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया माना जाएगा जो अनुपात, प्रान्त भीतर से की गयी खरीद के मूल्य का योग एवं प्रान्त बाहर से की गई खरीद मूल्य के योग, मे होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किन्ही कारणवश प्रान्त के बाहर से लाए अथवा प्राप्त किए गये माल का खरीद मूल्य निश्चित ना किया जा सकता हो ऐसी स्थिति में स्थानीय थोक बाजार में माल के मूल्य को आधार माना जाएगा।

(4) व्यवहारी वस्तुवार विवरण रखेगा :-

(एक) उसके द्वारा खरीदा अथवा प्राप्त किया गया समस्त माल ;

(दो) किसी माल के निर्माण या प्रसंस्करण, या इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत किये गये माल की पैकिंग में प्रयोग अथवा खपत हुई वस्तु;

(तीन) निर्मित या प्रसंस्कृत या पैक्ड वस्तु

टैक्स इन्वाइस अनुलपब्ध

30 (1) विक्रेता व्यवहारी द्वारा पंजीकृत क्रेता व्यवहारी को जारी की गयी टैक्स

होने पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति देने की प्रक्रिया

इन्वाइस यदि खो गयी, नष्ट हो गयी, या विरूपित हो गयी है, इन्पुट टैक्स क्रेडिट विक्रेता व्यावहारी के कर निर्धारक अधिकारी द्वारा जारी कर भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के बाद की किसी दिनांक मे करदायी हुआ है, उस व्यवहारी के द्वारा कर दायित्व आने के दिनांक के उपरान्त अपँजी कृत रहने की अवधि मे की गई खरीदो पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट, विक्रेता द्वारा धारा 22 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अनुरूप जारी बिक्री बीजक पर दिया जाएगा।

(3) अन्य किसी प्रकरण अथवा प्रकरणो के वर्ग मे कमिश्नर द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने पर।

उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट गणना हेतु खरीद मूल्य

31 (1) उपनियम (2) के प्रविधानो के अध्यधीन, उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का आगणन वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य जिस पर कर भुगतान हुआ है ; पर की जाएगी

(2) जब वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य निश्चित न किया जा सकता हो, उत्क्रमित इन्पुट टैक्स राशि की गणना करने के लिये, ऐसे माल पर उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट का कारण होने के दिनांक से ठीक पहले उस वस्तु की प्रान्त के भीतर से की गई खरीद के मूल्य को आधार मान लिया जाएगा।

अध्याय - तीन
पंजीयन, प्रतिभूति तथा लेखो का रखरखाव

व्यवहारियों का पंजीयन

32 1- अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, व्यवहारी सरकारी विभाग होने की दशा में फार्म-सात (छ) में, अन्यथा फार्म-सात में, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ण रुपेण भरा हुआ एक प्रार्थना पत्र उस मंडल के, जिसमें उसका मुख्य कारबार स्थल स्थित है, पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2- प्रत्येक पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ देय शुल्क व विलम्ब शुल्क यदि कोई हो, तथा अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड जहॉ देय हो, के जमा के संतोषजनक प्रमाण के साथ निम्नलिखित में से किन्ही दो की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करनी होगी :-

(क) भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र।

(ख) भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)

(ग) पासपोर्ट

(घ) बैंक पासबुक

प्रतिबंध यह है कि पंजीयन अधिकारी अपूर्ण पंजीयन आवदेन पत्र स्वीकार नही करेगा।

3- धारा 17 की उपधारा (5) में संदर्भित उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन हेतु प्रार्थना पत्र,

व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के 60 दिन के भीतर पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-आठ में उसके संलग्नको सहित प्रस्तुत करेगा।

4- धारा 18 की उपधारा (2) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को रोक रखने हेतु, अधिनियम प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-नौ में उसके संलग्नकों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

5- धारा 18 की उपधारा (3) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को रोक रखने हेतु अधिनियम प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-दस मे, उसके संलग्नकों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि, उपनियम (3), (4) और (5) में संदर्भित प्रत्येक व्यवहारी प्रार्थना पत्र के साथ पूर्ण रुपेण भरा हुआ फार्म-सात व सात छ जैसाकि उसके मामलें में लागू हो, भी प्रस्तुत करेगा।

6- उपनियम (1), (3), (4) व (5) में संदर्भित प्रत्येक प्रार्थना पत्र निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में वार्णित व्यक्ति द्वारा उचित रुप से भरा व हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा तालिका के स्तंभ 3 में वार्णित प्रस्थिति कोड का प्रयोग किया जायेगा।

क्रम सं0	विवरण	प्रस्थिति कोड
1.	स्वामित्व के व्यापार के मामले में स्वामी ; या	01
2.	साझेदारी के व्यापार के मामले में अन्य सभी साझेदारो द्वारा अधिकृत साझेदार ; या	02
3.	संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले में कर्ता ; या	03
4.	लिमिटेड कम्पनी के मामले में प्रंबध निदेशक या निदेशक या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति ; या	04
5.	सोसाइटी या क्लब के मामले में अध्यक्ष या सचिव ; या	05
6.	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग के मामले में कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ; या	06
7.	जहॉ कारबार किसी नाबालिग के नाम है, ऐसी स्थिति मे नाबालिग का अभिभावक ; या	07
8.	जहॉ कारबार किसी अक्षम व्यक्ति के नाम है, उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति जिसे जनरल पावर आफ अटार्नी प्राप्त हो	08
9	न्यास के मामले में न्यासी ; या	09
10	अन्य मामलों में व्यवहारी द्वारा उचित रुप से अधिकृत	10

	व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति	

7- उपनियम (1) में प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र धारा 17 में उपबंधित रीति से निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निस्तरित किया जायेगा :-

(क) बायोमेट्रिक डेटा व उसका मूल अभिलेख से सत्यापन एक सप्ताह

(ख) व्यापार स्थल का निरीक्षण व उसका डिजिटल छाया चित्र - एक सप्ताह

(ग) प्रतिभूति प्रसंस्करण, यदि वॉछित हो- 10 दिन

(घ) करदाता की पहचान संख्या (टिन) जारी करना-6 दिन

8- ऐसी जॉच के बाद जैसा कि वह उचित समझता है, पंजीयन अधिकारी यदि संतुष्ट है कि पंजीयन प्रार्थना पत्र यथावॉछित है और दी गई सूचना व प्रस्तुत किये गये अभिलेख सही व वास्तविक है, व्यवहारी का प्रार्थना पत्र प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी पंजीकरण करेगा।

प्रतिबंध यह है कि जहॉ पंजीयन अधिकारी द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत प्रतिभूति मॉगी गई है, व्यवहारी तभी पंजीकृत किया जायेगा और उसे पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जायेगा जब उसने पंजीयन अधिकारी के संतोषानुसार जमानत प्रस्तुत कर दी हो,

पुन: प्रतिबंध यह है कि संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे कारण विद्यमान है जिनसे पंजीयन अधिकारी 30 दिन के भीतर पंजीयन प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही कर सकता था, पंजीयन प्रार्थना पत्र के 30 दिन के बाद निस्तारण हेतु अनुमति दे सकता है ।

9- यदि पंजीयन अधिकारी संतुष्ट है कि प्रार्थना पत्र उचित नही है या इसमें दी गयी सूचना सही नही है या प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक नही है और कूटरचित है या मॉगी गई जमानत नही दी गई है, तो वह पंजीयन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देगा और व्यवहारी को तद्नुसार सूचित करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि पंजीयन आवेदन पत्र अस्वीकार करने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा ।

10- पंजीयन अधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र फार्म-ग्यारह में जारी करेगा ।

11- उपनियम (8) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाण पत्र पर करदाता पहचान संख्या अंकित रहेगी ।

12- उपनियम (11) के अन्तर्गत संदर्भित करदाता पहचान संख्या ग्यारह अंको की होगी और प्रत्येक अंक या अंको का वर्ग कमिश्नर द्वारा निश्चित किया हुआ कोड व्यक्त करेगा ।

13- जहॉ किसी मंडलं में कोई पंजीयन अधिकारी नही है, व्यवहारी के मुख्य व्यापार स्थल का क्षेत्राधिकार रखने वाला कर निर्धारण अधिकारी उसका पंजीयन अधिकारी होगा ।

14- यदि कोई व्यवहारी उपनियम (3), (4) या (5) मे विर्निदिष्ट प्रार्थना पत्र निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नही करता है, तब उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जिस व्यक्ति ने पंजीयन आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किया था, केवल वही

व्यक्ति टैक्स इनवाइस या अन्य दस्तावेज अभि प्रमाणित करने हेतु अधिकृत होगा।

स्पष्टीकरण :- उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदत्त करदाता पहचान सख्या इस अधिनियम के अर्न्तगत जारी करदाता पहचान संख्या समझी जायेगी।

15- समय समय पर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने व पंजीयन से संबधित अन्य मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबध में कमिश्नर निर्देश जारी कर सकता है।

कारबार में परिवर्तन संबधी सूचना 33

1- धारा 75 के अन्तर्गत व्यापार में परिवर्तन की सूचना पंजीयन अधिकारी को फार्म-बारह में फार्म-सात व सात (छ) जैसा भी मामला हो के साथ दी जायेगी और यह सूचना नियम 32 के उपनियम (6) मे संदर्भित व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

2- उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र व परिवर्तन के प्रमाण में साक्ष्य संलग्न किया जायेगा।

पंजीयन प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रति व करदाता पहचान संख्या का प्रदर्शन 34

1- पंजीयन अधिकारी व्यवहारी को प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार स्थल के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित पत्र नि:शुल्क देगा।

2 (क) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी TIN और उसकी वैधता की प्रभावी दिनांक, अपनी दुकान के संकेत बोर्ड पर 6 सेमी0 से अधिक की ऊचाई के शब्दों व अंको में इस ढंग से पेन्ट कराएगा कि वे सड़क से सुगमता से पठनीय हो; या अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर 60 सेमी0 X 30 सेमी0 से अधिक आकार के बोर्ड पर 6 सेमी0 से अधिक उॅचाई के शब्दों व अंको में टिन व उसकी वैधता के दिनांक पेन्ट कराते हुए प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

(ख) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी प्रत्येक टैक्स इनवाइस, सेल इन्वाइस, बिल, कैश मेमो, परचेज इनवाईस, क्रेडिट नोट व डेबिट नोट, चालान या ट्रासंफर इनवाइस पर टिन व उसकी वैधता की प्रभावी दिनांक छपवायेगा।

पंजीयन प्रमाण पत्र का अहस्तान्तरणीय होना 35

इस नियमावली के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र हस्तान्तरणीय नही होगा। जहॉ किसी पंजीकृत व्यवहारी का उत्तराधिकार किसी अन्य व्यवहारी को हस्तांतरण, पुनगर्ठन या अन्यथा मिलता है तो उत्तराधिकारी व्यवहारी इस नियमावली के अनुसार नया पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

पंजीयन प्रमाण पत्र का खेाना 36

यदि किसी व्यवहारी को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र या संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है या विरुपित हो जाता है तो पंजीयन अधिकारी यह संतुष्ट होने पर कि पंजीयन प्रमाण पत्र खो गया है, नष्ट हो गया या विरुपित हो गया है, व्यवहारी के प्रार्थना पत्र पर जिसके साथ रु0 100 शुल्क जमा करने

का संतोषजनक प्रमाण संलग्न हो, उसे प्रमाण पत्र की अनुलिपि जारी करेगा ।

प्रतिभूति का स्वरुप 37 धारा 19 की उपधारा (1) मे मॉगी गयी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति निम्नलिखित में से किसी एक स्वरुप में दी जाएगी :-

1- (क) स्वामी, साझीदार, संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता, कम्पनी, सोसाइटी, क्लब या ऐसोसिऐशन, जैसी भी स्थिति हो, की अचल सम्पति बंधक रखकर बंधक सम्पत्तियों के रजिस्ट्रार कार्यालय से उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में प्रथम भार मानकर पंजीकृत कराना होगा ।

(ख) दो ऐसे व्यापारियों की जमानत जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत कम से कम तीन पूर्ण कर निर्धारण वर्ष से पंजीकृत हो और जो इस अधिनियम या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम या केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत डिफाल्टर न हो ।

(ग) दो जमानतियों का जमानती बांड देकर जो उनके निवास स्थल का जनपद के कलेक्टर द्वारा सत्यापित हो ;

प्रतिबंध यह है कि जहॉ किसी व्यवहारी द्वारा दी गई जमानत सत्यापन पर झूठी पाई जाती है, तो वे इस अधिनियम या लागू अन्य किसी कानून के अन्तर्गत किसी अन्य कार्यवाही को प्रभावित किये बिना, कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी से उपनियम (2) में उल्लिखित स्वरुपों में से किसी अन्य स्वरुप में जमानत मॉग सकता है ।

2- उपनियम (1) में अर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यवहारी अपने विकल्प पर धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मॉगी गयी जमानत निम्नलिखित में से किसी स्वरुप में दे सकता है :-

(क) नकद धनराशि जमा करके ; या

(ख) किसी शेडयूल्य बैक की बैक गांरटी देकर ; या

(ग) सावधि जमा प्रमाण पत्र बंधक रखकर ; या

(घ) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या भारतीय पोस्टल सेवा के द्वारा जारी कोई अन्य बचत प्रमाण पत्र बंधक रखकर ।

3- धारा 81 के उपधारा (6) में संदर्भित परिवचन फार्म-तेरह में प्रस्तुत की जायेगी ।

4- उपनियम (3) में संदर्भित परिवचन हर प्रकार से पूर्ण होगी ।

ट्रासंपोर्टर, कैरियर, फारवार्डिग एजेन्ट रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम भंडार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति का पंजीयन 38 1- अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक मे अथवा तिथी के उपरान्त प्रत्येक वह व्यक्ति जो, ट्रासंपोर्टर, कैरियर, फारवर्डिग एजेन्ट, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह का कारबार प्रारम्भ करता है, कारबार प्रारंभ करने के 30 दिन के भीतर फार्म-चौदह में पंजीयन अधिकारी के समक्ष पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन करेगा ।

प्रतिबंध यह है कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर, कैरियर या रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम, भंडारगृह, शीतगृह अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व से कारबार कर रहा है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र देगा

पुन: प्रतिबंध यह है कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारबर्डिंग एजेन्ट अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व के दिनांक या बाद के दिनांक से कारबार कर रहा है और उसके पास "दी कैरेज बाई रोड एक्ट, 2007" के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र है, तो उसके लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र देना आवश्यक नही होगा।

2- ऐसा प्रत्येक ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारवडिग एजेन्ट जिसके पास "दी कैरेज बाई रोड एक्ट 2007" के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र है वह पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म-चौदह के साथ "दी कैरिज वाई रोड एक्ट 2007" मे जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए फार्म-पन्द्रह में सूचना कर निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर देगा।

3- उपनियम (1) में संदर्भित प्रार्थना पत्र के साथ रु0 100/- शुल्क व विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के जमा करने का प्रमाण भी दिया जायेगा।

4- प्रत्येक प्रार्थना पत्र उचित रुप से भरा हुआ होगा और अधोलिखित तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा और व्यवहारी तालिका के स्तंभ (3) में वर्णित प्रास्थिति कोड का प्रयोग करेगा

क्रम सं0	विवरण	प्रस्थिति कोड
1-	स्वामित्व के व्यापार के मामले में स्वामी ; या	01
2-	साझेदारी के व्यापार के मामले में अन्य सभी साझेदारो द्वारा अधिकृत साझेदार ; या	02
3-	संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले मे कर्ता ; या	03
4-	लिमिटेड कम्पनी के मामले में प्रंबध निदेशक या निदेशक या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति ; या	04
5-	सोसाइटी या क्लब के मामले में अध्यक्ष या सचिव ; या	05
6-	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग के मामले में कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ; या	06
7-	जहॉ कारबार किसी नाबालिग के नाम है, ऐसे मामले में नबालिग का अभिभावक ; या	07
8-	जहॉ कारबार किसी अक्षम व्यक्ति के नाम है, उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति जिसे जनरल पावर आफ अटार्नी प्राप्त हो ; या	08
9-	न्यास के मामले में न्यासी ; या	09
10-	अन्य मामलों में व्यवहारी द्वारा उचित रुप से अधिकृत व्यक्ति	10

	या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति	

5- प्रार्थना पत्र के परीक्षण और ऐसी जॉच के बाद जैसाकि वह उचित समझता है, जहॉ पंजीयन अधिकारी संतुष्ट है कि दिया गया विवरण सही व पूर्ण है और वॉछित शुल्क व विलम्ब शुल्क यदि कोई हो, जमा किया जा चुका है, पंजीयन अधिकारी ट्रांसपोर्टर, कैरियर, फारवर्डिंग एजेन्ट रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को पंजीकृत करेगा।

6- उपनियम (5) में पंजीकृत प्रत्येक कान्ट्रैक्टर, कैरियर, फारवर्डिंग एजेन्ट, गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को फार्म-सोलह में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिस पर एक पंजीयन संख्या होगी जो कि कमिश्नर द्वारा निश्चित की गयी न्यूमेरिक अथवा अल्फा न्यूमेरिक अंको से बनेगी।

7- नियम 33, 34, 35, व 36 के प्राविधान ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारवर्डिंग एजेन्ट को जारी पंजीयन में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगे जैसाकि वे व्यहारियों के मामलें में लागू होते है।

8- माल का परिवहन या भंडार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित अभिलेख रखेगा :-

(अ) परिवहन या भण्डारण के लिए प्राप्त माल के प्रत्येक कन्साइन मेंट के सम्बन्ध में एक रजिस्टर।

(ब) परिवहन या भण्डारण के लिये प्राप्त माल के प्रत्येक कन्साइनमेंट के सम्बन्ध में जारी माल रसीद या कन्साइनमेन्ट नोट की कार्यालय प्रति।

(स) वाहन के चालक या प्रभारी व्यक्ति को देने के लिए उसके द्वारा तैयार किये गये चालान की कार्यालय प्रति

(द) उसके द्वारा प्राप्त और डिलवरी किये गये माल के प्रत्येक कन्साइनमेट के संबध में माल प्राप्ति व डिलीवरी रजिस्टर।

9- (अ) जहॉ ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारवर्डिंग एजेन्ट, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर किसी व्यक्ति से किसी स्थान को परिवहन हेतु माल प्राप्त करता है, वह उस व्यक्ति से फार्म-सत्रह मे एक घोषण पत्र प्रस्तुत करायेगा और उसी प्रकार जहॉ ट्रांसपोर्टर, कैरियर या फारवर्डिंग एजेन्ट या रेलवे कन्टेनर, कान्ट्रैक्टर डिलीवरी हेतु कोई माल प्राप्त करता है, वह माल की डिलीवरी के समय डिलवरी लेने वाले व्यक्ति से फार्म-अट्ठारह में एक घोषणा पत्र प्राप्त करेगा

(ब) जहॉ गोदाम, भंडार गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति भण्डारण के लिये कोई माल प्राप्त करता है, वह माल स्वामी से भण्डारण के लिये माल प्राप्त करते समय फार्म-उन्नीस में एक घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और उसी प्रकार जहॉ गोदाम भण्डार, गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति माल की डिलीवरी देता

है, वह माल की डिलीवरी देते समय माल स्वामी से प्राप्त फार्म-बीस मे एक घोषणाा पत्र प्राप्त करेगा ।

10- प्रत्येक ट्रांसपोर्टर, कैरियर और फारवर्डिग एजेन्ट, रेलवे कन्टेनर कान्ट्रैक्टर, गोदाम, भण्डार गृह या शीत गृह का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसके द्वारा रखे जा रहे सभी अभिलेखों को उस कर निर्धारण वर्ष जिससे की सम्बन्धित है, की समाप्ति के बाद 08 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा ।

11- इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्रो के निस्तारण व पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबध में कमिश्नर समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है ।

लेखा पुस्तकों, लेखों व दस्तावेजों को सुरक्षित रखे जाने की अवधि

39 किसी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गई लेखा पुस्तके लेखे या दस्तावेज उस कर निर्धारण वर्ष, जिससे वे संबधित है, की समाप्ति के बाद 08 वर्ष की अवधि के लिये सुरक्षित रखे जायेगें ।

प्रतिबंध यह है कि जहॉ किसी व्यवहारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही लम्बित है, वह लेखा पुस्तके, लेखे व दस्तावेज 08 वर्ष की अवधि के बाद भी उस समय तक सुरक्षित रखेगा जब तब कि कार्यवाही अंन्तिम रुप से निर्णीत नही हो जाती है ।

परिवहन मेमो

40 1- धारा 21 की उपधारा (4) में संदर्भित ट्रांसपोर्ट मेमो फार्म-इक्कीस मे होगा और रिक्त फार्म पंजीकृत व्यवहारी को उसके करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे ।

2- जो पंजीकृत व्यवहारी अपने प्रयोग हेतु रिक्त फार्म-इक्सीस चाहता है वह रिक्त फार्मों को जारी करने हेतु अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देगा ।

3- रु0-5/- प्रति फार्म शुल्क के भुगतान के बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई रिक्त फार्म जारी नही किया जायेगा । प्रार्थना पत्र नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

4- यदि करनिर्धारक प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यवहारी की रिक्त फार्मों की मॉग उचित व युक्ति युक्त है तो वह जितने फार्म उचित समझता है उतने फार्म जारी करेगा । जब तक पूर्व में प्राप्त सभी फार्मों का लेखा प्रस्तुत न कर दे, उसे कोई फार्म जारी नही किया जायेगा ।

5- यदि भुगतान किया हुआ शुल्क जारी किये गये फार्मों के लिए देय शुल्क से अधिक है, अवशेष व्यवहारी का जमा रहेगा और उसे भविष्य मे जारी होने वाले फार्मो के लिये देय शुल्क मे समायोजन योग्य होगा ।

6- जब कोई व्यवहारी उपनियम (1) मे विर्निदिष्ट या विज्ञापित किसी माल का धारा 21 की उपधारा 4 में विज्ञापित मात्रा या मूल्य से अधिक मात्रा या मूल्य में पारेषण या प्रतिदान करेगा तो वह फार्म इक्कीस की मूलप्रति के आवश्यक स्तभों को भरकर उस व्यक्ति को देगा जिसे प्रेषिती व्यवहारी के व्यापार स्थल को परिवहन हेतु माल का प्रतिदान किया गया है ।

7- व्यवहारी फार्म भरेगा और माल के न्यूनतम मूल्य को आच्छादित करने वाला बाक्स पंच करेगा और उसे परिवहन किये जा रहे माल के साथ ले जाया जायेगा।

8- करनिर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त रिक्त फार्मों व अपने द्वारा प्रयुक्त फार्मों का लेखा व्यवहारी फार्म बाईस में रखेगा और फार्मों के अवशेष भाग को वह रोक रखेगा तथा ऐसे फार्मों के प्रयोग का ब्यौरा जब भी करनिर्धारक प्राधिकारी मॉगेगा, देगा।

9- वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति फार्म को सम्यक रुप से भरेगा और क्रेता व्यवहारी को, माल का परिदान करते समय देगा।

10- कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण होने तक क्रेता व्यवहारी प्रयुक्त फार्म सुरक्षित रखेगा और जब भी करनिर्धारक प्राधिकारी मॉगेगा प्रस्तुत करेगा।

11- उपनियम (4) के अन्तर्गत प्राप्त किया गया प्रत्येक फार्म पंजीकृत व्यवहारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा जायेगा वह ऐसे किसी फार्म के खोने, नष्ट होने या चोरी हो जाने तथा खोने, नष्ट होने या चोरी होने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से हुई हानि यदि कोई हो, के लिये व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगा।

12- कारबार को बंद होने के समय या पंजीयन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने, जैसा भी हो, पर पंजीकृत व्यवहारी स्टाक में उपलब्ध सभी अप्रयुक्त फार्म तुरन्त कर निर्धारण अधिकारी को सौप देगा।

13- राजपत्र में विज्ञप्ति के माध्यम से विशिष्ट श्रृंखला, रचना या रंग के फर्मों को ऐसे दिनांक, जिसे वह विनिदिष्ट करे, से कमिश्नर अप्रचलित और अवैध घोषित कर सकता है और उनके स्थान पर नयी श्रृंखला, रचना एवं रंग के नये फार्म प्रतिस्थापित कर सकता है।

14- यदि उपनियम 13 के अन्तर्गत कोई विज्ञप्ति जारी की गई है समस्त पंजीकृत व्यवहारी उस दिनांक को या उससे पूर्व जिससे फर्मों को अप्रचलित और अवैध घोषित किया गया है अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को समस्त अप्रचलित एव अवैघ घोषित किये गये फार्म जो उनके पास हो, सौप देगे और उनके बदले में नये प्रतिस्थापित फार्म प्राप्त कर लेगे।

प्रतिबन्ध यह है कि नये फार्म तब तक व्यवहारी को जारी नही किये जायेगे जब तक वह पुराने जारी किये हुए समस्त फर्मों का लेखा प्रस्तुत नही कर देता है और यदि उसके पास कोई फार्म अवशेष है तो उन्हे वापस नही कर देता है ।

15- कोई पंजीकृत व्यवहारी अपने करनिर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त फर्मों जो उपनियम 13 के अन्तर्गत अप्रचलित व अवैध घोषित न किये गये हो, के अलावा अन्य कोई फार्म जारी नही करेगा।

16- धारा 21 की उपधारा (4) में संदर्भित माल वह माल या माल का वह वर्ग होगा जैसा कि कमिश्नर की संस्तुति पर राज्य सरकार नें विज्ञप्ति के

माध्यम से विनिर्दिष्ट किया हो।

चालान या अन्तरण बीजक 41 1- धारा 21 की उपधारा (5) में संदर्भित चालान या अतंरण बीजक व्यवहारी तीन प्रतियों मूल, द्वितीय व तृतीय प्रतियों के रुप में चिन्हित करके एक सजिल्द पुस्तक से तैयार करेगा और चालान या अंतरण बीजक की प्रत्येक प्रति पर माल के प्रतिदान या पारेषण के संबध मे निम्नलिखित विशिष्टियॉ अन्तर्विष्ट होंगी :-

(एक) व्यवहारी का नाम व पता ;

(दो) शाखा या डिपो का नाम ;

(तीन) माल प्रतिदानित या प्रेषित करने वाले व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या ;

(चार) पुस्तक सख्या ;

(पाँच) क्रम संख्या ;

(छ:) दिनांक ;

(सात) चालान या अंतरण बीजक को अभिप्रमाणित करने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर ;

(आठ) उस व्यवहारी या व्यक्ति का नाम व पता जिसको माल प्रतिदानित या पारेषित किया गया है ;

(नौ) पारेषिती व्यवहारी की कर दाता पहचान संख्या यदि कोई हो ;

(दस) ब्रिकी या स्टाक अन्तरण ;

(ग्यारह) निर्माता के मामले मे माल के हटाने का समय ;

(बारह) प्रतिदानित या पारेषित माल संबधी निम्न विशिष्टिया :-

(क) माल का विवरण ;

(ख) पहचान चिन्ह या बैच नं0 यदि कोई हो ;

(ग) माल की मात्रा व माप ;

(घ) नगो की संख्या ;

(ङ) माल का वास्तविक या अनुमानित मूल्य ;

(तेरह) कर बीजक या बिक्री बीजक संख्या (यदि बिक्री के समय जारी किया गया हो) ;

(चौदह) परिवहन का तरीका ;

(पन्द्रह) चालान या अंतरण बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर व उसकी प्रास्थिति।

2- उपनियम (1) के खण्ड (एक) से (पाँच) तक की विशिष्टियॉ प्रत्येक चालान या अंतरण बीजक पर छपी हुई होंगी 1

3- प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए पहली चालान पुस्तक या अंतरण बीजक पुस्तक की क्रम संख्या 001 से प्रारम्भ होगी और प्रत्येक पुस्तक में तीन प्रतियों मे 50 चालान या अंतरण बीजक होंगे तथा अन्य चालान पुस्तकों व अंतरण बीजक पुस्तकों, दोनो पर क्रम संख्याये आरोही क्रम मे होगी।

4- चालान या अंतरण बीजक की मूल एवं द्वितीय प्रति माल परिवहनकर्ता को माल को पारेषिती के परिदान हेतु दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति उस माल के साथ पारेषिती को दे देगा । परेषिती द्वारा द्वितीय प्रति उस व्यवहारी को वापस कर दी जायेगी जिसने माल का प्रेषण या परिदान किया है।

प्रतिबंध यह हे कि जहॉ व्यवहारी या उसके प्रतिनिधि को माल का परिदान विक्रेता के व्यापार स्थल पर किया गया हो, क्रेता व्यवहारी माल की प्राप्ति स्वीकार करने के पश्चात चालान की द्वितीय प्रति विक्रेता व्यवहारी को दे देगा।

5- चालान या अंतरण बीजक की तीसरी प्रति व्यवहारी द्वारा चालान पुस्तक या अंतरण बीजक पुस्तक में अभिलेख के रुप में सुरक्षित रखी जायेगी।

6- जहॉ चालान या आंतरण बीजक कम्प्यूटर पर रखे जा रहे हो तो उसकी हार्ड कापी 50-50 चालानों या अंतरण बीजको की सजिल्द पुस्तक में रखी जायेगी ।

7- चालान या अंतरण बीजक के प्रारूप, रखरखाव एवं जारी करने के संबंध मे समय-समय पर कमिश्नर निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सम्परीक्षा

42 (1) धारा-21 की उपधारा-(17) में निर्दिष्ट सम्परीक्षा आख्या (आडिट रिपोर्ट) उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यवहारी द्वारा अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को धारा 24 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट कर एवं आवर्त की वार्षिक विवरणी सहित फार्म-तेईस में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) धारा-21 की उपधारा (17) में निर्दिष्ट सम्परीक्षा प्रधिकारी सम्परीक्षा आख्या में उन लेखा पुस्तकों का नाम और उन दस्तावेजो की प्रकृति, जो उसके समक्ष सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत की गई थी और जिनका उसके द्वारा सम्परीक्षण किया गया है, का उल्लेख करेगा। वह उनके रखरखाव के तरीके पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी देगा।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसने सम्परीक्षण किया है, इन्पुट टैक्स क्रैडिट के दावे एवं उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से इन्पुट टैक्स क्रेडिट मे कमी को अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखो एवं दस्तावेंजो का सम्परीक्षण करेगा।

(4) निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी सम्परीक्षा अख्या में इंगित करेगा कि व्यवहारी ने उत्क्रमित इन्पुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की संगणना अधिनियम एवं नियमो के उपबंधो के अनुसार की है अथवा नही और तैयार की गयी सूचियां नियमो के उपबंधो के अनुरुप है अथवा नही।

विभागीय प्राधिकरियों द्वारा सम्परीक्षा

43 (1) व्यवहारियों या व्यवहारियो के वर्ग द्वारा दाखिल की गयी कर विवरणी या विवरणियों की शुद्धता का एवं इन्पुट टैक्स क्रेडिट के दावे सहित अन्य दावों की ग्राह्यता की सत्यता का परीक्षण करने के उददेश्य से, कमिश्नर या उसके अधीन सयुंक्त कमिश्नर से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी विभागीय प्रधिकारियो द्वारा कर सम्परीक्षा किए जाने हेतु व्यवहारियो या

व्यवहारियो के वर्ग का चयन कर सकता है ।

(2) कर सम्परीक्षा प्राधिकारी कमिश्नर द्वारा तैनात य नामित किए जाएंगे और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियो में से सहायक कमिश्नर से अन्यून पंक्ति के होंगे ।

(3) व्यवहारियो या व्यवहारियो के वर्ग की सम्परीक्षा एवं चयन के लिऐ कमिश्नर समय-समय पर ऐसे प्रतिरूप, रीति एवं सिद्धान्त निर्धारित करेगा जैसा वह उचित समझे ।

कर बीजक, विक्रय बीजक, बिल, केशमीमो, और क्रय-बीजक में अपेक्षित विवरण

44 (1) धारा-22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कर-बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम व पूरा पता ; उसकी शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता ; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान सं0 (TIN) ; कर बीजक पुस्तक संख्या ; कर बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक ; कर बीजक को अभिप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर; क्रेता का नाम व पता ; क्रेता की करदाता पहचान संख्या (TIN), यदि कोई हो ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाप ; माल का मूल्य ; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो ; छूट की धनराशि, यदि कोई हो ; कर की दर; प्रभारित किए गए कर की धनराशि ; कर बीजक की कुल धनराशि और कर बीजक जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि तत्समय प्रभावी किसी अन्य अधिनियम मे विहित किसी बीजक मे उक्त विशिष्टियों के अतिरिक्त अन्य विवरण भी हैं तो उसे अधिनियम के उद्देश्यो हेतु अवैध नही माना जाएगा ।

(2) धारा-22 की उपधारा (3) के खन्ड (क) के अन्तर्गत किसी नान वैट वस्तु की बिक्री के लिए जारी किऐ जाने वाले विक्रय बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता ; शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता ; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN) ; विक्रय बीजक पुस्तक सख्या ; विक्रय बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक ; क्रेता का नाम और पता ; क्रेता की करदाता पहचान संख्या (TIN), यदि कोई हो ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाप ; माल का मूल्य ; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो ; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; कर की दर ; प्रभारित किए गए कर की धनराशि; कर बीजक की कुल धनराशि ; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो ; जिसे व्यवहारी आवश्यक समझे और कर बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति को बिक्री की जाती है तो ऐसे क्रेता के नाम, पते और करदाता पहचान संख्या (TIN) का उल्लेख किया जाना आवश्यक नही होगा ।

(3) धारा 22 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नान वैट वस्तु से भिन्न किसी कर योग्य वस्तु की बिक्री के लिए जारी किए जाने वाले

विक्रय बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता ; शाखा या डिपो, जहां से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता ; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN) ; विक्रय बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक ; क्रेता व्यवहारी का पूरा नाम एवं पूर्ण पता ; माल का विवरण, मात्रा एवं परिमाप ; माल की विक्रय कीमत ; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो ; छूट की धनराशि, यदि कोई हो ; विक्रय बीजक की कुल धनराशि ; अन्य ऐसे विवरण यदि कोई हो, जिन्हें व्यवहारी आवश्यक समझे, और विक्रय बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) धारा 22 की उपधारा (4) के खण्ड (एक) के उद्देश्य हेतु किसी माल की एक बिक्री के लिए दो सौ पचास (250) रुपए माल का विहित विक्रय मूल्य होगा

(5) धारा 22 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट बिल में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता ; शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता ; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN) ; बिल पुस्तक संख्या ; बिल की क्रम संख्या ; जारी करने का दिनांक ; माल को क्रय करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पूर्ण पता ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाप ; माल का मूल्य ; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; बिल की कुल धनराशि ; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो, जिन्हे व्यवहारी आवश्यक समझे और बिल जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे।

(6) धारा 22 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कैश मीमो में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता ; शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता ; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान (TIN); कैशमीमो पुस्तक संख्या ; कैशमीमो की क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाप ; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो ; छूट की धनराशि, यदि कोई हो ; कैशमीमो की कुल धनराशि ; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो ; जिन्हें व्यवहारी आवश्यक समझे और कैशमीमो जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे।

(7) बिल पुस्तक (बिल बुक) और कैशमीमो पुस्तक (Cash memo book) अलग-अलग होंगी और उपनियम (8) और उपनियम (9), यथास्थिति, में निर्दिष्ट बिल और कैशमीमो -

(एक) नान वैट माल से भिन्न करयोग्य माल और

(दो) किसी माल जो (एक) से आच्छादित न हो,

की बिक्री के लिए अलग-अलग बिल बुक और कैशमीमो बुक से जारी किए जाएंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यवहारी कैशमीमो एवं बिल के लिए एक ही पुस्तक रखता हो, तो वह उक्त खन्ड (एक) और (दो) में

उल्लिखित वस्तुओ के लिए अलग-अलग पुस्तक रखेगा

(8) धारा-22 की उपधारा (9) में निर्दिष्ट क्रय बीजक दो प्रतियो में बनाया जाएगा जिन पर मूल प्रति एवं कार्यालय प्रति चिन्हित किया जाएगा, और इसमें क्रेता व्यवहारी का नाम और पता ; जिस शाखा या डिपो पर माल खरीदा जा रहा हो उसका नाम और पता ; उसकी कर दाता पहचान सख्या (TIN) ; क्रय बीजक पुस्तक संख्या ; क्रय बीजक क्रम संख्या ; जारी करने का दिनांक ; माल विक्रय करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम एवं पूर्ण पता ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाप ; माल का क्रय मूल्य ; अन्य कोई प्रभारण जिनका भुगतान किया गया हो ; क्रय बीजक की कुल धनराशि ; माल विक्रय करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अगूठा निशानी ; ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हो ; जिन्हे क्रेता व्यवहारी आवश्यक समझे और क्रय बीजक जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे ।

(9) प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक, बिल य कैश मीमो पर विक्रेता व्यवहारी का पूरा नाम एवं पूर्ण पता ; शाखा या डिपो, जहां से माल की बिक्री की जाती हो, का नाम और पता ; विक्रेता व्यवहारी की कर दाता पहचान संख्या (TIN) ; कर बीजक पुस्तक संख्या ; विक्रय बीजक पुस्तक संख्या ; कैशमीमो पुस्तक संख्या या बिल बुक(पुस्तक) संख्या, यथास्थिति ; कर बीजक क्रम संख्या ; विक्रय बीजक क्रम संख्या ; कैशमीमो क्रम संख्या या बिल क्रम संख्या, यथस्थिति, मुद्रित होगी । इसी प्रकार उपनियम (8)में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रय बीजक पर क्रेता व्यवहारी का पूरा नाम व पूर्ण पता ; शाखा या डिपो जहॉ माल क्रय किया जाता हो, का नाम व पता ; क्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN) ; क्रय बीजक पुस्तक संख्या और क्रय बीजक की क्रम संख्या मुद्रित होगी ।

(10) प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक और बिल मूल प्रति, द्वितीय प्रति एवं कार्यालय प्रति चिन्हित करते हुए तीन प्रतियो में तैयार किया जाएगा तथा सजिल्द पुस्तक से जारी किया जाएगा । मूल प्रति के रूप में चिन्हित प्रथम प्रति एवं द्वितीय प्रति के रूप में चिन्हित द्वितीय प्रति क्रेता को जारी की जाएगी तथा कार्यालय प्रति के रूप में चिन्हित तृतीय प्रति विक्रेता व्यवहारी द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी। द्वितीय प्रति माल के गंतव्य तक परिवहन किए जाने के दौरान माल के साथ रखी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लेखा पुस्तकें कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हों तो व्यवहारी प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर कर-बीजक, विक्रय-बीजक, बिल, कैशमीमो, ट्रासफर बीजक और चालान आदि की "हार्ड कापी" निकालेगा तथा उन्हे प्रत्येक माह हेतु प्रत्येक की कम से कम पचास प्रति सजिल्द रूप में रखेगा ।

(11) उपनियम (8) में निर्दिष्ट क्रय बीजक और उपनियम (6) में निर्दिष्ट कैशमीमो मूल प्रति और कार्यालय प्रति के रूप में चिन्हित, दो प्रतियो में तैयार किए जाएगें तथा सजिल्द क्रय बीजक पुस्तक अथवा कैशमीमो

पुस्तक, यथास्थित, से जारी किए जाएगे । क्रय बीजक और कैश मीमो की मूल प्रति क्रमश: माल के विक्रेता और क्रेता को दी जाएगी :-

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बिल और कैशमीमो के लिए व्यवहारी एक ही पुस्तक रखता हो तो वह मूल प्रति, द्वितीय प्रति और कार्यालय प्रति के रूप में चिन्हित तीन प्रतियो में कैश मीमो तैयार करेगा,

अग्रतर प्रति बन्ध यह है कि यदि लेखा पुस्तके कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हो ; तो प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर व्यवहारी क्रय बीजक की "हार्ड कापी" निकालेगा तथा उन्हे प्रत्येक माह हेतु प्रत्येक की पचास प्रति सजिल्द रूप में रखेगा ।

(12) प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक, बिल, कैशमीमो तथा क्रय बीजक स्पष्ट पठनीय होगा ।

(13) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए प्रथम कर बीजक या विक्रय बीजक की क्रम सख्या और पुस्तक की क्रम संख्या 001 से प्रारम्भ होगी तथा प्रत्येक पुस्तक में तीन प्रतियो में 50 कर या विक्रय बीजक अन्तर्विष्ट होंगे और बाद के कर बीजक, विक्रय बीजक की क्रम संख्या एवं उनकी पुस्तक संख्या अरोही क्रम में होगी ।

(14) प्रत्येक कर बीजक व्यवहारी द्वारा इस हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पूर्व अभिप्रमाणित होगी तथा जिसकी सूचना व्यवहारी द्वारा पंजीकरण प्राधिकारी को दी गयी होगी ।

(15) अन्तर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के अनुक्रम में की जाने वाली बिक्री के लिए विक्रय बीजक अलग विक्रय बीजक पुस्तक से जारी किए जांएगे ।

(16) कमिश्नर समय-समय पर फार्म के सम्बन्ध में तथा कर बीजक, विक्रय बीजक, बिल, कैशमीमो तथा क्रय बीजक के रखरखाव व जारी करने के संबध में दिशा निर्देश एवं सपष्टीकरण जारी कर सकते हे ।

अध्याय - चार

कर विवरणी, कर निर्धारण, कर का भुगतान एवं कर वसूली

कर विवरणी का प्रस्तुतीकरण

45 (1) निम्नलिखित उपखण्डो में निर्दिष्ट एवं उल्लिखित व्यवहारियो के मामलो में धारा 24 में निर्दिष्ट कर अवधि ऐसी होगी जैसी प्रत्येक ऐसे उपखण्ड में दी जा रही है ;

(क) उस व्यवहारी के मामले में, जो किसी कर निर्धारण वर्ष में प्रथम बार कर भुगतान करने का दायी हो जाता है, कर अवधि निम्न प्रकार होगी :

(एक) प्रथम कर अवधि ऐसे कर निर्धारण वर्ष में उस दिनांक से प्रारम्भ होगी जिस दिनांक से व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हो जाता है और उस कैलेन्डर माह के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी जिसमे व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हुआ है ;

(दो) प्रथम कर अवधि की समाप्ति के पश्चात, कर निर्धारण

वर्ष जिसमे व्यवहारी कर भुगतान करने का दायी हुआ हो, प्रत्येक कैलेन्डर माह कर-अवधि होगा ;

(ख) उस व्यवहारी के मामले में, जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त, जैसा नीचे दिये गए स्पष्टीकरण में परिभाषित है एक करोड़ रूपये से अधिक होना सम्भावित नही है, या जिसका ऐसा सकल आवर्त संगत कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके किसी भाग में एक करोड़ रूपये से अधिक नही था, कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक त्रैमास, जो 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त हो, कर अवधि होगा ;

(ग) उस व्यवहारी के मामले मे, जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त, जैसा नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित है, एक करोड़ रूपये से अधिक होना संभावित है, या जिसका ऐसा सकल आवर्त संगत कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके किसी भाग में एक करोड़ रूपए से अधिक था, कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक कैलेन्डर मास कर-अवधि होगा ;

(घ) उस व्यवहारी के मामले में, जिसने अपना कारबार बन्द कर दिया है और जिसके मामले में -

(एक) किसी कर निर्धारण वर्ष का माह जिसमें उसने कारबार बन्द किया है उस माह के ठीक पूर्व का माह एक कर अवधि रहा हो, वह अवधि जो कारबार बन्द किए जाने वाले माह के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उस दिन जिस दिन उसने कारबार बन्द किया हो, अन्तिम कर अवधि होगी ;

(दो) किसी कर निर्धारण वर्ष का त्रैमास जिसमे उसने कारबार बन्द किया है, उस त्रैमास के ठीक पूर्व का त्रैमास एक कर अवधि रहा हो, वह अवधि, जो कारबार बन्द किए जाने वाले त्रैमास के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उस दिन जिस दिन उसने कारबार बन्द किया हो, अन्तिम कर अवधि होगी ;

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य हेतु सकल आवर्त का तात्पर्य -

(क) माल के उस क्रय के सकल आवर्त से है जिसका क्रय, धारा 5 के अन्तर्गत कर योग्य है ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन आच्छादित माल को छोड़ कर अन्य सभी माल के विक्रय के सकल अवर्त से है, जहां ऐसी बिक्री राज्य के भीतर की गयी हो, या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे की गयी हो, या, माल के भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या आयात के अनुक्रम में की गयी हो ;

(ग) उस माल के सकल मूल्य से है जिसे निशुल्क वितरित किया जाना, उपहार मे दिया जाना, चोरी हो जाना,नष्ट हो जाना या खो

जाना सूचित किया गया हो ;

(घ) माल के उस मूल्य से है जिसका राज्य के बाहर विक्रय से भिन्न किसी उद्देश्य से पारेषण किया गया हो ;

(ङ) पूँजी माल की सकल क्रय कीमत से है ।

(2) इस नियम के उपनियम 10 मे दिए गए प्राविधानों को छोड़कर, कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अगले दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व फार्म-चौबीस में कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रत्येक कर अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रत्येक वर्ग की वस्तु के लिए अधिसूचित कोड संख्या के अनुसार, जिसका वह व्यापार कर रहा हो, के विस्तृत विवरण के साथ कर विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी, जिसका उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त पच्चीस लाख रूपये से अधिक होने परन्तु एक करेाड़ रूपए से अधिक नहीं होने की संभावना है, तथा जिसका कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या करनिर्धारण वर्ष के किसी भाग, यथास्थिति, में सकल आवर्त एक करोड़ रूपए से अधिक नही था, वह उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक त्रैमास के कैलैन्डर माह के प्रथम दिवस से 20 दिन की अवधि की समप्ति के पूर्व उसके द्वारा संदेय शुद्ध कर की धनराशि जमा करेगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और त्रैमास की समप्ति के 20 दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को संदेय कर की शुद्ध धनराशि के जमा किए जाने के साक्ष्य के साथ कर विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रत्येक व्यवहारी जिसके द्वारा उपनियम (2) के अन्तर्गत कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी के साथ निम्नलिखित सूचियाँ प्रस्तुत करेगा :

(क) कर अवधि के दौरान उसके द्वारा की गयी खरीदों हेतु उसे प्राप्त कर बीजको से संम्बन्धित निम्न विशिष्टियों की सूची :

(एक) व्यवहारी का नाम और पता,

(दो) करदाता पहचान संख्या (TIN),

(तीन) कर निर्धारण वर्ष,

(चार) कर अवधि,

(पाँच) पंजीकृत व्यवहारी का नाम और पता जिससे माल क्रय किया गया,

(छः) माल के विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN),

(सात) कर बीजक संख्या,

(आठ) कर बीजक का दिनांक,

(नौ) माल का विवरण,

(दस) कर बीजक की कुल धनराशि,

(ग्यारह) कर योग्य माल का मूल्य,

(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि।

(ख) कर अवधि के दौरान उसके द्वारा की गयी बिक्रियों हेतु उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजकों से संबधित निम्न विशिष्टियों की सूची:

(एक) व्यवहारी का नाम और पता,

(दो) करदाता पहचान संख्या (TIN),

(तीन) कर निर्धारण वर्ष,

(चार) कर अवधि,

(पाँच) कर बीजक संख्या,

(छः) कर बीजक का दिनांक,

(सात) व्यक्ति या व्यवहारी, जिसे कर बीजक जारी किया गया का पूरा नाम व पूर्ण पता,

(आठ) क्रेता की करदाता पहचान संख्या (टिन) यदि कोई हो,

(नौ) माल का विवरण,

(दस) कर बीजक की कुल धनराशि,

(ग्यारह) माल का कर योग्य मूल्य,

(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि।

(4) उपनियम (2) के अन्तर्गत किसी कर अवधि के लिए कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व व्यवहारी इन नियमो में निर्धारित रीति से उसके द्वारा संदेय कर, जो उसने अधिनियम के अन्तर्गत कर विवरणी में घोषित किया है, की शुद्ध धनराशि जमा करेगा और कर विवरणी के साथ फार्म-एक में चालान की प्रति भी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई सरकारी विभाग पुस्तक अन्तरण (बुक ट्रॉसफर) द्वारा कर जमा करना चाहता है, तो ऐसा विभाग कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व संदेय कर की शुद्ध धनराशि हेतु तीन प्रतियों में एक बिल तैयार करेगा तथा इस विषय पर वित्तीय नियमावली के अनुसार उसे कर निर्धारक प्राधिकारी को पृष्ठांकित करेगा जिसकी दो प्रतिया ऐसी कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा। उनमें से एक प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा रख ली जायेगी तथा दूसरी प्रति धनराशि को वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा करने हेतु उत्तर प्रदेश के महालेखाकार को भेज दी जाएगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि में 20 मार्च तक का शुद्ध संदेय कर जमा किया जाएगा और ऐसे जमा का चालान उसी वर्ष के 25 मार्च तक करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) धारा 34 की उपधारा (7) या उपधारा (1) के अधीन की गयी कटौती की

धनराशि उस माह, जिस माह में कटौती की गयी है, के अन्तिम दिन के पश्चात वाले दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति के द्वारा सरकारी खजाने (कोष) में जमा की जाएगी।

(6) धारा 34 के किसी उपबंधो के अधीन कटौती करने का उत्तरदायी व्यक्ति प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के 30 जून; 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक त्रैमास को फार्म-पच्चीस में अन्तर्विष्ट निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण प्रस्तुत करेगा :

(क) व्यक्ति का नाम और पता,
(ख) कर कटौती संख्या (TDN) या करदाता पहचान संख्या (TIN),
(ग) कर निर्धारण वर्ष,
(घ) कर अवधि जिसमें कर की कटौती की गयी है,
(ड.) व्यक्ति, जिससें कर की कटौती की गयी है, का नाम और पता,
(च) व्यवहारी, जिससे कर की कटौती की गयी है, की करदाता पहचान संख्या (TIN),
(छ) संविदा संख्या और दिनांक (सकर्म संविदा के मामलो में),
(ज) विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बिल का क्रमांक, यदि कोई हो,
(झ) विक्रय बीजक या बिल के दिनांक,
(ञ) माल का विवरण,
(ट) विक्रय बीजक या बिल की धनराशि,
(ठ) कटौती किए गए कर की धनराशि,
(ड) कर कटौती प्रमाण पत्र, यदि जारी किया गया हो, की क्रम संख्या,
(ढ) जमा किए गए कर की धनराशि का विवरण,
(ण) ट्रैजरी चालान स0 ---------------- दिनांक .... ,
(त) बैंक, ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी का नाम ....,
(थ) जमा की गयी धनराशि रूपयो में।

(7) कर के भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी उपनियम (2) के अधीन दाखिल की गई कर विवरणी के अतिरिक्त, अक्टूबर 31 या उसके पूर्व फार्म-छब्बीस में अपने पूर्ववर्ती वर्ष के आवर्त की वार्षिक विवरणी उन सभी घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियो, जिसके आधार पर कर मुक्ति या कर में छूट का दावा किया गया है, या जिससे संव्यवहार की प्रकृति अवधारित हो, सहित कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी उपयुक्त कारणों के आधार को अभिलिखित करते हुए ऐसी विवरणी को दाखिल किए जाने की अवधि को 31 अक्टूबर के आगे 90 दिन तक बढ़ा सकता है।

(8) व्यवहारी जिसका एक से अधिक कारबार स्थल है, कारबार के मुख्य स्थान हेतु प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में उत्तर प्रदेश में स्थित अपने कारबार की सभी शाखाओ के आवर्त को सम्मिलित करेगा और इसकी सूचना प्रत्येक सम्बन्धित सहायक कमिश्नर को देगा।

(9) धारा-34 के अन्तर्गत श्रोत पर कर की धनराशि की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति करनिर्धारण वर्ष की समाप्ति पर अपने कारबार के मुख्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले सहायक कमिश्नर को पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष हेतु फार्म सत्ताईस में एक विवरण पत्र 30 जून या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के अनुरोध पर पाए गए उचित कारणो को अभिलिखित करते हुए ऐसे विवरण को दाखिल करने हेतु 60 दिन से अनधिक समयावधि बढ़ा सकता है।

(10) (क) प्रत्येक व्यवहारी जिस पर धारा 6 की उपधारा (1) का प्रथम उपबंध लागू होता हो, वह प्रत्येक कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाली प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी अनुलग्नकों सहित फार्म-चौबीस(अ) में करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ख) जहाँ कम्पनी या निगम एक व्यवहारी है और क्रूड आयल, पैट्रोल, डीज़ल, नेप्था आदि सहित विनिर्मित या आयातित पैट्रोलियम उत्पाद मे व्यवहार करता है, वह कर अवधि के समाप्त होने वाले दिन के अनुवर्ती दिन से प्रारम्भ होने वाली 20 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वस्तु के प्रत्येक वर्ग के अधिसूचित कोड संख्या के अनुसार, जिनमें उसके द्वारा व्यापार किया जा रहा है, विस्तृत सूचनाओ सहित, प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी फार्म-चौबीस(ब) में अनुलग्नकों सहित कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। व्यवहारी उपनियम-(3) के अधीन यथा उपबन्धित खरीद एवं बिक्री की सूची भी प्रस्तुत करेगा।

(11) प्रत्येक व्यवहारी, जिससे उपनियम (10) के खण्ड (क) अधीन कर विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, कर अवधि में की गयी खरीदो के सम्बन्ध में प्राप्त किए गए कर/विक्रय बीजकों के संम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियों की एक सूची प्रत्येक कर अवधि की कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा :

(एक) व्यवहारी का नाम और पता ;

(दो) करदाता पहचान संख्या (टिन) ;

(तीन) कर निर्धारण वर्ष ;

(चार) कर अवधि ;

(पाँच) पंजीकृत व्यवहारी, जिससे माल क्रय किया गया, का नाम और पता ;

(छ:) माल विक्रय करने वाले व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (टिन) ;

(सात) कर बीजक संख्या / विक्रय बीजक संख्या ;

(आठ) कर बीजक या विक्रय बीजक का दिनांक ;
(नौ) माल का विवरण ;
(दस) कर बीजक / विक्रय बीजक की सकल धनराशि ;
(ग्यारह) कर योग्य माल का मूल्य ;
(बारह) प्रभारित किए गए कर की धनराशि।

(12) उपनियम (10) के अन्तर्गत किसी कर अवधि के लिए कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व व्यवहारी इन नियमो मे निर्धारित रीति से, उसके द्वारा संदेय कर की धनराशि, जो उसने अधिनियम के अन्तर्गत कर विवरणी में घोषित किया है, जमा करेगा और कर विवरणी के साथ फार्म-एक मे चालान की प्रति भी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि 31 मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि मे 20 मार्च तक का शुद्ध संदेय कर जमा किया जाएगा और ऐसे जमा का ट्रेजरी चालान उसी वित्तीय वर्ष की 25 मार्च तक करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(13) कमिश्नर को कर विवरणी के फार्म को संशोधित करने की शक्ति होगी और वह कर अवधि की कर विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

मांग पत्र की नोटिस **46**

(1) व्यवहारी द्वारा जमा किए गए कर के आधिक्य में कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा धारा-25 या धारा-26 या धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी कर की धनराशि व्यवहारी पर डिमांड नोटिस की तामीली के उपरान्त नियम 12 में निर्धारित रीति के अनुसार जमा की जाएगी।

(2) धारा-25 की उपधारा (3) में, धारा 26 की उपधारा (5) में, धारा-28 की उपधारा 6 में तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट मांग की नोटिस फार्म अट्ठाईस में तैयार की जाएगी।

विधिक उत्तराधिकारी से कर की वसूली **47**

यदि किसी कर के निर्धारण में मृतक के किसी विधिक उत्तराधिकारी की सुनवाई नही की गयी है, तो मृतक के विरुद्ध देय कर की किसी धनराशि की वसूली मृतक के उत्तराधिकारी से उसे कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात ही की जा सकती है।

स्रोत पर कर कटौती करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को कर कटौती संख्या का आवंटन **48**

(1) पंजीकृत व्यवहारी के अतिरिक्त धारा 34 के उपबंधो के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति किसी धनराशि की कटौती के पूर्व उस व्यक्ति के कारबार के मुख्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष फार्म-उन्तीस में कर कटौती संख्या के आवंटन हेतु आवेदन देगा।

(2) सभी प्रार्थना पत्र सम्यक रूप से भरे जाएंगे तथा नीचे दी जा रही सारिणी के स्तम्भ-2 में वर्णित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और वह व्यक्ति सारिणी के स्तम्भ-3 में दिए गए प्रास्थिति कोड का प्रयोग करेगा :

क्र0 स0	विवरण	प्रास्थिति कोड

1	2	3
1-	एकल स्वामित्व के कारबार में स्वामी ; या	01
2-	अन्य सभी साझीदारों द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत साझीदार ; या	02
3-	अविभक्त हिन्दू परिवार के मामले में कर्ता; या	03
4-	लिमिटेड कम्पनीज के मामलों में प्रबन्ध निदेशक या निदेशक या निदेशकों के बोर्ड (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ; या	04
5-	समिति या क्लब के मामले में अध्यक्ष (प्रसीडेन्ट) या सचिव (सेक्रेटरी) ; या	05
6-	राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग के मामले में विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ; या	06
7-	जहां कारबार अवयस्क के नाम में है, अवयस्क का अभिभावक (संरक्षक) ; या	07
8-	जहां कारबार असमर्थ (इन कैपेसिटेटेड) व्यक्ति के नाम हो, वहाँ जनरल पावर आव अटार्नी द्वारा सम्यक रूप से अधिकृत व्यक्ति ; या	08
9-	न्यास (ट्रस्ट) के मामले मे न्यासी (ट्रस्टी) ; या	09
10-	किसी अन्य मामले मे, व्यवहारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी	10

(3) प्रार्थना पत्र के परीक्षण के उपरान्त और ऐसी जाँच, जिसे पंजीकरण प्राधिकारी आवश्यक समझे, के उपरान्त यदि वह सन्तुष्ट है कि प्रस्तुत की गयी विशिष्टियां (particulars) सही एवं पूर्ण है तथा शुल्क और विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, आवेदक के द्वारा जमा किया जा चुका है तो, वह उस व्यक्ति को फार्म-तीस में कर कटौती संख्या प्रमाण पत्र जारी कर देगा।

(4) उपनियम (3) के अन्तर्गत जारी किया गया प्रत्येक कर कटौती संख्या प्रमाणपत्र न्यूमेरिक (संख्या) या अल्फा-न्यूमेरिक (अक्षर-एवं संख्या) के ऐसे अंको से बनेगा जैसा कमिश्नर अवधारित करे।

स्रोत पर कर कटौती **49** (1) संविदी के द्वारा संविदाकार को भुगतान के संबंध में, या संविदा कार द्वारा उपसंविदाकार को भुगतान के संबंध में, या पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को या क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान के संबंध में स्रोत पर कर की धनराशि की कटौती हेतु संविदी द्वारा संविदाकार को, या संविदाकार द्वारा उपसंविदाकार को या पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को, या क्रेता द्वारा विक्रेता को, जैसी स्थिति हो, धारा 34 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र फार्म-इकतीस में जारी किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाण पत्र एक कैलेन्डर माह के दौरान

की गयी कटौतियों के सम्बन्ध में होगा।

(3) धारा 34 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार कर की धनराशि की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति पांच रूपए प्रति फार्म की दर से शुल्क का भुगतान करने के पश्चात अपने अधिकार क्षेत्र के कर निर्धारक प्राधिकारी (व्यवहारी के मामले में जहां उसके मुख्य व्यापार स्थल पर अधिकारिता हो), से फार्म-इकतीस में रिक्त (Blank) प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।

(4) यदि सहायक कमिश्नर सन्तुष्ट है कि प्रमाणपत्र की मांग उचित और युक्तियुक्त है, तो वह आवेदक को उतनी संख्या में प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जितना वह उचित समझता है, अन्यथा आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात वह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकता है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जो फार्म-इक्तीस में प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, फार्म-बत्तीस में बनाए गए रजिस्टर में ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों का लेखा रखेगा।

(6) जारी किए गए प्रमाणपत्रों से संम्बन्धित लेखा एक रजिस्टर में सहायक कमिश्नर द्वारा रखा जाएगा।

(7) उपनियम (4) के अन्तर्गत प्राप्त किया कोई प्रमाणपत्र उपनियम (1) में उल्लिखित विधियुक्त उद्देश्यो के अतिरिक्त अंतरणीय नही होगा।

(8) प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। वह व्यक्तिगत तौर पर इसके खो जाने, नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने और इस प्रकार के खो जाने, नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी राजस्व को हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(9) यदि कोई प्रमाणपत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति तत्काल इस तथ्य की सूचना सहायक कमिश्नर को देगा और खो जाने, नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने की सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) जारी करने के तत्काल कदम उठाएगा।

(10) सभी अप्रयुक्त प्रमाणपत्र सहायक कमिश्नर को वापस कर दिए जाएगे जो इनका लेखा एक रजिस्टर में रखेगा।

(11) कमिश्नर, राजपत्र में अधिसूचित करके, घोषणा कर सकता है कि विशिष्ट श्रॅखला, रचना (डिजाइन) और रंग के प्रमाण पत्र उस दिनांक से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, अप्रचलित और अवैध माने जाएंगे, और वह उनके स्थान पर नई श्रृंखला रचना व रंग के नए फार्मों को प्रतिस्थापित कर सकता है।

(12) यदि क्रेता द्वारा विक्रेता व्यवहारी को ; या संविदी द्वारा संविदाकार को ; या संविदाकार द्वारा उपसंविदाकार ; या पटटेदार द्वारा पटटाकर्ता को

सम्यक रूप से पूर्ण जारी प्रमाण पत्र संक्रमण (ट्रान्जिट) के दौरान या विक्रेता व्यवहारी; ठेकेदार, या उप ठेकेदार या पट्टाकर्ता के स्तर से खो जाता है, तो क्रेता, या संविदी या संविदाकार या पट्‌टेदार ऐसे विक्रेता व्यवहारी या संविदाकार या उपसंविदाकार या पट्‌टाकर्ता की मांग पर, उसी रीति से जैसे कि पहले घोषणा पत्र जारी किया गया था, एक डुप्लीकेट घोषणा पत्र उसको जारी कर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इसको जारी करने के पूर्व क्रेता व्यवहारी या पारेषिती ऐसे डुप्लीकेट फार्म के तीनों भाग पर लाल स्याही में अपने द्वारा सम्यक रूप से हस्तक्षरित निम्नलिखित घोषणा करेगा :

"मैं एतद् द्वारा घोषण करता हूँ कि यह, घोषण पत्र सं0 - - - - - - -दिनांक - - - - - - - - को हस्ताक्षरित (वस्तु का विवरण) - - - - - - के लिए रू0 - - - - - - - - - (माल का मूल्य) हेतु सर्वश्री - - - - - - - - - - - - - - - - को जारी घोषणा पत्र का डुप्लीकेट घोषणा पत्र है

हस्ताक्षर"

(13) कमिश्नर, फार्म और व्यवहारी की विशिष्टियाँ जिसके संबंध मे उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, को समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(14) उपनियम (11) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किए जाने पर सभी पंजीकृत व्यवहारी अपने पास उपलब्ध अप्रचलित एवं अवैध-घोषित किए गए सभी अप्रयुक्त फार्म, उस तारीख को या उसके पूर्व जिससे फार्म अप्रचलित या अवैध घोषित किए गए हो, सहायक कमिश्नर को सौंप देगा और बदले में ऐसे नए फार्म प्राप्त करेगा जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए हो :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी को नए फार्म तब तक नही जारी किए जाएगे जब तक वह पूर्व में जारी किए गए फार्म का हिसाब नही दे देता और जब तक वह अवशेष फार्म, यदि कोई हो, सहायक कमिश्नर को वापस नही कर देता।

अध्याय - पाँच
वापसी और समायोजन

वापसी और समायोजन **50** (1) जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कर निर्धारण वर्ष में कोई धनराशि जमा की गयी है या इन्पुट टैक्स की भांति उसका भुगतान किया गया है और ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को ऐसे कर निर्धारण वर्ष में कोई धनराशि वापसी योग्य है, तो उस व्यवहारी या सबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उस वर्ष या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अधीन, या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के आधीन या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अधीन न चुकाई गयी धनराशि के विरुद्ध समायोजित करने के पश्चात इस अधिनियम के अन्तर्गत वापसी की जाएगी।

(2) जहॉ किसी व्यवहारी या व्यक्ति (इस नियम में जिसे आगे प्राप्तकर्ता कहा जाएगा) को कोई धनराशि वापस की जानी है, तो उसे किसी बैंक जो कर, शुल्क या अर्थदंड या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य संदेय धनराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हो, की स्थानीय शाखा का नाम और पता देना होगा और वापसी देय हो जाने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर वह बैंक की ऐसी स्थानीय शाखा में अपना बैंक खाता संख्या कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्राप्तकर्ता ने बैंक की स्थानीय शाखा का नाम और पता और बैंक की स्थानीय शाखा में अपनी बैंक खाता संख्या पहले से कर निर्धारक प्राधिकारी को दिया है तो ऐसे विवरण का पुन: दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) कर निर्धारक प्राधिकारी सभी सुंसगत अभिलेखों की सूक्ष्मता से जांच एवं आवश्यक सत्यापन करने के उपरान्त, और धनराशि वापसी योग्य है, इस हेतु स्वयं सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त, जिस दिनांक को वापसी देय हो जाती है उस दिनांक से 21(इक्कीस) दिन की अवधि की समाप्ति होने से पूर्व अपने द्वारा फार्म-तेतीस में पारित वापसी आदेश (रिफन्ड आर्डर)की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी आदेश की प्रति की प्राप्ति के 5 (पॉच) दिन के भीतर, एक बिल तैयार करने के पश्चात, ऐसा बिल सम्बन्धित कोषाधिकारी को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या ट्रेजरी कारबार करने वाले किसी अन्य बैंक पर भुगतान योग्य "क्रास्ड एकाउंन्ट पेयी चेक" जारी करने हेतु भेजेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य हेतु, दिनांक, जिस को वापसी देय हो गयी है, वह दिनांक होगी जो

(क) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के दिनांक जिससे वापसी सृजित होती हो ; या

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी के कार्यालय में, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश, जिससे वापसी सृजित हुई हो, की प्राप्ति के दिनांक ; या

(ग) जहाँ वापसी इन्पुट टैक्स क्रेडिट के आधिक्य से सम्बन्धित हो और ऐसी धनराशि की वापसी अनुज्ञेय हो, कर विवरणाी प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक या दिनांक जिसको कर विवरणी प्रस्तुत की गयी हो, जो भी बाद की हो,

के ठीक बाद मे आए।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए बिल में प्राप्तकर्ता के बैंक का नाम, उसकी खाता संख्या और उसके नाम का उल्लेख किया जाएगा

(5) बिल की प्राप्ति के दिन से 4 (चार) के भीतर कोषाधिकारी सम्बन्धित बैंक की सर्विस ब्रांच को, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या ट्रेजरी कारबार

करने वाले किसी बैंक पर भुगतान योग्य, बिल में वापसी योग्य प्रदर्शित धनराशि का "क्रास्ट एकाउन्ट पेई चेक" भेजेगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चेक कोषाधिकारी द्वारा उस बैंक हेतु जारी किया जाएगा जिसका उल्लेख पूर्ववर्णित बिल में किया गया है

(7) सम्बन्धित बैंक की सर्विस ब्रांच वापसी की धनराशि का प्राप्तकर्ता के सम्बन्धित शाखा के खाते मे जमा हो जाना सुनिश्चित करेगी।

(8) बैंक, जिसके लिए चेक जारी किया गया है, को चेक के प्रेषण के साथ-साथ कोषाधिकारी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या अन्य बैंक, जिस पर चेक भुगतान योग्य है, को फार्म चौतीस में एडवाइस की मूल प्रति भेजेगा, और ऐसी एडवाइस की द्वितीय प्रति आहरण और वितरण अधिकारी को, जिसने बिल तैयार किया है, को अग्रसारित करेगा।

(9) अधिनियम और इन नियमो के लिए, दिनांक, जिसको कोषाधिकारी द्वारा वापसी की धनराशि हेतु प्राप्तकर्ता के बैंक को चेक भेज दिया जाता है, वापसी के दिनांक मानी जाएगी।

(10) धारा 40 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी धनराशि का समायोजन फार्म-तैतीस(अ) मे पारित समायोजन आदेश के द्वारा किया जाएगा। आदेश की प्रति व्यवहारी की उस सुसंगत पत्रावली, जिसमे समायोजन किया गया है, मे रखी जाएगी। पारित किए गए आदेश की एक प्रति व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

(11) माह के दौरान अनुज्ञात किए गए रिफन्ड (वापसी) का अगले माह ट्रेजरी के अभिलेखो से सत्यापन किया जाएगा जिसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षर किया गया विवरण जिसमें जारी किये गये चेक या बिल का ब्यौरा प्रदर्शित हो, कोषाधिकारी को भेजा जाएगा। कोषाधिकारी वापसी का सत्यापन करेगा तथा विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस कर देगा।

(12) वापसी (रिफन्ड) से सम्बन्धित पूर्वगामी नियमों के उपबंध धारा 43 के अध्यधीन धनराशि के वितरण हेतु आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगें।

(13) व्यवहारी, जिसने धारा 43 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई धनराशि वसूल की है, नियम 38 के अध्यधीन दाखिल विवरणी के साथ ऐसी धनराशि जमा करेगा। यदि वह विवरणी दाखिल करने का दायी नही है, ता वह सुसंगत कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर समस्त धनराशि जमा करेगा। ऐसी वसूल की गयी धनराशि नियम 11 में विनिर्दिष्ट रीति से जमा की जाएगी।

(14) व्यवहारी की धनराशि का भुगतान किए जाने की रसीद, या दावेदार से धनराशि वसूल किए जाने का व्यवहारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, अधिनियम 43 की उपधारा (3) के अध्यधीन दावे की वापसी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(15) कर निर्धारक प्राधिकारी, अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार

पर और ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के उपरान्त यदि सन्तुष्ट है कि धनराशि वापसी योग्य है, तो वह उपनियम (1) से (9) मे दी गयी रीति के अनुसार दावेदार को धनराशि वापस करेगा । दावेदार के दावे को अस्वीकार करने के पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी दावेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा । दावेदार द्वारा फार्म पैतीस में प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति बन्धपत्र (इन्डेम्निटी बाण्ड)पर ही धनराशि वापस की जाएगी ।

(16) धनराशि की वापसी के पश्चात किसी भी समय, कारणों को अभिलिखत करते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि धनराशि वापसी येाग्य नही थी या अब वापसी योग्य नहीं हो गयी है, वह आदेश पारित करते हुए दावेदार को निर्देशित करेगा कि अधिक्य मे वापस की गयी धनराशि को आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राजकोष मे जमा करे। यदि दावेदार उक्त समय के भीतर धनराशि जमा करने में विफल होता है तो वह धारा 33 के उपबंधो के अधीन उससे वसूल की जाएगी :

प्रतिबंध यह है कि दावेदार को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना जमा करने का कोई आदेश नहीं दिया जएगा ।

विलम्ब से वापसी पर ब्याज की देयता

51 (1) वापसी हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात वापसी अनुज्ञात करने के कारण जहां कोई धनराशि ब्याज के रूप में देय हो, करनिर्धारक प्राधिकारी फार्म छत्तीस में ब्याज की देयता हेतु आदेश तैयार करेगा और नियम-50 के उपनियम (3) में निर्धारित रीति के अनुसार ऐसे आदेश की एक प्रति आहरण और वितरण अधिकारी को देगा । आहरण और वितरण अधिकारी, आदेश में उल्लिखित धनराशि का बिल तैयार करने के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी से आदेश की प्रति प्राप्त करने के दिनांक से 5 दिन (पॉच दिन) के भीतर ऐसा बिल कोषाधिकारी को भेजेगा । कोषाधिकारी बिल की प्राप्ति के दिनांक से 4 (चार) दिन के भीतर नियम-50 के उपबंन्ध की रीति से "क्रास्ड एकाउन्ट पेयी चेक" जारी करेगा ।

(2) नियम-50 के उपनियम (2) से (8) तक यथाआवश्यक परिवर्तनो सहित ब्याज में भुगतान के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने; आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी को बिल भेजने; कोषाधिकारी द्वारा बैंक को और आहरण एवं वितरण अधिकारी को 'चेक' और 'एडवाइस' जारी करने; भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा या अन्य बैंक, जो ट्रेजरी का कारबर करती हो, द्वारा धनराशि को प्राप्तकर्ता के बैंक को और ब्याज की धनराशि का ऐसी बैंक में प्राप्तकर्ता के खाते मे अन्तरण के लिए उसी प्रकार लागू होगी जैसी वापसी की धनराशि के भुगतान के लिए लागू होती है ।

(3) नियम-50 के अध्यधीन अनुज्ञात वापसी और इस नियम के अध्यधीन भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि का भुगतान इस अधिनियम के अध्यधीन कर प्राप्ति के 'हेड' से किया जएगा ।

अध्याय - छह
नीलामी तलाशी, अभिग्रहण एवं जॉंच चौकियॉं

अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समन पत्र का रुप पत्र

52 अभिलेख प्रस्तुत करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति हेतु धारा 47 की उप धारा (3) में संदर्भित समन पत्र फार्म-सैंतीस में जारी किया जायेगा।

माल की नीलामी की प्रक्रिया

53 (1) जहॉं किसी माल को बेचे जाने का ओदश दिया जाय, वहॉं उसकी बिक्री निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी द्वारा की जायेगी।

(क) माल की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर द्वारा नाम निर्दिष्ट उप कमिश्नर .... अध्यक्ष

(दो) सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट, सहायक कमिश्नर .... सदस्य

(तीन) माल का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी या अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (8) के अधीन माल की बिक्री कराने के लिये अधिकृत कर-निर्धारक प्राधिकारी .... पदेन सदस्य

(ख) पदेन सदस्य नीलामी करने के लिए एक अधियाचन, समिति के अध्यक्ष को भेजेगा।

अधियाचन में नीलाम किये जाने वाले माल का पूर्ण विवरण और नीलाम का दिनांक समय और स्थान भी होगा। नीलाम के लिये कम से कम सात दिन की नोटिस दी जायेगी। अध्यक्ष द्वारा नीलाम का विज्ञापन या तो उस क्षेत्र में व्यापक परिचलन वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में नीलाम की नोटिस का प्रकाश्ंन करके या नगाड़ा पीटकर किया जायेगा। नीलाम की नोटिस को नीलाम के स्थान पर प्रमुख रुप से प्रदर्शित भी किया जायेगा।

(ग) समिति नीलाम किये जाने वाले माल का न्यूनतम मूल्य अवधारित करेगी।

(घ) नीलाम किया जाने वाला माल एक या अधिक लाटों में रखा जा सकता है।

(2) नीलाम की शर्ते निम्न प्रकार होगीं:-

(एक) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न्यूनतम मूल्य के पॉंच प्रतिशत के बराबर बयाने की धनराशि जमा कर दी हो, नीलाम में बोली लगाने के हकदार होंगे।

(दो) माल का नीलाम 'जहॉं है जैसा भी है', के सिद्धान्त पर किया जायेगा।

(तीन) समिति को किसी बोली को अस्थायी रुप से स्वीकार करने या स्वीकार न करने का अधिकार होगा। समिति ऐसे कारणों से,

जो अभिलिखित किये जायेंगे, शीघ्र और प्रकृत्य क्षयशील माल के मामले में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर भी बोली स्वीकार कर सकती है। किसी बोली का अन्तिम रुप से स्वीकार किया जाना सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर के अनुमोदन के अधीन होगा।

(चार) नीलामकर्ता को समिति द्वारा अस्थायी रुप से बोली स्वीकार कर लेने के पश्चात् नीलाम की धनराशि का 20 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा। नीलाम की धनराशि शेष धनराशि माल के परिदान के समय जमा की जायेगी। माल का परिदान सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर द्वारा बोली को अन्तिम रुप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

(पाँच) यदि नीलाम क्रेता, समिति द्वारा अस्थायी रुप से बोली को स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् तुरन्त नीलाम की धनराशि का बीस प्रतिशत जमा करने में विफल रहता है, तो वह स्वत: रद्द हो जायेगा, और ऐसे नीलाम क्रेता के बयाने की धनराशि समयहत कर ली जायेगी।

(छह) यदि सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर द्वारा बोली को अन्तिम रुप से स्वीकार नहीं किया जाता है, तो नीलाम क्रेता द्वारा जमा की गयी धनराशि जिसके अन्तर्गत बयाने की धनराशि भी है, उसको वापस कर दी जायेगी।

(सात) यदि नीलामी क्रेता बोली के अन्तिम रुप से स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सूचना की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर माल का परिदान लेने में विफल रहता है, तो वह रद्द हो जायेगा। ऐसी दशा में नीलाम क्रेता द्वारा जमा की गयी बयाने की धनराशि समयहत कर ली जायेगी, नीलाम पर किये गये खर्च को नीलाम क्रेता द्वारा बीस प्रतिशत जमा की गयी बोली की धनराशि से काट लिया जायेगा और बोली की धनराशि, की शेष धनराशि, यदि कोई हो, नीलाम क्रेता को नीलाम दिनांक से तीन मास के भीतर वापस कर दी जायेगी।

(आठ) अन्य बोली लगाने वालों द्वारा जमा की गयी बयाने की धनराशि नीलाम के दिनांक के तीन कार्य दिवसों के भीतर उनको वापस कर दी जायेगी।

(नौ) नीलाम क्रेता को बोली की धनराशि के अतिरिक्त विक्रय-मूल्य पर कर जमा करना होगा।

(दस) यदि सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर द्वारा अन्तिम रुप से बोली को स्वीकार नहीं किया जाता है या सफल बोली लगाने वाले द्वारा बोली की धनराशि को जमा करने में विफल रहने के कारण या विनिर्दिष्ट समय के भीतर नीलाम किये गये माल का परिदान लेने में विफल रहने के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो

इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माल को पुन: नीलाम किया जायेगा ।

(ग्यारह) यदि अभिग्रहण या शास्ति का आदेश नीलाम की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात किन्तु उसके पूर्ण होने के पूर्व किसी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिखण्डित किया जाता है, तो माल स्वामी को या उस व्यक्ति को जिससे माल अभिग्रहीत किया गया था, वापस कर दिया जायेगा । यदि नीलामी पूरी हो जाती है, तो नीलाम से प्राप्त धनराशि नीलाम में किये गये व्ययों की कटौती करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को भुगतान कर दी जायेगी ।

(बारह) नीलाम से प्राप्त धनराशि नीलाम पर किये गये व्ययों की कटौती करने के पश्चात् निर्धारित या आरोपित किसी कर या शास्ति के प्रति समायोजित कर दी जायेगी । अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, स्वामी को या माल के परिवहनकर्ता या उस व्यक्ति को जिससे माल अभिग्रहीत किया गया था, भुगतान कर दी जायेगी।

(तेरह) किसी कर या शास्ति के प्रति समायोजित धनराशि, यथास्थिति, व्यवहारी या परिवहनकर्ता या उस व्यक्ति के जिससे माल अभिग्रहीत किया गया था, नाम कोषागार में जमा कर दी जायेगी और जमा का प्रमाण-पत्र पदेन सदस्य को भेज दिया जायेगा ।

जॉच चौकियों की स्थापना **54** (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा धारा 49 के अधीन राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, जॉच चौकियॉ और नाकों (Barriers) के स्थापित करने का निर्देश दे सकती है ।

(2) जब किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सड़क पर जॉच चौकी बनायी जाये तो सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग के आर-पार यांत्रिक विधि से नाके बनाये जा सकेंगे, जिससे गाड़ियॉ तथा यानों का मार्ग अवरुद्ध किया जा सके; उन्हें रोका जा सके अथवा उनकी तलाशी ली जा सके ।

(3) (क) गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर अथवा अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति गाड़ी या यान में ले जाये जाने वाले उस माल के सम्बन्ध में जो धारा-50 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित या उसमें निर्दिष्ट हो और जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, निम्नलिखित लेख-पत्र अपने साथ रखेगा-

(एक) आयात के लिये घोषणा-पत्र का फार्म-अड़तीस या फार्म-उनतालिस में प्रमाण-पत्र, जिन्हें इस अध्याय के नियमों में, घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र, जैसी भी दशा हो, दों प्रतियों में; पूर्ण रुप में भरा हुआ, एवं माल के क्रेता और विक्रेता या जब माल का हस्तान्तरण बिक्री के अलावा किया गया हो, तो प्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरों से युक्त ;

(दो) कैशमेमों, बिल, बीजक या चालान ;

(तीन) माल के हस्तान्तरण के लिये प्राधिकार-पत्र/माल चालान (जिसे आगे यात्रा शीट कहा गया है) तीन प्रतियों में ।

(ख) गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर अथवा अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति गाड़ी में परिवहन किये जाने वाले अन्य सभी माल के सम्बन्ध में तीन प्रतियों में यात्रा शीट अपने साथ रखेगा ।

(4) (क) कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र

(एक) जिसके सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) या नियम-57 के उपनियम (8) के अधीन रिपोर्ट की गयी हो ; या

(दो) जो नियम-56 के उपनियम (13) या नियम-57 के उपनियम (10) के अधीन कमिश्नर द्वारा अप्रचलित और अवैध घोषित किया गया हो,

उपनियम (3) के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, रिपोर्ट के दिनांक से या उस दिनांक से जब से उसे ऐसा घोषित किया जाय, वैध नहीं होगा ।

(ख) कोई प्रमाण पत्र जिसकी नियम-57 के उपनियम (4) में यथानिर्दिष्ट वैधता की अवधि समाप्त हो गयी हो, उपनियम (3) के प्रयोजनार्थ वैध नहीं होगी ।

(5) ट्रक या यान (vessel) का स्वामी अथवा परिवहन, अभिकरण, अग्रेषण-अभिकरण (Forwarding agency) या निकासी अभिकर्ता, जैसी भी दशा हो, भेजे हुए माल को देते समय माल पाने वाले को, यथास्थिति, घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा ।

(6) उपनियम (3) में अभिदिष्ट यात्रा शीट फार्म-चालीस होगा और उसमें उपनियम (3) के खण्ड (क) और (ख) में अभिदिष्ट ऐसे सभी माल के सम्बन्ध में, जो गाड़ी या यान में ले लाया जा रहा है, ब्यौरे होंगे । विभिन्न गन्तव्य स्थानों के लिये आयातित माल के लिये पृथक् यात्रा शीट प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(7) कमिश्नर, समय-समय पर, प्रान्त बाहर से माल आयात के सम्बन्ध मे एवं घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु, प्रक्रिया के अनुपालन के लिये निर्देश जारी कर सकता है ।

मार्गस्थ माल का निरीक्षण 55

(1) प्रत्येक जॉच चौकी या नाके या किसी अन्य स्थान पर जब जॉच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा या नियम (5) में अधिकृत अधिकारी, जो धारा 45 एवं 48 के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो, द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तब, यथास्थिति, गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी या यान को रोके रखेगा और उसे तब तक रोके रखेगा, जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो । वह ऐसे अधिकारी को गाड़ी या यान की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण करने देगा और ले जाने वाले माल से सम्बन्धित समस्त लेखों तथा अभिलेखों का जो उसके कब्जे में हो या गाड़ी अथवा यान में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो, निरीक्षण करने

देगा,

(2) गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर या अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी दशा हो, यदि उपनियम (1) में अभिदिष्ट अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, अपना नाम और पूरा पता, गाड़ी या यान के स्वामी का नाम तथा पूरा पता, यदि वह गाड़ी या यान में उपस्थित न हो, उसे देगा।

(3) यदि ऐसे परीक्षण पर अधिकारी को यह पता चलेगा या उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि-

(क) कोई एक या एकाधिक पारेषण नियम 54 के उपनियम (3) में अभिदिष्ट एक या एकाधिक लेखों के अन्तर्गत नहीं आते; या

(ख) किसी पारेषण के सम्बन्ध में कोई ऐसा लेख मिथ्या, झूठा, अशुद्ध, अपूर्ण या अवैध है,

तो अधिकारी गाड़ी या यान के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि माल क्यों न अभिग्रहीत कर लिया जाय, नोटिस जारी करेगा।

(4) यदि अधिकारी का, यथास्थिति, भूल या दोष के कारण या कारणों के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो वह अपनी आपत्तियों को अभिलिखित करने के पश्चात् नोटिस रद्द कर सकता है।

(5) यदि अधिकारी गाड़ी के स्वामी, चालक या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो वह माल को जब्त करने का आदेश देगा और जब्त किये गये माल के संबंध में पूर्वोक्त व्यक्ति को रसीद देगा।

(6) कमिश्नर प्रान्त बाहर से आयातित माल की जॉच एवं अभिग्रहण के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।

घोषणा-पत्र जारी तथा प्रस्तुत किया जाना और तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषय

56 (1) कोई पंजीकृत व्यवहारी जो राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में धारा 50 की उपराधारा (1) के अधीन विज्ञापित या उसमें निर्दिष्ट माल, जो तद्धीन निर्दिष्ट परिमाप, माप या मूल्य से अधिक हो, आयात या प्राप्त करना चाहता है तो वह दूसरे राज्य के विक्रेता व्यवहारी या पारेषक को उपनियम (4) के अधीन प्राप्त घोषणा-पत्र की दो प्रतियॉ भेजेगा।

(2) पंजीकृत व्यवहारी सादे घोषणा-फार्मों को जारी करने के लिए उस सहायक कमिश्नर को, जिसके क्षेत्राधिकार में उसके कारबार का मुख्य स्थान हो, प्रार्थना-पत्र देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र जारी करते समय, व्यवहारी से ऐसे विवरण मॉग सकता है, जो कमिश्नर द्वारा समय-समय पर निर्देशित किये गये हो।

(3) कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई सादा घोषणा फार्म तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि पॉच रुपया प्रति फार्म की दर से शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया हो। प्रार्थना पत्र पर नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(4) यदि करनिर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि व्यवहारी की सादे घोषणा पत्र की मॉग वास्तविक और उचित है तो वह उतने फार्म जारी कर सकता है जो वह उचित समझे । कोई घोषणा-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यवहारी पहले प्राप्त किये गये ऐसे समस्त फार्मों का हिसाब न दे दे ।

(5) यदि अदा किया गया शुल्क जारी किये गये घोषणा-पत्रों के लिये देय शुल्क से अधिक हो, तो शेष धनराशि व्यवहारी के खाते में जमा रहेगी, जिसे भविष्य में जारी किये जाने वाले घोषणा-पत्रों के प्रति समायोजित किया जायेगा ।

(6) पंजीकृत व्यवहारी घोषणा-पत्र के मूल तथा द्वितीय प्रति के भागों को, समस्त अपेक्षित ब्यौरे भरने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद दूसरे राज्य के विक्रय व्यवहारी या पारेषक को भेजेगा, वह प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा ।

(7) पंजीकृत व्यवहारी उपनियम (4) के अधीन प्राप्त प्रत्येक घोषणा पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा । वह किसी ऐसे फार्म के खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने, इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने के प्रत्यक्ष, या अप्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप, सरकारी राजस्व की हानि के लिए, यदि कोई हो, स्वयं उत्तरायी होगा ।

(8) कोई पंजीकृत व्यवहारी, जिसे घोषणा-पत्र जारी किया गया हो, उपनियम (1) के विधिक प्रयोजनों के अतिरिक्त उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।

(9) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जिसे उपनियम (4) के अधीन घोषणा-पत्र जारी किया जाय, फार्म-इक्तालिस में एक रजिस्टर में प्रत्येक ऐसे घोषणा-पत्र का सही और पूर्ण विवरण रखेगा, यदि कोई घोषणा-पत्र खो जाए, नष्ट हो जाय, या चुरा लिया जाय तो व्यवहारी इस तथ्य की सूचना तुरन्त करनिर्धारक प्राधिकारी को देगा, उपरोक्त रजिस्टर में समुचित प्रविष्टियॉ करेगा और इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की समुचित सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(10) पंजीकृत व्यवहारी, यथास्थिति, अपना व्यापार बन्द कर देने पर या उसका पंजीयन का प्रमाण पत्र रद्द कर दिये जाने या वैधता की अवधि समाप्त हो जाने पर समस्त अप्रयुक्त घोषणा-पत्र जो उसके स्टाक में बच रहे हों, तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा ।

(11) यदि क्रेता व्यवहारी या पारेषिती द्वारा विक्रेता व्यवहारी या पारेषक को जारी किया गया, यथाविधि, भरा गया घोषणा-पत्र मार्ग में विक्रेता व्यवहारी या पारेषक द्वारा खो जाय, तो क्रेता व्यवहारी या पारेषिती ऐसे विक्रेता व्यवहारी या पारेषक की मॉग पर उसे एक दूसरा घोषणा पत्र उसी रीति से जारी करेगा, जिस प्रकार मूल घोषणा-पत्र जारी किया गया हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि उसे जारी करने के पूर्व क्रेता व्यवहारी या पारेषक ऐसे द्वितीय घोषणा-पत्र के तीनों भागों पर लाल स्याही से लिखकर निम्नलिखित घोषणा करेगा और उस पर यथाविधि हस्ताक्षर करेगा।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि यह घोषणा-पत्र संख्या . . . . की दूसरी प्रति है, जिस पर दिनांक . . . . को हस्ताक्षर किया गया था और जिसे सर्वश्री . . . . को . . . . रुपये . . . . के मूल्य के (माल का विवरण) . . . . के सम्बन्ध में जारी किया गया था।

हस्ताक्षर

(12) कमिश्नर समय-समय पर, गजट में ऐसे घोषणा-पत्र के ब्यौरे प्रकाशित करेगा, जिसके सम्बन्ध में उपनियम (9) के अधीन सूचना प्राप्त हुई हो।

(13) कमिश्नर, विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि किसी विशिष्ट श्रंखला, रचना या रंग के घोषणा-पत्र उस दिनांक से जिसे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, अप्रचलित और अवैध समझे जायेंगे और उनके स्थान पर नई श्रंखला, रचना, रंग के नये फार्म प्रतिस्थापित कर सकता है।

(14) जब उपनियम (13) के अधीन कोई विज्ञप्ति जारी की जाये, तो सभी पंजीकृत व्यवहारी उस दिनांक को या उसके पूर्व, जब से उन्हें इस प्रकार अप्रचलित तथा अवैध घोषित किया जाय, अप्रचलित तथा अवैध घोषित ऐसे सभी अप्रयुक्त घोषणा-पत्र जो उनके पास हों, करनिर्धारक प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देंगे ओर उनके बदले में ऐसे नये घोषणा-पत्र प्राप्त करेंगे जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किये जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यवहारी को नये घोषणा पत्र तब तक जारी नहीं किये जायेंगे, जब तक कि उसने पहले जारी किये गये समस्त घोषणा-पत्रों का लेखा न दे दिया हो और जब तक कि उसने शेष घोषणा-पत्र, यदि कोई हो, असिस्टेन्ट कमिश्नर को लौटा न दिये हों।

(15) कोई पंजीकृत व्यवहारी, कोई घोषणा, सिवाय ऐसे घोषणा-पत्र में जो उस करनिर्धारक प्राधिकारी से, जिसका उसके व्यापार के मुख्य स्थान पर क्षेत्राधिकार हो, प्राप्त किया गया है और जो उपनियम (13) के उपबन्धो के अधीन अप्रचलित या अवैध न घोषित किया गया हो, जारी नहीं करेगा।

(16) करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे घोषणा-पत्रों के सम्बन्ध में जो उसे प्राप्त हुए हों, अथवा जो उसके द्वारा जारी किये गये हों और अभ्यर्पित फार्मों के सम्बन्ध में कमिश्नर द्वारा निर्धारित लेखा रखेगा।

प्रमाण पत्र का जारी तथा प्रस्तुत किया जाना और

57 (1) पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित माल को

तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषय

तद्धीन निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, आयात या प्राप्त करना चाहे, इस नियम के उपबन्धों के अनुसार करनिर्धारक प्राधिकारी से फार्म-उन्तालीस में प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है और उसकी मूल तथा दूसरी प्रतियॉ दूसरे राज्य के विक्रेता व्यवहारी या पारेषक को भेज सकता है।

(2) किसी प्रमाण पत्र के लिये, प्रार्थना पत्र फार्म बयालीस में होगा और ऐसे करनिर्धारक प्राधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रार्थी व्यापार करता हो, या जो व्यापार न करता हो, तो जहॉ निवास करता हो प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक पारेषक के लिये अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिया जायेगा।

(3) कोई प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि पॉच रुपये प्रति प्रमाण पत्र के शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।

(4) यदि करनिर्धारक प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि प्रमाण पत्र के लिये मॉग वास्तविक और उचित है तो वह उसे जारी कर सकता है, अन्यथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात वह प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर सकता है। जारी किया गया प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि तक के लिये वैध होगा।

(5) यदि करनिर्धारक प्राधिकारी जारी किये प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में लेखा रखेगा।

(6) उपनियम (4) के अधीन प्राप्त कोई प्रमाण पत्र उपनियम (1) में उल्लिखित विधि संगत प्रयोजनों के सिवाय हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

(7) प्रार्थी प्रमाण पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा। वह व्यक्तिगत रुप से इसके खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामस्वरुप सरकारी राजस्व की हानि के लिये भी, यदि कोई हो, उत्तरदायी होगा।

(8) यदि कोई प्रमाण पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय या चुरा लिया जाये, तो वह व्यक्ति जिसने इसे प्राप्त किया हो, इस तथ्य की सूचना तुरन्त करनिर्धारक प्राधिकारी को देगा और इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(9) सभी अप्रयुक्त प्रमाण पत्र करनिर्धारक प्राधिकारी को लौटा दिये जायेंगें, जो अभ्यर्पित फार्मो के रजिस्टर में इसका लेखा रहेगा।

(10) कमिश्नर, विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि किसी विशिष्ट श्रंखला, रचना या रंग के प्रमाण पत्र उस दिनांक से, जिसे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, अप्रचलित तथा अवैध समझे जायेगें और उनके स्थान पर नई श्रंखला, रचना या रंग के नये फार्म प्रतिस्थापित कर सकता है।

राज्य में होकर सड़क से **58** (1) ऐसे किसी वाहन का, जो राज्य के बाहर किसी स्थान में आ रहा हो और

माल का पारगमन

राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये जा रहा हो, जो धारा 52 में दी गयी परिस्थितियों में माल का परिवहन कर रहा हो, ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति माल के परिवहन के लिये प्रमाण पत्र जारी करने हेतु, तीन प्रतियों में फार्म तैतालीस में प्रार्थना पत्र, राज्य में प्रवेश स्थल के निकट स्थापित जॉच चौकी यदि कोई हो, जिसे आगे प्रवेश जॉच चौकी कहा गया है, के प्रभारी अधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल का प्रान्त बाहर से परिवहन, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग या कोरियर से प्रान्त में किसी स्थान के लिये करने के पश्चात प्रान्त बाहर के लिये सड़क मार्ग में वाहन द्वारा होना हो,तब ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति, जो प्रान्त बाहर माल ले जायेगा, वह माल के परिवहन के लिये प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु फार्म चौवालीस के तीन प्रतियों में प्रार्थना पत्र, उस कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान पर हो, जहॉ माल रेल, जल, वायु मार्ग या कोरियर से प्राप्त किया गया हो।

(2) प्रवेश जॉच चौकी का प्रभारी अधिकारी या उपनियम (1) में संदर्भित कर निर्धारक प्राधिकारी, लेखों का परीक्षण करने के पश्चात और ऐसी जॉच जिसे वह आवश्यक समझे करने के पश्चात, प्रार्थना पत्र की सभी प्रतियों पर गाड़ी या यान द्वारा राज्य की पार की जाने वाली जॉच चौकी या नाका (जिसे आगे निर्गम जॉच चौकी कहा गया है) और वह समय तथा दिनांक, जब तक उसे पार कर लेना चाहिए, विनिर्दिष्ट करेगा और पारगमन पत्र की दो प्रतियॉं ड्राइवर या गाड़ी के प्रभारी व्यक्ति को देगा और एक प्रति अपने पास रख लेगा।

(3) गाड़ी या यान का ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति अपनी गाड़ी को ऐसी निर्गम जॉच चौकी पर रोकेगा, पारगमन पत्र की एक प्रति अभ्यर्पित (Surrender) करेगा तथा जॉच चौकी के प्रभारी अधिकारी को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य के बाहर ले जाने वाले पारेषण वही है, जो पारगमन पत्र में उल्लिखित है, लेख्यों, पारेषण तथा माल का निरीक्षण करने देगा। निर्गम जॉच चौकी का प्रभारी अधिकारी गाड़ी के ऐसे ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पित पारगमन पत्र की दूसरी प्रति पर एक रसीद जारी करेगा।

(4) निर्गम जॉच चौकी के प्रभारी अधिकारी को, उपनियम (3) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये, गाड़ी की अन्तर्वस्तुओं को रोकने, उतारने तथा तलाशी लेने का अधिकार होगा।

(5) कमिश्नर, समय समय पर, माल के परिवहन के लिये पारगमन पत्र जारी करने, एवं अभ्यर्थित करने सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये निर्देशं जारी कर सकता है।

डाक, रेल, नदी या वायुमार्ग द्वारा माल का आयात या उसकी प्राप्ति

59 (1) कोई रजिस्टर्ड व्यवहारी या रजिस्टर्ड व्यवहारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो (राज्य के बाहर किसी स्थान से) उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर डाक, रेल, नदी या वायु-मार्ग, धारा 50 की उपधारा (1) में विज्ञापित या उसमें

तथा तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषय

विनिर्दिष्ट माल उस परिमाण, माप या मूल्य से अधिक का आयात करना या प्राप्त करना चाहता है, जो तद्धीन विनिर्दिष्ट हो, अपने द्वारा यथाविधि भरे गये तथा हस्ताक्षरित, यथास्थिति, घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा द्वितीय प्रति को पृष्ठांकन के लिये उस कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में वह व्यापार करता हो, अथवा यदि व्यापार न करता हो तो साधारणत: निवास करता हो।

(2) कर निर्धारक प्राधिकारी, जिसे कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र पृष्ठांकन के लिये प्रस्तुत किये जाएँ, उनकी शुद्धता तथा पूर्णता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात उन पर हस्ताक्षर करेगा, अपनी शासकीय मुहर लगायेगा, घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र की मूलप्रति अपने पास रखेगा तथा उसकी द्वितीय प्रति पर रोकी गई मूल प्रति की प्राप्ति की रसीद पृष्ठांकन करके उसे, यथास्थिति, रजिस्टर्ड व्यवहारी को या रजिस्टर्ड व्यवहारी से भिन्न अन्य व्यक्ति को, लौटा देगा। कर-निर्धारक प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, व्यवहारी अथवा सम्बद्ध व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह अन्य राज्य के विक्रेता व्यवहारी अथवा पारेषक से अपने को प्राप्त हुए बिल या नकदी पर्चा या चालान या बीजक प्रतियों को घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र की अन्तर्वस्तुओं के सत्यापन के लिये प्रस्तुत करें।

(3) रेल, या वायुमार्ग या डाक से सम्बन्धित अधिकारी पारेषण को व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को तब तक नहीं देगा, जब तक उसके समक्ष पूर्णरूप से पृष्ठांकित घोषणा पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।

(4) नियम 54, नियम 56 के समस्त उपनियम, उपनियम (1), (6), (8) एवं (11) को छोड़कर एवं नियम 57 के समस्त उपनियम, उपनियम (1) एवं (6) को छोड़कर इस उपनियम (1) में संदर्भित घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

(5) कमिश्नर, समय-समय पर, माल की परिदान लेने एवं घोषणा पत्र य प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया के पालन के लिये निर्देश जारी कर सकता है।

अध्याय - सात
अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण एवं विवादित प्रश्नों पर निर्णय

अपील करने का न्यायालय **60** (1) धारा 55 के अधीन अपील निम्नलिखित को की जायेगी :-

(क) अपर कमिश्नर (अपील) को, ऐसे मामले में, जिसमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, संयुक्त कमिश्नर (कर-निर्धारण) द्वारा पारित की गई हो, और

(ख) अन्य सभी मामलों मे संयुक्त कमिश्नर (अपील) को।

(2) धारा 57 के अधीन अपील अधिकरण को की जायेगी।

अपील का ज्ञापन पत्र **61** (1) प्रत्येक अपील वाटर मार्क या किसी अन्य मजबूत कागज पर लिखित

ज्ञापन पत्र के रुप में प्रस्तुत की जायेगी ।

(2) अपील के ज्ञापन पत्र में अपीलकर्ता का नाम और उसका पूरा पता विनिर्दिष्ट किया जायेगा । उसमें संक्षिप्त रूप से और स्पष्ट शीर्षकों में आपत्ति के आधार और प्रार्थना (रिलीफ) वर्णित होगें और उस पर अपीलकर्ता, या उसके वकील या उसके यथाविधि प्राधिकृत एजेन्ट के हस्ताक्षर होगें और उसका सत्यापन निम्नलिखित रुप में किया जायेगा:-

(एक) मैं ---------------------------- अपीलकर्ता / अपीलकर्ता की ओर से, एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन-पत्र के अन्र्ततथ्य मेरी समुचित जानकारी और विश्वास में सत्य हैं ।

(दो) मैं ---------------------------- अपीलकर्ता / अपीलकर्ता की ओर से एतदद्वारा अग्रतर घोषणा करता हूँ कि यह अपील प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही है और इसे पहले प्रस्तुत नही की गयी है ।

(3) अपील के ज्ञापन पत्र के साथ अधिनियम के अधीन देय फीस के भुगतान का प्रमाण पत्र और धारा 55 के अधीन किसी अपील की स्थिति में, एक चालान या सम्बद्ध कर-निर्धारक प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र भी, जिसमें धारा 55 की उपधारा (10) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार कर या फीस जमा करना दिखाया गया हो, होना चाहिए ।

(4) धारा 55 के अधीन अपील के ज्ञापन पत्र के साथ उस आज्ञा की, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो,एक प्रमाणित प्रतिलिपि और प्रत्येक की दो सत्य प्रतिलिपियॉ लगाई जायेगीं। ज्ञापन पत्र की मूलप्रति और यथा उपर्युक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील सुनने वाले प्राधिकारी द्वारा रख ली जायेगी और उसमें से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि उक्त अधिकारी द्वारा सम्बद्ध कर-निर्धारक प्राधिकारी और एक प्रतिलिपि विभागीय प्रतिनिधि पर तामील की जायेगी ।

(5) धारा 57 के अधीन अपील के ज्ञापन पत्र के साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, एक प्रमाणित प्रतिलिपि और प्रत्येक की तीन सत्य प्रतिलिपि लगाई जायेगी । ज्ञापन पत्र की मूलप्रति और उपर्युक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अधिकरण द्वारा रख ली जायेगी और उसमें से एक की प्रत्येक प्रतिलिपि कर-निर्धारक प्राधिकारी और और एक प्रतिलिपि राज्य प्रतिनिधि पर और कमिश्नर द्वारा दायर की गई अपील की स्थिति में प्रतिपक्षी पर तामील की जायेगी ।

(6) धारा 55 व 57 के अधीन अपील के ज्ञापन पत्र के साथ अपना पता लिखे हुए तीन बिना टिकट लगे लिफाफा होगे । अपील के ज्ञापन पत्र या लिफाफे में उल्लिखित पते में कोई परिवर्तन अपीलकर्ता द्वारा, यथास्थिति, अपील सुनने वाले प्राधिकारी या अधिकरण को, अपील का ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्धारित रीति से

संसूचित किया जायेगा ।

अपील का ज्ञापन पत्र किस प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा **62**

(1) अपील का ज्ञापन पत्र या तो, यथास्थिति, अपील सुनने वाले प्राधिकारी या अधिकरण को अपीलकर्ता, उसके वकील या उसके यथाविधि प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, या ऐसे प्राधिकारी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जायेगा । साधारण डाक द्वारा भेजे गये अपील के ज्ञापन पत्र को ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि अपील का ज्ञापन पत्र वकील या किसी प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाये तो, यथास्थिति, वकालतनामा या मुख्तारनामा भी संलग्न किया जायेगा ।

(3) अपील का ज्ञापन पत्र प्राप्त होने पर मुन्सरिम उसे इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में दर्ज करेगा और ज्ञापन पत्र पर उसके प्रस्तुत किये जाने का दिनांक पृष्ठांकित करेगा, उसका परीक्षण करेगा और रिपोर्ट अभिलिखित करेगा कि वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिसीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है और नियमानुकूल है, और उसे ग्रहण करने के लिये, यथास्थिति, अपील सुनने वाले प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष दाखिल किए जाने हेतु रखेगा ।

(4) यदि अपील का ज्ञापन पत्र ठीक है, तो उसे ग्रहण किया जायेगा -

(क) अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा या, यथास्थिति,

(ख) अधिकरण द्वारा, जब तक कि वह धारा 57 की उपधारा (4) के अधीन उसे खारिज करने का निश्चय न करें ।

(5) यदि अपील का ज्ञापन पत्र ठीक न हो या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत न किया जाय तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

(6) यदि अपील का ज्ञापन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त किया जाय, तो यथास्थिति, अपील सुनने वाले प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा उसे प्राप्त किये जाने के दिनांक को इसे प्रस्तुत किए जाने का दिनांक समझा जायेगा।

(7) इस नियमावली के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, पक्षों द्वारा या उनकी ओर से दिये गए किसी अन्य प्रार्थनापत्र पर लागू होगें ।

अपील का निस्तारण **63**

(1) अपील की सुनवाई, यथास्थिति, अपील सुनने वाले प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा नियत किये जाने वाले दिनांक को की जायेगी ।

(2) यथास्थिति, अपील सुनने वाला प्राधिकारी या अधिकरण नियत दिनांक की नोटिस अपील के पक्षों पर अपील के ज्ञापन पत्र में उल्लिखित पते पर, या उनके वकील या प्राधिकृत एजेन्ट पर उचित समय से तामील करायेगा ।

(3) किसी "सप्ताह में सुनवाई" के लिये नियत मामलों की नोटिस पिछले सप्ताह के अन्तिम कार्य-दिवस को, यथास्थिति, अपील सुनने वाले अधिकारी या अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जायेगी ।

(4) सुनवाई के दिनांक को, यदि अपील के सभी सुसंगत अभिलेख प्राप्त हो

गये हों, उपस्थित पक्षों को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिया जायेगा और यथास्थिति, अपील सुनने वाला प्राधिकारी या अधिकरण सुसंगत अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात अपील पर निर्णय देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि समुचित रुप से नोटिस तामील किये जाने के पश्चात भी कोई एक पक्ष उपस्थित न हो तो अपील की सुनवाई की जा सकती है और एकपक्षीय निर्णय किया जा सकता है।

(5) अपील का निर्णय लिखित होगा और उसमें निम्नलिखित बातें दी जायेगीं:-

(क) अवधारण (Determination) के बिन्दु,

(ख) उन पर निर्णय, और

(ग) ऐसे निर्णय के कारण।

(6) अधिकरण द्वारा ग्रहण किये गये एक ही मामले से उद्भूत होने वाली प्रति-अपीलो (क्रास अपील) की सुनवाई और निर्णय यथासम्भव एक साथ किया जायेगा।

(7) धारा 55 या धारा 57 के अधीन प्रत्येक आदेश की प्रति सम्बद्ध पक्ष को निःशुल्क दी जायेगी या उन पर तामील की जायेगी। ऐसे आदेश की प्रथम प्रति से भिन्न प्रति सम्बद्ध पक्षों को आवेदन-पत्र देने पर और बीस रुपये के मूल्य का प्रतिलिपि-पत्र (Folios) देने पर दी जायेगी।

(8) किसी प्रार्थी या प्रतिपक्षी को अपील सुनने वाले प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष अपने मामले में यथास्थिति किसी वकील या एकाउन्टेन्ट या राज्य प्रतिनिधि द्वारा बहस कराने का अधिकार होगा।

(9) नियम-72 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियम के अधीन नोटिस, आहान-पत्र, (Summons), या आदेश आदि के तामील करने के सम्बन्ध में लागू होगें :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य प्रतिनिधि पर तामील किया जाना, कमिश्नर पर तामील किया जाना समझा जायेगा।

अधिकरण **64** (1) अधिकरण के अध्यक्ष का मुख्यालय लखनऊ में होगा और वह उत्तर प्रदेश में समस्त खण्डों पर समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और वह किसी मामले को अपने द्वारा सुनवाई करने के लिए वापस मॉग सकता है।

(2) धारा 57 उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य एक सदस्य की न्यायपीठों के मुख्यालय और क्षेत्राधिकार ऐसे होगें जिन्हें राज्य सरकार अध्यक्ष के परामर्श से समय-समय पर आधियाचित करें।

(3) अध्यक्ष समय-समय पर दो या अधिक सदस्यों की न्यायपीठ का गठन कर सकते हैं, और ऐसे न्यायपीठ का क्षेत्राधिकार और बैठने का स्थान, जैसा वह आवश्यक समझें, विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

(4) दो या अधिक सदस्यों का प्रत्येक न्यायपीठ में, धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट स्रोतों में से प्रत्येक स्रोत के सदस्यों

की संख्या, यथाव्यवहार्य, बराबर-बराबर होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रत्येक न्यायपीठ में कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों अथवा जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य हों या रहे हों।

(5) धारा 57 की उपधारा (9) के अधीन स्थगन के आवेदन-पत्र की सुनवाई और उसका निस्तारण एक सदस्य की न्यायपीठ द्वारा किया जा सकता है भले ही उसमें कितनी ही धनराशि अन्तर्ग्रस्त हों।

(6) अधिकरण के सदस्य, अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण (Supervision) में होगें।

अधिकरण में नियुक्ति **65** अधिकरण में नियुक्तियॉ राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(क) उन व्यक्तियों की स्थिति में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं या उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य हैं, उच्च न्यायालय के परामर्श से,

(ख) एडवोकेट की स्थिति में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, और

(ग) उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर-सेवा के व्यक्तियों की स्थिति में उन व्यक्तियों में से जो संयुक्त कमिश्नर से अनिम्न पद पर हों या रहें हो, योग्यता के सिद्धान्त पर चयन द्वारा।

अपील में या निरीक्षण में दी गई आज्ञा का लागू किया जाना **66** यदि अपील या निरीक्षण में दिया गया आदेश किसी आदेश में परिवर्तन करता है, तो सहायक कमिश्नर अधिक कर या शुल्क को वापस कर देगा या जो कमी हो उसे वसूल कर लेगा, जैसी भी दशा हो।

कमिश्नर के समक्ष धारा 59 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख **67** धारा 59 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिया जाने वाला प्रत्येक प्रार्थना पत्र कमिश्नर को संबोधित होगा, एवं निम्न अभिलेखों के साथ कमिश्नर के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) ऐसा अभिलेख, जिसमें यह तथ्य प्रमाणित हो कि कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत या अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उठाये गये बिन्दु या बिन्दुओं के संबंध में किसी भी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है।

(ख) प्रार्थना पत्र के ग्राहयता के लिये धारा 59 में वॉछित शुल्क के जमा का अभिलेख।

(ग) प्रार्थी द्वारा उठाये गये प्रश्न के समर्थन में अभिलेख।

(घ) उन न्यायिक निर्णयों की प्रतियॉ, जिन पर प्रार्थी निर्भर करता है।

(ङ) उन विशेषज्ञ रायों की प्रतियॉ, यदि कोई हो, जिन पर प्रार्थी निर्भर करता है।

(च) अन्य कोई अभिलेख, जिसे प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहे।

अध्याय-आठ
व्यवस्थापन - आयोग

व्यवस्थापन - आयोग के समक्ष याचिका **68**

(1) कोई भी व्यवहारी, या अन्य व्यक्ति, जिस पर धारा 45 की उपधारा (10), धारा 48 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नोटिस तामील कराया गया हो, या धारा 54 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तालिका की प्रविष्टि (2) या (14) में दिये गये कार्यो या भूलों के सम्बन्ध में अर्थदण्ड लगाने हेतु नोटिस जारी की गयी हो, उसके द्वारा व्यवस्थापन आयोग के समक्ष नीचे दिये गये प्रारूप में पॉच प्रतियों में सुपाठ्य याचिका प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें से प्रथम प्रति वाटर मार्क कागज पर टाइप की गयी होगी । प्रत्येक याचिका की प्रति, याचिकाकर्ता या अधिकृत व्यक्ति द्वारा (नीचे दिये गये याचिका के प्रारूप के दिये गये ढंग से) हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होनी चाहिए ।

(2) याचिका, 5000-00 रु0 की देय शुल्क के जमा का प्रमाण एवं विवादित नोटिस की प्रति के साथ दाखिल की जायेगी ।

(3) याचिका धारा 64 की उपधारा (1) में दिये गये समय के अन्दर दाखिल की जायेगी ।

(4) कोई भी याचिका तब तक दाखिल नही की जा सकती है जब तक याचिका की एक प्रति उस अधिकारी को जिसने कारण बताओं नोटिस, जो याचिका मे विवादित है, जारी किया हो ; एवं एक प्रति व्यवस्थापन आयोग में कमिश्नर के प्रतिनिधि को तामील न करा दी गयी हो ।

व्यवस्थापन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थना का प्रारूप **69**

धारा 64 से संदर्भित याचिका, व्यवस्थापन-आयोग के अध्यक्ष के समक्ष, निम्न प्रारूप में, समस्त नीचे दिये गये संलग्नकों सहित प्रस्तुत की जायेगी :

समक्ष :
माननीय अध्यक्ष,
व्यवस्थापन आयोग,
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर,
लखनऊ ।

विषय : उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2007 की धारा 64 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष ---------- के लिये याचिका ।

सर्वश्री ------------------- (याचिकाकर्ता का नाम एवं पता) - याचिकाकर्ता

बनाम

-- प्रतिपक्षी

श्रीमान जी,

मैं, --एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस याचिका के अन्र्ततथ्य, जानकारियॉ एवं अन्य विषयक वस्तु मेरी समुचित जानकारी एवं विश्वास में सत्य है ।

मैं अग्रेत्तर घोषणाा करता हूँ कि इससे पहले इस याचिका की विषय

वस्तु पर आयोग के समक्ष कोई अन्य याचिका प्रस्तुत नही की गयी है।

स्थान :

दिनांक : . . . .

याचिकाकर्ता / याचिकाकर्ता के द्वारा
अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

इस याचिका के साथ दाखिल किये जाने वाले अभिलेख :

(1) याचिका में आक्षेपित नोटिस की प्रति

(2) देय फीस के जमा के प्रमाण में, चालान नं0...... दिनांक .... जमा --------------------------------------(बैंक / ट्रेजरी का नाम)

(3) स्वीकृत कर जमा का प्रमाण

(4) अन्य कोई भी सुसंगत अभिलेख (यदि कोई हो) ----------------- (अभिलेख के टाइटिल को इंगित करें)

अध्याय - नौ
विविध

कर आस्थगन **70** (1) इस नियम के अन्य प्राविधानों के अध्यधीन, व्यवहारी जो, इस अधिनियम के प्रादुर्भाव से पहले के दिन या बाद में पात्रता प्रमाण पत्र धारक हैं, वह निम्न प्रकार उस परिणाम एवं अवधि तक, जो भी पहले समाप्त हो, अधिनियम की धारा 42 में, संदर्भित कर आस्थगन के लिये निम्न प्रकार पात्र होगी :

(क) (एक) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के प्रथम पैरा में संदर्भित औद्योगिक ईकाई के मामले में, पात्रता प्रमाण-पत्र में इंगित कर में छूट की राशि एवं वह कुल राशि जिस पर उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 और केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रादुर्भाव पर पहले छूट का लाभ दिया जा चुका है, के अन्तर के बराबर तक,

(दो) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (।) के द्वितीय पैरा में संदर्भित औद्योगिक ईकाईयों के मामलों में, उस शेष राशि तक जो इस अधिनियम के प्रार्दुभाव के दिन कर आस्थगन के लिये उपयुक्त थी।

(ख) उस शेष अनुतोष अवधि के लिये जो इस अधिनियम के प्रार्दुभाव के दिन, पात्रता प्रमाण-पत्र में इंगित कुल अनुतोष अवधि में से शेष थी।

(2) कर आस्थगन की सुविधा, इस अधिनियम में शुद्ध देय कर की राशि के लिये देय होगी।

स्पष्टीकरण : शुद्ध देय कर का अर्थ है :

(क) औद्योगिक ईकाई, जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर अनुतोष का लाभ ले रही है, के मामले में इकाई में निर्मित नोन वैट गुड्स को छोड़कर करयोग्य वस्तुओं की बिक्री पर इस अधिनियम के

अन्तर्गत देय कर एवं कर योग्य वस्तुओं पर देय इन्पुट टैक्स क्रेडिट की सीमा तक या आनुपातिक रुप से देय इन्पुट टैक्स क्रेडिट की राशि के अन्तर की धनराशि के बराबर।

(ख) औद्योगिक इकाई, जो कर की दर में कमी का लाभ ले रही है, शुद्ध देय कर इस स्पष्टीकरण की उपधारा (क) के अनुसार निकाला जायेगा, यह ऑशिक देय कर होगा, जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (यदि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 समाप्त न किया गया होता तो) के अन्तर्गत देय कर की दर के सापेक्ष छूट के लिए उपलब्ध कर की दर के अनुपात में होगा।

(3) कर आस्थगन की सुविधा, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007, एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय होगी।

(4) कुल कर की राशि, जिनका भुगतान उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये आस्थगित किया गया है, उपनियम (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (एक) या उपखण्ड (दो), में सन्दर्भित अन्तर की राशि (जैसा लागू हो) विकलित की जायेगी।

(5) कर का भुगतान, जिसके लिये आस्थगन की सुविधा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये दी गयी है, वह पॉच वर्ष के लिये आस्थगित की जायेगी और यह पॉच वर्ष की अवधि, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्तिम कर अवधि की कर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक के तुरन्त बाद से प्रारम्भ होगी।

(6) व्यवहारी जो आस्थगन की सुविधा अधिनियम के अन्तर्गत ले रहे है, वह कुल देय कर की गणना का विवरण, कुल अनुतोष राशि, गत माह तक प्रयुक्त अनुतोष राशि, माह में प्रयुक्त अनुतोष राशि एवं माह के अन्त में अवशेष अनुतोष राशि, कर अवधि की रिटर्न के साथ दाखिल करेगें।

वादों का अन्तरण **71** (1) कमिश्नर, कमिश्नर के साधारण नियंत्रण के अध्यधीन, स्पेशल कमिश्नर, एवं अपर कमिश्नर, जो कमिश्नर के कार्यालय में नियुक्त हो, किसी भी अवस्था में किसी वाद का या किसी प्रकार के वादों को एक क्षेत्र के कर-निर्धारण प्राधिकारी के पास से दूसरे कर-निर्धारक प्राधिकारी को या अपने अधीनस्थ अधिकारी को, अन्तरित कर सकता है।

(2) कमिश्नर के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपर कमिश्नर, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) भी, किसी भी प्रक्रम पर किसी वाद को या किसी प्रकार के वादों को, यथास्थिति, अपने जोन के भीतर या अपने सम्भाग के भीतर एक कर-निर्धारक प्राधिकारी के पास से दूसरे कर-निर्धारक प्राधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(3) (क) कमिश्नर किसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व या तो स्वप्रेरणा से या अपीलार्थी के आवेदन-पत्र पर किसी मामले को या

मामलों के किसी वर्ग को एक अपर कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे अपर कमिश्नर (अपील) को या एक संयुक्त कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे संयुक्त कमिश्नर (अपील) को या किसी अपर कमिश्नर (अपील) को अन्तरित कर सकता है।

(ख) अधिकरण का अध्यक्ष किसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ होने के पश्चात किसी प्रक्रम पर अपीलार्थी या कमिश्नर के आवेदन-पत्र पर, किसी मामले को या मामलों के किसी वर्ग को एक अपर कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे अपर कमिश्नर (अपील) को या एक संयुक्त कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे संयुक्त कमिश्नर (अपील) को या अपर कमिश्नर (अपील) को अन्तरित कर सकता है।

स्पष्टीकरण :- (1) जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाय, ऐसे अधिकारी को, जिसके पास उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मामला अन्तरित किया जाय, समस्त ऐसे अधिकार होगें जो उस अधिकारी को थे, जिसके पास से मामला अन्तरित किया गया था, और वह उस प्रक्रम से कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है, जिस पर इस प्रकार मामला अन्तरित किया गया था।

स्पष्टीकरण :- (2) इस नियम के प्रयोजनार्थ सुनवाई नियम-63 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट नोटिस के जारी होने पर प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

(4) व्यापार कर कमिश्नर कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर किसी वाद को या किसी प्रकार के वादों को धारा 56 के अधीन प्राधिकृत एक अधिकारी के पास से किसी दूसरे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

तामीली का तरीका

72 अधिनियम या नियमों के अधीन किसी भी नोटिस आवाहन - पत्र (सम्मन) या आदेश की तामीली निम्न लिखित में से किसी भी ढंग से की जा सकती है :

(क) **जब साध्य हो तब समन की तामील स्वयं व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर, अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी -** जहां कहीं भी यह साध्य हो वहां तामील स्वयं व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी किन्तु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है, तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी।

(ख) **उस अभिकर्ता पर तामील जिसके व्यवहारी द्वारा या संबंधित व्यक्ति कारबार करता है -** किसी कारबार या काम से संबंधित किसी ऐसे वाद में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है, जो उस अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है, जिसने नोटिस, सम्मन या आदेश निकाला है, किसी भी ऐसे प्रबन्धक या अभिकर्ता पर तामील ठीक तामील समझी जाएगी, जो तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं ऐसा कारबार या काम करता है।

(ग) **जहां तामील व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति के कुटुम्ब के वयस्क**

सदस्य पर की जा सकेगी - जहां किसी वाद में व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति अपने निवास-स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील उसके निवास-स्थान पर की जानी है, और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास-स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, वहां तामील व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति के कुटुम्ब के ऐसे किसी व्यस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है।

स्पष्टीकरण - इस नियम के अर्थ में सेवक, कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

(घ) **वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा -** जहां आदेशिका निर्वाहक नोटिस, आदेश या सम्मन की प्रति स्वयं व्यवहारी को या संबंधित व्यक्ति को, या उसके निमित अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को, परिदत्त करता है या निविदत्त करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत या निविदत्त की गई है, उससे वह यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल सम्मन, नोटिस या आदेश पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे।

(ङ) **जब व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया -** जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, या जहां आदेशिका निर्वाहक सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति को न पा सके, जो अपने निवास-स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील उसके निवास-स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास-स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके वहां आदेशिका निर्वाहक उस गृह के, जिसमें व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति सामान्य तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर सम्मन, नोटिस या आदेश की एक प्रति चस्पा करेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें उसने ऐसा किया, इंगित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता इंगित होगा जिसने गृह पहचाना था

और जिसकी उपस्थिति में प्रति चस्पा की गई थी, उस अधिकारी को लौटाएगा, जिसने सम्मन निकाला था।

(च) **तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन -** आदेशिका निर्वाहक उन सभी दशाओं में, जिनमें नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील उप नियम (घ) के अधीन की गई है और उस समय को जब और उस रीति को जिससे सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील की गई थी और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो नोटिस सम्मन या आदेश के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था तो उसका नाम और पता इंगित करने वाली विवरणी मूल नोटिस, सम्मन या आदेश पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल नोटिस, सम्मन या आदेश से उपाबद्ध करेगा या कराएगा।

(छ) **आदेशिका निर्वाहक की परीक्षा -** जहां नोटिस, सम्मन या आदेश उप नियम (ङ) के अधीन लौटा दिया गया है वहां आदेशिका निर्वाहक की परीक्षा, उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत, अधिकारी स्वयं या किसी अन्य अधिकारी द्वारा उस दशा में करेगा या करायेगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी आदेशिका निर्वाहक द्वारा शपथपत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील सम्यक् रुप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

(ज) **वैयक्तिक तामील के अतिरिक्त डाक द्वारा तामील के लिए नोटिस, सम्मन या आदेश का एक साथ जारी किया जाना -**

(एक) अधिकारी तामील करने के लिए नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने के साथ ही साथ यह भी निर्देश देगा कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति को, या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को संबोधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान पर की जाए, जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसका अभिकर्ता वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है परन्तु जहां मामले की परिस्थितियों में अधिकारी इसे अनावश्यक समझता है, वहां इस उपनियम की कोई बात अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील करने के लिए नोटिस, सम्मन या आदेश निकाले।

(दो) जहां अधिकारी व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य रखने वाली

अभिस्वीकृति प्राप्त करता है या जहां अधिकारी उस डाक वस्तु को जिसमें नोटिस, सम्मन या आदेश है, ऐसे पृष्ठांकन के साथ वापस करता है, जो डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय से किया गया तात्पर्यित है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता ने उस डाक वस्तु को जिसमें सम्मन, नोटिस, या आदेश है, निविदत्त किए जाने पर ग्रहण करने से इंकार कर दिया था, तो नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने वाला अधिकारी यह घोषणा करेगा कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर नोटिस, सम्मन या आदेश की सम्यक् रुप से तामील की गई थी :

परन्तु जहां नोटिस, सम्मन या आदेश उचित रुप से पता लिख कर, उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक् रुप से भेजा गया था वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर-उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से नोटिस, सम्मन या आदेश निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई है ।

(झ) **प्रतिस्थापित तामील -**

(एक) जहां अधिकारी का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाए, सामने आने से बचता है या नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील सामान्य प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती वहां अधिकारी आदेश देगा कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील उसकी एक प्रति कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगाकर और, यदि ऐसा कोई गृह हो, तो उस गृह के, जिसमें व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति का अन्तिम बार निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर भी लगा कर या ऐसी अन्य रीति से, जो अधिकारी ठीक समझे, की जाए ।

(दो) जहां उपनियम (क) के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी समाचारपत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है वहां वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है, जिसमें व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति का अन्तिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है ।

(तीन) प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव - अधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह स्वयं व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर की गई हो ।

(चार) जहां तामील प्रतिस्थापित की गई हो वहां उपस्थिति के लिए

समय का नियत किया जाना -- जहां अधिकारी के आदेश द्वारा तामील प्रतिस्थापित की गई है वहां अधिकारी व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति के लिए ऐसा समय नियत करेगा जो उस मामले में अपेक्षित हो।

(ञ) **जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति किसी अन्य प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, ऐसे में नोटिस, समन या आदेश की तामील -** नोटिस, सम्मन या आदेश को प्राधिकारी जिसने उसे निकाला है, अपने आदेशिकी निर्वाहक द्वारा या डाक द्वारा राज्य के भीतर या बाहर ऐसे किसी प्राधिकारी को भेज सकेगा, जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहाँ व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति निवास करता है।

(ट) **जिस प्राधिकारी को सम्मन भेजा गया है उसका कर्त्तव्य --** वह प्राधिकारी जिसको नोटिस, सम्मन या आदेश नियम (ञ) के अधीन भेजा गया है, उसकी प्राप्ति पर इस भांति असर होगा मानो वह उसी प्राधिकारी द्वारा निकाला गया था और तब वह उससे संबंधित अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख के (यदि कोई हो) सहित नोटिस, सम्मन या आदेश उसे निकालने वाले प्राधिकारी को वापस भेज देगा।

(ठ) **कारागार में व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति पर तामील --** जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति कारागार में परिरुद्ध है वहां नोटिस, सम्मन या आदेश कारागार के भारसाधक अधिकारी को व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील के लिए परिदत्त किया जाएगा या डाक द्वारा या अन्यथा भेजा जाएगा।

(ड) **सिविल लोक अधिकारी पर या रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर तामील --** जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति लोक अधिकारी है (जो भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना का नहीं है) या रेल कम्पनी या स्थानीय प्रधिकारी का सेवक है वहां, यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि नोटिस, सम्मन या आदेश की तामील अत्यन्त सुविधापूर्वक ऐसे की जा सकती है तो वह उसे उसकी उस प्रति के सहित जो संबंधित व्यक्ति द्वारा रख ली जानी है, उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें संबंधित व्यक्ति नियोजित है, संबंधित व्यक्ति पर तामील के लिए भेज सकेगा।

(ढ) **उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसको सम्मन, नोटिस या आदेश तामील के लिए परिदत किया जाए या भेजा जाए --**

(एक) जहां नोटिस, सम्मन या आदेश तामील के लिए किसी व्यक्ति को उपनियम (ठ) एवं (ड) के अधीन परिदत्त किया गया है या भेजा गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, उसकी तामील, यदि संभव हो, करने के लिए और अपने हस्ताक्षर करके व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति की लिखित अभिस्वीकृति के साथ लौटाने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे हस्ताक्षर तामील के साक्ष्य समझे

जाएंगे।

(दो) जहां किसी कारण से तामील असंभव हो वहां नोटिस, सम्मन या आदेश ऐसे कारण के और तामील कराने के लिए की गई कार्यवाहियों के पूर्ण कथन के साथ प्राधिकारी को लौटा दिया जाएगा और ऐसा कथन तामील न होने का साक्ष्य समझा जाएगा।

(ण) **नोटिस, सम्मन या आदेश के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना --**

(एक) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां प्राधिकारी की यह राय है कि व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति ऐसी पंक्ति का है जो उसे इस बात का हकदार बनाता है कि उसके प्रति ऐसा सम्मानपूर्ण बर्ताव किया जाए, वहां वह नोटिस, सम्मन या आदेश के बदले ऐसा पत्र प्रतिस्थापित कर सकेगा जो प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित होगा।

(दो) उपनियम (एक) के अधीन प्रतिस्थापित पत्र में वे सब विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जिनका नोटिस, सम्मन या आदेश में कथित होना अपेक्षित है और उपनियम (तीन) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह हर तरह से नोटिस, सम्मन या आदेश माना जाएगा।

(तीन) ऐसा प्रतिस्थापित पत्र संबंधित व्यक्ति को डाक या प्राधिकारी द्वारा चुने गए विशेष संदेश-वाहक द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति से जो प्राधिकारी ठीक समझे, भेजा जा सकेगा और जहां संबंधित व्यक्ति का ऐसा अभिकर्ता हो जा तामील प्रतिगृहित करने के लिए सशक्त है वहां वह पत्र ऐसे अभिकर्ता को परिदत्त किया जा सकेगा या भेजा जा सकेगा।

अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों के समक्ष प्रत्यावेदन **73** यदि अधिनियम या उसके अन्तर्गत नियमों में कोई बात विपरीत न हो तो कोई कार्य जो कि अधिनियम या नियमों के अनुसार या अधीन किसी व्यवहारी को करना है या करने की अनुमति है, सिवाय उस समय जबकि उसने शपथ लेकर या प्रतिज्ञान करके व्यक्तिगत रुप से बयान देने के निमित्त, उपस्थित रहने के लिये कहा गया हो, एक वकील, एकाउन्टेन्ट या अधिकृत प्रतिनिधि, जिसे व्यवहारी ने इस सम्बन्ध में लिखकर नियुक्त किया हो, कर सकता है।

दुराचरण के लिये कार्यवाही **74** (1) यदि व्यवहारी के प्रतिनिधि, अधिवक्ता के मुन्शी, या क्लर्क, वाहन के स्वामी या अधिकृत व्यक्ति, ट्रॉसपोर्टर के प्रतिनिधि, वाहन के ड्राइवर, एवं ड्राइवर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अधिनियम या नियमों के सम्बन्ध में कार्यवाही के दौरान, कमिश्नर या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा दोषी पाया जाता है, तब कमिश्नर या उपरोक्त अधिकारी निर्देश दे सकता है कि आगे से इन नियमों के अधीन किसी

व्यवहारी का प्रतिनिधित्व करने का उसे अधिकार न होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :-

(क) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसा निर्देश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे अपनी सफाई देने का उचित अवसर न दे दिया जाये,

(ख) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा निर्देश दिया जाय, निर्देश दिये जाने के एक महीने के भीतर निर्देश रद्द किए जाने के लिये कमिश्नर को अपील कर सकता है , और

(ग) ऐसा कोई निर्देश उस समय तक प्रभावी न होगा जब तक कि उक्त निर्देश दिये जाने के दिन से एक महीना व्यतीत न हो जाय या यदि अपील दायर की गई हो तो जब तक अपील का निर्णय न हो जाये।

(2) यदि कमिश्नर यह पाता है कि अधिवक्ता या एकाउन्टेन्ट इस अधिनियम या नियमों के सम्बन्ध मे कार्यवाही के दौरान दुराचरण किया गया है तो वह सम्बन्धित कागजात एवं अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को , जो इस व्यवसाय के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये अधिकृत हो, को अग्रसारित करेगा।

अभिलेखो का निरीक्षण और उसके लिए देय शुल्क 75

(1) कोई करनिर्धारक प्राधिकारी जिसके समक्ष अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमो के अधीन किसी व्यवहारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन हो, ऐसे व्यवहारी को अपने विवेकानुसार ऐसी कार्यवाही के सम्पूर्ण अभिलेख या उसके किसी भाग को देखने की अनुमति दे सकता है, अगर कोई प्रार्थना-पत्र किसी कार्य-संचालन के दिनांक में 2.30 बजे तक प्रस्तुत किया जाय। प्रार्थना-पत्र पर 20 रूपये का कोर्ट फीस टिकट लगा होना चाहिये। यदि उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया जाय तो प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए 10 रू0 प्रति घण्टे की दर से निरीक्षण शुल्क लिया जायेगा। यह भी व्यवस्था की जाती है कि सहायक कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी कार्यवाही के जो समाप्त हो चुकी हो, अभिलेख की निरीक्षण की अनुमति इसी रीति से और इतना ही शुल्क देने पर दी जा सकती है।

(2) व्यवहारी अभिलेखों का निरीक्षण ऐसे कर्मचारी के समक्ष तथा उन घण्टों के बीच करेगा जो करनिर्धारक प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए नियत करे। उसे निरीक्षण स्थान से अभिलेख या उसके किसी भाग को हटाने या अभिलेख पर कोई चिन्ह बनाने या किसी प्रकार से उसमें काट-पीट करने अथवा उसे खराब करने की अनुमति नही होगी। उसे केवल निर्देश के लिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के अतिरिक्त अभिलेख के किसी भाग की प्रतिलिपि तैयार करने की अनुमति भी न दी जायेगी।

(3) ऐसे व्यवहारी को, जो किसी ऐसे अभिलेख के विवरण मालूम करना चाहता हो, जिसका निरीक्षण करने का उसे न्यायोचित अधिकार हो, करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसा प्रार्थना-पत्र देने पर जिसमें उस अभिलेख

का जहाँ तक कि उसे इस सम्बन्ध में जानकारी हो, पूरा वर्णन दिया गया हो, यदि प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हो जाय, अभिलेख के तलाश कराने का और यदि सूचना प्राप्त हो तो प्रार्थना-पत्र देने की तारीख से 10 दिन के अन्दर अपेक्षित सूचना लिखित रूप में और अभिलेखपाल के हस्ताक्षर सहित प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी प्रार्थना-पत्र चाहे वे स्वीकृत या अस्वीकृत किये गये हों, अभिलेखपाल द्वारा तत्काल एक रजिस्टर मे दर्ज कर दिये जायेंगे और उन पर रजिस्टर की क्रम संख्या अंकित की जायेगी। प्रार्थना-पत्र के स्वीकार होने के आदेश के जारी होते ही प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर कोर्ट फीस टिकट द्वारा 20 रूपये का शुल्क देय होगा और अभिलेखपाल रजिस्टर के सम्बन्धित कालम में चिपकायेगा और प्रार्थना-पत्र पर यह टिप्पणी लिख देगा कि उसने ऐसा कर लिया है। यह टिकट के सबसे ऊपरी भाग में छेद करके और साथ ही उस पर "रदद किया गया" की मोहर लगाकर या लिखकर उसे रदद कर देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस स्थिति में, जबकि प्रार्थी ने उपधारा(1) के अधीन दिये गये अपने प्रार्थना-पत्र में पूरे और सही विवरण दिये हों, इस प्रकार का कोई शुल्क देय नही होगा :

(4) उपनियम (1) से (3) तक के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, राज्य प्रतिनिधि, अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों, अपर कमिश्नर(अपील) और संयुक्त कमिश्नर(अपील) पर लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, के अन्तर्गत, नियुक्त कतिपय प्राधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत भी नियुक्त किये गये प्राधिकारी समझें जायेगे

76 (1) निम्न तालिका के कालम (2) में इंगित एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं तैनात, एव व्यापार कर कमिश्नर द्वारा तैनात या कमिश्नर व्यापार कर द्वारा नियुक्त एवं तैनात प्राधिकारी, जैसा लागू हो, इस अधिनियम एवं नियमो के प्रयोजनार्थ कालम (3) में उल्लखित समान रूप मे नियुक्त एवं तैनात प्राधिकारी समझे जायेगें।

क्र0 स0	**उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अधिकारी**	**उत्तर प्रदेश मूल्य संवधित कर अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अधिकारी**
1-	कमिश्नर	कमिश्नर
2-	अधिकरण का अध्यक्ष	अधिकरण का अध्यक्ष
3-	सदस्य अधिकरण	सदस्य अधिकरण
4-	विशेष कमिश्नर	विशेष कमिश्नर
5-	किसी भी क्षमता में अपर कमिश्नर	उसी हैसियत में अपर कमिश्नर
6-	किसी भी हैसियत में संयुक्त कमिश्नर	उसी हैसियत में संयुक्त कमिश्नर
7-	किसी भी हैसियत में उप कमिश्नर	उसी क्षमता में उप कमिश्नर
8-	किसी भी हैसियत में सहायक कमिश्नर	उसी हैसियत में सहायक कमिश्नर
9-	किसी भी हैसियत में व्यापार कर अधिकारी	उसी हैसियत में वाणिज्य कर अधिकारी

(2) उपनियम (1) की तालिका के कालम (3) में दिये गये अधिकारी तब तक

अपने कार्यालय में कार्यरत रहेंगें, जब तक स्थानांन्तरण, हटाये, सेवामुक्त या अन्य किसी कारण से उस कार्यालय से न हटाये जाये, या उनका उत्तर अधिकारी तैनात नही जाए, जो भी पहले धारित हो।

नियमो के अन्तर्गत निर्धारित फार्म 77 इन नियमो में कोई प्रतिकूल तथ्य होते हुए भी, नीचे दी गयी तालिका के कालम (2) में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में निर्धारित फार्म, तथा उचित संशोधन के साथ, सारणी के स्तम्भ (3) में दिये गये इन नियमो में निर्धारित फार्मो के स्थान पर तब तक प्रयोग किए जा सकते है जब तक नये फार्म प्रतिस्थापित नही हो जाते है :

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 के अन्तर्गत रूपपत्र	उत्तर प्रदेश मूल्य संवधित नियमावली, 2008 के अन्तर्गत फार्म	फार्मो का विवरण
(1)	(2)	(3)
रूपपत्र I	फार्म-एक	ट्रेजरी चालान
रूपपत्र VI	फार्म-अट्ठाईस	मॉग पत्र
रूपपत्र XIII	फार्म-तीन	ट्रेजरी में सत्यापन का विवरण
रूपपत्र XLIX	फार्म-इक्कीस	ट्रान्सपोर्ट मीमो
रूपपत्र XVI	फार्म-सैतीस	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने एवं अभिलेख प्रस्तुत करने का समन
आयात हेंतु घोषणा पत्र	फार्म-अड़तीस	पजीकृत व्यवहारी द्वारा आयात हेतु फार्म
रूपपत्र XXXII	फार्म-उनतालीस	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्तियो द्वारा आयात हेतु फार्म
रूपपत्र XXXIII	फार्म-चौवालिस	पंजीकृत व्यवहारियों से भिन्न व्यक्ति द्वारा आयात हेतु फार्म प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र
रूपपत्र XXXIV	फार्म-तैतालिस	पारगमन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मों के प्रिन्ट आउट का प्रयोग 78 (1) व्यवहारी अपने प्रयोग हेतु वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाईट से आयुक्त द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट फार्मों का प्रिन्ट आउट ले सकते हैं।

(2) प्रिन्ट आउट लेने हेतु A-4 साइज का कागज प्रयोग किया जायेगा।

(3) "उत्तर प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट" का तात्पर्य वर्ल्ड वाईड वेब से है, जिसका डोमेन "**up.nic.in**" एवं पता "**http://comtax.up.nic.in**" है।

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव